खण्ड-458, अंक-2
मंगलवार, 7 चैत्र, शक संवत् 1928
(28 मार्च, 2006 ई0)

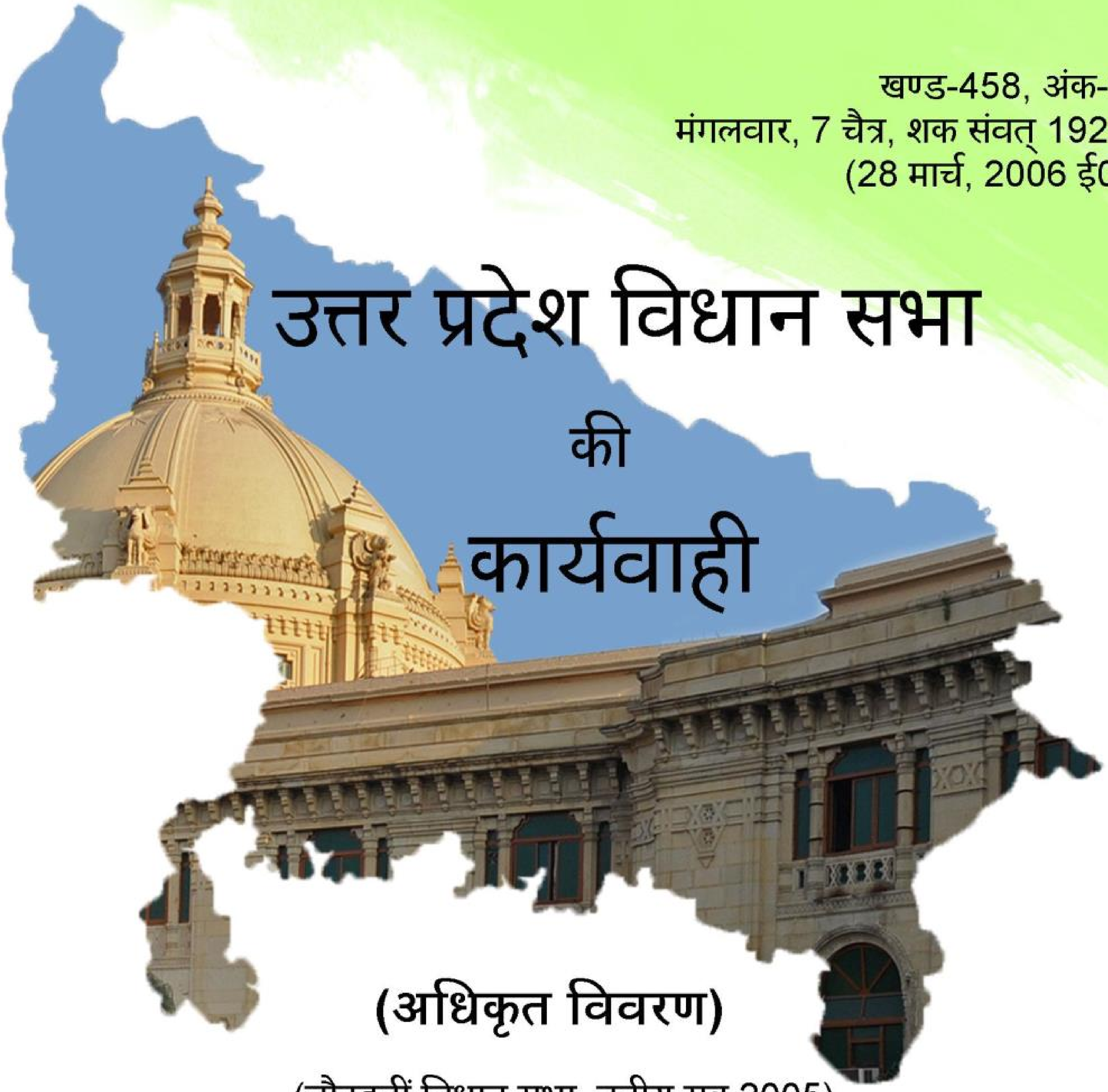

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

(चौदहवीं विधान सभा, तृतीय सत्र 2005)

खण्ड 458 में 3 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ, उत्तर प्रदेश (भारत)
2005

मूल्य : बिना महसूल रु0 16.75 पैसे, महसूल सहित रु0 21.00 पैसे |
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल रु0 586.25 पैसे, महसूल सहित रु0 724.25 पैसे |

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ-संख्या
उपस्थित सदस्य	क-ग
प्रश्नों के सम्बन्ध में सूचना	1
प्रश्नों की महत्ता के दृष्टिगत प्रश्नकाल 1 बजे लिये जाने का अनुरोध ...	1-2
प्रश्नोत्तर	2-35
विधान सभा के उप चुनाव में निर्वाचन क्षेत्र सं0-166, कौड़ीराम, जनपद गोरखपुर से निर्वाचित सदस्य श्री राम भुआल निषाद द्वारा शपथ ग्रहण ...	35
मुजफ्फरनगर में इन्सपेक्टर श्री उदय प्रताप सिंह की अपराधियों द्वारा की गयी हत्या का प्रकरण	35-36
नियम 301 के अन्तर्गत सूचनाएं	36-37
सीतापुर रोड लखनऊ मुख्य मार्ग को मिलाने वाले तपस्वी नगर के कच्चे मार्ग को डामरीकृत कराये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ...	37
जनपद सुल्तानपुर की तहसील कादीपुर में जनपदीय शिक्षा विभाग के अधिकारियों द्वारा शिक्षा मित्रों की नियुक्ति में अनियमिततायें बरतने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	37
जनपद हरदोई के बिलग्राम कस्बे में विद्युत आपूर्ति जनपद के ही सुरसा उपकेन्द्र से कराये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ...	38
जनपद कुशीनगर में सांसद निधि से उपलब्ध कराये गये धन से विद्युतीकरण न कराये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ...	38
जनपद प्रतापगढ़ के विकास खण्ड आसपुर में कतिपय ग्राम सभाओं में विद्युत पोल होने के बावजूद विद्युत आपूर्ति न होने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	38-39
कानपुर महानगर में सीवर जाम व कूड़े के कारण मच्छरों की अधिकता से बीमारी फैलने व सफाई कराये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना...	39
जनपद बुलन्दशहर के ऊंचागांव आदि कतिपय मार्गों को ठीक कराये जाने हेतु धन उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ...	39
जनपद बुलन्दशहार में शिकारपुर से जहांगीराबाद के क्षतिग्रस्त मार्ग को ठीक कराये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना... ...	40
रेडक्रास सेन्ट जान एम्बुलेन्स एसोसियेशन के प्रमाण-पत्रों को वेटेज दिये जाने हेतु शासनादेश जारी किये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना...	40-41
जनपद रायबरेली के विकास खण्ड दीनशाह गौरा के अन्तर्गत पूरे इच्छा सिंह जलालपुर घई क्षतिग्रस्त सम्पर्क मार्ग की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	41

विषय	पृष्ठ-संख्या
जनपद अलीगढ़ के नगर निगम पार्क में डॉ0 भीमराव अम्बेडकर जी की अष्ट धातु की प्रतिमा लगाये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ...	41
उप जिलाधिकारी, पूरनपुर, पीलीभीत की हठधर्मिता के कारण होलिका दहन न हो पाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	41-42
गोरखपुर महानगर के कच्चे तथा अपूर्ण नालों को पक्का तथा पूर्ण कराये जाने तथा निकासी ठीक कराये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ...	42-43
जनपद सन्त कबीरनगर में कटनइयाँ नदी पर जर्जर लकड़ी के पुल के स्थान पर पक्का पुल बनाये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ...	43
सदन की कार्यवाही का अपेक्षित संज्ञान न लिये जाने के कारण मा0 अध्यक्ष के द्वारा दिये गये निर्देश एवं संसदीय कार्य मंत्री द्वारा दिये गये आश्वासनों पर अधिकारियों द्वारा कोई कार्यवाही न किये जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न	44-47
लोक निर्माण मंत्री की सदन में घोषणा के अनुरूप बलिया के चिलकहर क्षेत्र में सड़क का टेण्डर स्वीकृत इस्टीमेट से कम होने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न	47-50
भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक के वित्त लेखे वर्ष 2004-2005 उत्तर प्रदेश सरकार व विनियोग लेखे वर्ष 2004-2005 उत्तर प्रदेश सरकार (सदन के पटल पर रखा गया)	50
उत्तर प्रदेश विकास परिषद् विधेयक, 2006 ..... (पुरःस्थापित) ...	50-51
कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं	51-58
उत्तर प्रदेश कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2006 (संशोधन अस्वीकृत, विधेयक पारित)	58-65
नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं	66-67

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

मंगलवार, दिनांक 28 मार्च, 2006

(विधान सभा की बैठक सभा मण्डप, लखनऊ में दिन के 11 बजकर 6 मिनट पर अध्यक्ष श्री माता प्रसाद पाण्डेय की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।)

(गणपूर्ति के अभाव में सदन की कार्यवाही 6 मिनट विलम्ब से आरम्भ हुयी।)

उपस्थित सदस्य-372

अकीलुर्रहमान खां, श्री	मुरादाबाद
अक्षयवर लाल, श्री	बहराइच
अखिलेश कुमार सिंह, श्री	रायबरेली
अजय कपूर, श्री	कानपुर नगर
अजय कुमार, डा0	बागपत
अजय राय, श्री	वाराणसी
अजीम भाई, श्री	फिरोजाबाद
अताउल रहमान, श्री	बरेली
अनवर महमूद, श्री	बलरामपुर
अनार सिंह दिवाकर, श्री	एटा
अनिल कुमार, श्री	बुलन्दशहर
अनिल कुमार पाण्डेय, श्री	सुल्तानपुर
अनिल कुमार मौर्य, श्री	मिर्जापुर
अनिल कुमार वर्मा, श्री	सीतापुर
अनिल कुमार सिंह यादव, श्री	एटा
अनिल सिंह, श्री	सिद्धार्थनगर
अनीस अहमद खां उर्फ फूलबाबू, श्री	पीलीभीत
अनुग्रह नारायण उर्फ खोखा सिंह, श्री	देवरिया
अनूप कुमार पाण्डेय, श्री	बस्ती
अन्सार अहमद, श्री	इलाहाबाद
अब्दुल कलाम, श्री	संत कबीर नगर
अब्दुल मन्नान, श्री	हरदोई
अब्बास अली जैदी उर्फ रुश्दी मियां, श्री	बाराबंकी
अमरजीत सिंह जनसेवक, श्री	फतेहपुर
अमर सिंह परमार, श्री	आगरा
अमर सिंह यादव पुत्र श्री सुन्दर सिंह, श्री	हाथरस
अमीता सिंह, श्रीमती	सुल्तानपुर
अम्बिका चौधरी, श्री	बलिया
अम्बेश कुमारी, श्रीमती	महोबा
अयोध्या प्रसाद पाल, श्री	फतेहपुर
अरविन्द गिरि, श्री	खीरी
अरुण कुमार मेहरोत्रा, डा0	जालौन
अरुण कुमारी, श्रीमती	कानपुर देहात
अरुणवीर सिंह, श्री	बहराइच
अरुणा तोमर, श्रीमती	कानपुर नगर
अलका राय, श्रीमती	गाजीपुर
अलगू प्रसाद चौहान, श्री	सन्त कबीर नगर
अवधेश कुमार वर्मा, श्री	शाहजहांपुर
अशोक कुमार कटियार, श्री	कानपुर देहात
अशोक बाजपेयी, डा0	हरदोई
अशोक सिंह चौहान, श्री	मैनपुरी
आदित्य विक्रम सिंह (बोकू सिंह), श्री	सिद्धार्थनगर
आनन्द प्रकाश लोधी, श्री	फतेहपुर
आर0 एस0 कुशवाहा, श्री	खीरी
आर0 के0 सिंह पटेल, श्री	चित्रकूट
आलम बदी, श्री	आजमगढ़
आलोक कुमार शाक्य, श्री	मैनपुरी
आशा किशोर, श्रीमती	रायबरेली
आशीष यादव, श्री	बदायूं
आशुतोष मौर्य उर्फ राजू, श्री	बदायूं
इकबाल महमूद, श्री	मुरादाबाद
इन्द्रजीत सरोज, श्री	कौशाम्बी
इन्द्रदेव सिंह, डा0	बिजनौर
उज्ज्वल रमण सिंह, श्री	इलाहाबाद
उदयभान करवरिया, श्री	इलाहाबाद
उदयराज यादव, श्री	उन्नाव
उमा किरन, श्रीमती	मुजफ्फरनगर
उमा शंकर कुशवाहा, श्री	गाजीपुर

ओमकार सिंह यादव, श्री	बदायूं
ओम प्रकाश, श्री	गाजीपुर
ओम प्रकाश, श्री	सीतापुर
ओम प्रकाश(ओ0पी0 सिंह), श्री	सुल्तानपुर
ओम प्रकाश पाण्डेय, श्री	सुल्तानपुर
ओम प्रकाश सिंह, श्री	मिर्जापुर
कपिल देव यादव, श्री	मऊ
कमलेश कुमार, श्री	गोरखपुर
कमलेश कुमार पाठक, श्री	कानपुर देहात
कमाल यूसुफ मलिक, श्री	सिद्धार्थनगर
कल्यान सिंह दोहरे, श्री	कन्नौज
काजिम अली खां उर्फ नवेद मियां, नवाब	रामपुर
कामेश्वर उपाध्याय, श्री	देवरिया
कालीचरन राजभर, श्री	गाजीपुर
काशीराम, श्री	रामपुर
किरण पाल कश्यप, श्री	मुजफ्फरनगर
किरन पाल सिंह, श्री	बुलन्दशहर
किशन लाल बघेल, सेठ	आगरा
कुतुबुद्दीन अंसारी, श्री	बिजनौर
कुलदीप सिंह सेंगर, श्री	उन्नाव
कृष्ण कुमार उर्फ सतीश वर्मा, श्री	हरदोई
कृष्णा पासवान, श्रीमती	फतेहपुर
केशरी नाथ त्रिपाठी, श्री	इलाहाबाद
कैलाश, श्री	गाजीपुर
कैलाश चौरसिया, श्री	मिर्जापुर
कौकब हमीद खां, श्री	बागपत
कौशल किशोर, श्री	खीरी
कौशल किशोर, श्री	लखनऊ
खालिद अजीम उर्फ अशरफ, श्री	इलाहाबाद
गंगा बक्श सिंह, डा0	उन्नाव
गंगा भक्त सिंह, श्री	हरदोई
गया चरन दिनकर, श्री	बांदा
गीता सिंह, श्रीमती	बलरामपुर
गुलाब देवी, श्रीमती	मुरादाबाद
घूरा राम, श्री	बलिया
चन्द्र किशोर, श्री	महराजगंज
चन्द्रदेव राम यादव, डा0	आजमगढ़
चन्द्रभद्र सिंह, श्री	सुल्तानपुर
चन्द्रमणि कान्त सिंह, श्री	श्रावस्ती
चितरंजन स्वरूप, श्री	मुजफ्फरनगर
छेदीराम, श्री	गाजीपुर
छोटे लाल यादव, श्री	बाराबंकी
छोटे लाल वर्मा, श्री	आगरा
जंग बहादुर, श्री	सुल्तानपुर
जगदम्बिका पाल, श्री	बस्ती
जगदीश नारायण (राय), श्री	जौनपुर
जगदीश मिश्र बाल्टी बाबा, श्री	कुशीनगर
जगदीश सिंह राणा, श्री	सहारनपुर
जगदीश सोनकर, श्री	जौनपुर
जगन प्रसाद गर्ग, श्री	आगरा
जगराम सिंह, श्री	मुरादाबाद
जटाशंकर सिंह, श्री	बहराइच
जमालुद्दीन सिद्दीकी, श्री	फर्रुखाबाद
जय प्रकाश यादव, श्री	गोरखपुर
जय प्रताप सिंह, श्री	सिद्धार्थनगर
जयराम विमल, श्री	अम्बेडकर नगर
जयवीर सिंह, श्री	मैनपुरी
जयवीर सिंह, ठाकुर	अलीगढ़
जियाउद्दीन रिजवी, श्री	बलिया
ज्ञानेन्द्र सिंह, श्री	महराजगंज
तेजपाल सिंह, श्री	मथुरा
ददू प्रसाद, श्री	चित्रकूट
दयाराम, श्री	कौशाम्बी
दिनेश सिंह, श्री	सिद्धार्थनगर
दिलीप कुमार वर्मा, श्री	बहराइच
दीनानाथ कुशवाहा, श्री	देवरिया
दीनानाथ भाष्कर, श्री	सन्त रविदास नगर, भदोही
दुर्गा प्रसाद मिश्र, श्री	देवरिया
दुर्गा प्रसाद यादव, श्री	आजमगढ़
देवकी नन्दन, श्री	हाथरस
देवेन्द्र नागपाल, श्री	ज्योतिबाफूले नगर

उत्तर प्रदेश विधान सभा

देवेन्द्र प्रताप, श्री	एटा
देवेन्द्र प्रताप सिंह, श्री	रायबरेली
द्वारिका प्रसाद, श्री	सन्त कबीर नगर
धनंजय सिंह, श्री	जौनपुर
धर्मपाल सिंह, श्री	गाजियाबाद
धर्मपाल सिंह, श्री	बरेली
धर्मराज निषाद, श्री	अम्बेडकरनगर
धर्म सिंह सैनी, डा0	सहारनपुर
धर्मेन्द्र कुमार कश्यप, श्री	बरेली
धू राम लोधी, चौधरी	हमीरपुर
नत्थू सिंह, श्री	उन्नाव
नन्दिता शुक्ला, श्रीमती	गोण्डा
नरेन्द्र कुमार, श्री	गौतमबुद्ध नगर
नरेन्द्र कुमार सिंह गौर, डा0	इलाहाबाद
नरेन्द्र सिंह वर्मा, श्री	सीतापुर
नरेन्द्र सिंह यादव, श्री	फर्रुखाबाद
नरेन्द्र शिशौदिया, श्री	गाजियाबाद
नरेश चन्द्र अग्रवाल, श्री	हरदोई
नवाब सिंह नागर, श्री	गौतमबुद्ध नगर
नारद राय, श्री	बलिया
परमेश्वर दयाल, श्री	सोनभद्र
पी0 के0 राय, डा0	कुशीनगर
पीटर फैन्थम, श्री	नाम-निर्देशित
पीतम राम, श्री	पीलीभीत
पूरन सिंह बुन्देला, श्री	ललितपुर
पूर्णमासी देहाती, श्री	कुशीनगर
प्रताप चौधरी, श्री	हाथरस
प्रदीप जैन "आदित्य", श्री	झांसी
प्रदीप माथुर, श्री	मथुरा
प्रभु दयाल, श्री	मेरठ
प्रभु नारायण, श्री	चन्दौली
प्रमोद कुमार, श्री	प्रतापगढ़
प्रमोद गौड़, श्री	अलीगढ़
प्रागी लाल अहिरवार, श्री	झांसी
प्रेम पाल सिंह यादव, श्री	बदायूं
प्रेमलता कटियार, श्रीमती	कानपुर नगर
प्रेमलता देवी, श्रीमती	अलीगढ़
प्रेम सिंह, श्री	मथुरा
फतेह बहादुर, श्री	महराजगंज
फसीहा बशीर, चौधरी (गजाला)	देवरिया
फागू, श्री	मऊ
बंशीधर राज, श्री	खीरी
बाबूराम, एम0 काम0, श्री	जालौन
बाबू लाल, श्री	गोण्डा
बाबूलाल कुशवाहा, श्री	बांदा
बिजय सिंह, श्री	फर्रुखाबाद
बीजू पटनायक, श्री	गाजीपुर
बीना भारद्वाज, श्रीमती	रामपुर
बृजेन्द्र कुमार व्यास (डमडम महराज), श्री	झांसी
बृजेन्द्र प्रताप सिंह कुंवर, एडवोकेट	जालौन
बैजनाथ पासवान, श्री	मऊ
बैजनाथ दुबे, श्री	गोण्डा
ब्रह्मा शंकर त्रिपाठी, श्री	देवरिया
भगेलू राम, श्री	सुल्तानपुर
भारतेन्द्र सिंह, कुंवर	बिजनौर
भूपेन्द्र सिंह, श्री	बदायूं
मतेश चन्द्र सोनकर, श्री	कौशाम्बी
मदन गोपाल वर्मा, श्री	फतेहपुर
मदन चौहान, श्री	गाजियाबाद
मदन भैया, श्री	बागपत
मदन सिंह उर्फ सन्तोष कुमार, श्री	इटावा
मयंकेश्वर शरण सिंह, श्री	रायबरेली
मलिक मसूद, श्री	आजमगढ़
मशहूद खां, श्री	बलरामपुर
मस्तराम चौ0, एडवोकेट	उन्नाव
महबूब अली, श्री	ज्योतिबाफूलेनगर
महेन्द्र अरिदमन सिंह, राजा	आगरा
महेन्द्र कुमार सिंह उर्फ झीन बाबू, श्री	सीतापुर
महेन्द्र सिंह चौधरी, श्री	अलीगढ़

उत्तर प्रदेश विधान सभा

महेन्द्र सिंह यादव, श्री	बुलन्दशहर
महेन्द्र सिंह राजपूत, श्री	इटावा
महेश त्रिवेदी, श्री	कानपुर देहात
महेश नारायण सिंह, श्री	इलाहाबाद
माता प्रसाद पाण्डेय, श्री	सिद्धार्थनगर
मानपाल सिंह, श्री	एटा
माया प्रसाद, श्रीमती	खीरी
मिथिलेश कुमार, श्री	शाहजहांपुर
मुकुट बिहारी वर्मा, श्री	बहराइच
मुकुल उपाध्याय, श्री	अलीगढ़
मुलायम सिंह यादव, श्री	बदायूं
मुंशीलाल गौतम, श्री	बुलन्दशहर
मुश्ताक सोलंकी, हाजी	कानपुर नगर
मूलचन्द्र चौहान, ठाकुर	बिजनौर
मोख्तार अंसारी, श्री	मऊ
मोहन देव शंखवार, श्री	फिरोजाबाद
मोहम्मद आकिल उर्फ मुन्ना मियां, श्री	मुरादाबाद
मोहम्मद आजम खां, श्री	रामपुर
मोहम्मद इरशाद खां, श्री	लखनऊ
मोहम्मद बशीर, चौधरी	आगरा
मोहम्मद मुजतबा सिद्दीकी, श्री	इलाहाबाद
मोहम्मद रिजवान, श्री	मुरादाबाद
मोहम्मद शफीर, श्री	फतेहपुर
यशपाल चौधरी, श्री	खीरी
यशवन्त सिंह, डा0	मुजफ्फरनगर
योगेन्द्र कुमार, श्री	बदायूं
योगेश प्रताप सिंह उर्फ योगेश भइया, श्री	गोण्डा
रंगनाथ मिश्र, श्री	संत रविदास नगर, भदोही
रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भइया, श्री	प्रतापगढ़
रणवीर राणा, श्री	मेरठ
रतनजीत प्रताप नारायण सिंह, कुंवर	कुशीनगर
रतन लाल अहिरवार, श्री	झांसी
रमापति उर्फ रमाकान्त, श्री	कुशीनगर
रमेश चन्द्र बिन्द, डा0	मिर्जापुर
रविन्द्र पुण्डीर, प्रो0	मेरठ
राकेश पाण्डेय, श्री	अम्बेडकर नगर
राकेश सचान, श्री	कानपुर देहात
राज किशोर सिंह, श्री	बस्ती
राजनाथ यादव, श्री	वाराणसी
राजपाल त्यागी, श्री	गाजियाबाद
राजपाल सिंह बालियान, श्री	मुजफ्फरनगर
राजपाल सिंह सैनी, श्री	मुजफ्फरनगर
राजरानी रावत, श्रीमती	बाराबंकी
राजलक्ष्मी वर्मा, श्रीमती	बाराबंकी
राजवीर सिंह, श्री	बुलन्दशहर
राजीव कुमार सिंह, श्री	बाराबंकी
राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह, श्री	प्रतापगढ़
राजेन्द्र प्रसाद यादव, श्री	लखनऊ
राजेन्द्र सिंह चौहान, श्री	एटा
राजेन्द्र सिंह राणा, श्री	सहारनपुर
राजेश कुमार, श्री	खीरी
राधा मोहन दास अग्रवाल, डा0	गोरखपुर
राधेश्याम जायसवाल, श्री	सीतापुर
राधेश्याम सिंह, श्री	कुशीनगर
राबिया कलाम, श्रीमती	वाराणसी
राम अचल राजभर, श्री	अम्बेडकर नगर
राम इकबाल सिंह, श्री	बलिया
राम करन आर्य, श्री	बस्ती
राम किशुन, श्री	चन्दौली
राम कृपाल, श्री	इलाहाबाद
राम कृष्ण, श्री	सीतापुर
राम गोविन्द चौधरी, श्री	बलिया
राम चन्द्र यादव, श्री	फैजाबाद
रामजी शुक्ला, श्री	औरैया
राम नरेश यादव, श्री	आजमगढ़

उत्तर प्रदेश विधान सभा

रामनाथ, श्री	प्रतापगढ़
रामपाल यादव, श्री	सीतापुर
राम पाल वर्मा, श्री	हरदोई
राम प्रकाश त्रिपाठी, श्री	कन्नौज
राम प्रताप सिंह, श्री	गोण्डा
रामबाबू हरित, डा0	आगरा
राम बिशुन आजाद, श्री	गोण्डा
राम भुआल निषाद, श्री	गोरखपुर
राम मगन, श्री	बाराबंकी
राम लाल अकेला, श्री	रायबरेली
रामवीर उपाध्याय, श्री	हाथरस
रामवीर सिंह, श्री	फिरोजाबाद
राम शंकर पाल, श्री	उन्नाव
राम सेवक, श्री	सुल्तानपुर
राम स्वरूप सिंह, श्री	कानपुर देहात
राम स्वरूप सिंह, श्री	बिजनौर
रामहेत भारती, श्री	सीतापुर
रामेश्वर सिंह यादव, श्री	एटा
रिजवान अहमद खां, श्री	ज्योतिबाफूले नगर
रियाज अहमद, श्री	पीलीभीत
लक्ष्मीकान्त बाजपेयी, डा0	मेरठ
लल्लू सिंह, श्री	फैजाबाद
लालजी वर्मा, श्री	अम्बेडकर नगर
लाल बहादुर यादव, श्री	जौनपुर
लुईस खुर्शीद, श्रीमती	फर्रुखाबाद
वकार अहमद शाह, डा0	बहराइच
वसीम अहमद, श्री	आजमगढ़
विजमा यादव, श्रीमती	इलाहाबाद
विजय कुमार मिश्रा, श्री	सन्त रविदास नगर, भदोही
विजय बहादुर पाल, श्री	कन्नौज
विजय सिंह, श्री	सोनभद्र
विद्या चौधरी, श्रीमती	आजमगढ़
विद्या सागर गुप्ता,श्री	लखनऊ
विनय शाक्य, श्री	औरैया
विनोद कुमार उर्फ पण्डित सिंह, श्री	गोण्डा
विनोद कुमार यादव उर्फ कक्का, श्री	इटावा
विनोद कुमार सिंह, श्री	जौनपुर
विनोद तिवारी, डा0	पीलीभीत
विमल कृष्ण अग्रवाल, श्री	बदायूं
विमला राकेश, श्रीमती	सहारनपुर
विवेक बंसल, श्री	अलीगढ़
विश्राम सिंह यादव, श्री	हरदोई
वीरेन्द्र प्रताप सिंह "मुन्ना",श्री	शाहजहांपुर
वीरेन्द्र सिंह गंगवार, श्री	बरेली
वीरेन्द्र सिंह, श्री	मुजफ्फरनगर
वीरेन्द्र सिंह, श्री	वाराणसी
वेदराम भाटी, श्री	बुलन्दशहर
शचीन्द्र नाथ त्रिपाठी, श्री	सन्त रविदास नगर, भदोही
शब्बीर, श्री	बहराइच
शमीमुल हक, श्री	मुरादाबाद
शरदवीर सिंह, श्री	शाहजहांपुर
शहजिल इस्लाम, श्री	बरेली
शाकिर अली, श्री	देवरिया
शारदा देवी, श्रीमती	गोरखपुर
शारदा नन्द अंचल, श्री	बलिया
शारदा प्रसाद, श्री	चन्दौली
शाहिद मंजूर, श्री	मेरठ
शिव कुमार बेरिया, श्री	कानपुर देहात
शिव चरन प्रजापति, श्री	हमीरपुर
शिव तपस्या पासवान, श्री	चन्दौली
शिव प्रताप यादव, डा0	बलरामपुर
शिवाकान्त ओझा, प्रोफेसर	प्रतापगढ़
शिवेन्द्र सिंह उर्फ शिव बाबू, श्री	महराजगंज
शिशुपाल सिंह यादव, श्री	एटा
शैलेन्द्र यादव "ललई", श्री	जौनपुर
श्याम सिंह अहेरिया, श्री	मथुरा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

श्याम देव राय चौधरी, श्री	वाराणसी
श्याम नारायन, श्री	महराजगंज
श्याम प्रकाश, श्री	हरदोई
श्याम लाल रावत, श्री	सीतापुर
श्याम सूरत उपाध्याय, श्री	इलाहाबाद
श्रद्धा यादव, श्रीमती	जौनपुर
श्रीराम भारती, श्री	मिर्जापुर
संजीव दरियाबादी, श्री	कानपुर नगर
संदीप अग्रवाल, श्री	मुरादाबाद
सतीश महाना, श्री	कानपुर नगर
सत्तो देवी, श्रीमती	सहारनपुर
सत्य प्रकाश अग्रवाल (कैलाश डेरी वाले), श्री	मेरठ
सदल प्रसाद, श्री	गोरखपुर
सन्ध्या कठेरिया, कु0	मैनपुरी
समरपाल सिंह, श्री	बागपत
सर्वेश कुमार उर्फ राकेश कुमार, कुं0	मुरादाबाद
सलिल विश्नोई, श्री	कानपुर नगर
सिद्ध गोपाल साहू, श्री	महोबा
सियाराम सागर, डा0	बरेली
सीताराम निषाद, श्री	फैजाबाद
सुखदेव राजभर, श्री	आजमगढ़
सुखदेवी वर्मा, श्रीमती	इटावा
सुन्दर लाल, श्री	उन्नाव
सुन्दर सिंह, श्री	बुलन्दशहर
सुरेन्द्र कुमार मुन्नी, श्री	गाजियाबाद
सुरेन्द्र प्रताप सिंह, श्री	जौनपुर
सुरेन्द्र विक्रम सिंह, श्री	रायबरेली
सुरेन्द्र सिंह पटेल, श्री	वाराणसी
सुरेश कुमार खन्ना, श्री	शाहजहांपुर
सुरेश कुमार श्रीवास्तव, श्री	लखनऊ
सुरेश चन्द्र तिवारी, श्री	लखनऊ
सुल्तान बेग, श्री	बरेली
सुशील चौधरी, डा0	सहारनपुर
सूरज सिंह शाक्य, श्री	एटा
सोमारू राम सरोज, श्री	जौनपुर
सोवरन सिंह, श्री	मैनपुरी
स्वामी प्रसाद मौर्य, श्री	रायबरेली
हरि प्रताप सिंह, श्री	प्रतापगढ़
हरि शंकर तिवारी, श्री	गोरखपुर
हरिश्चन्द्र श्रीवास्तव "हरीश जी", श्री	वाराणसी
हीरा लाल गौतम, श्री	आजमगढ़
हुकुम सिंह, श्री	मुजफ्फरनगर
होशियार सिंह, श्री	बुलन्दशहर

नोट :- औद्योगिक विकास मंत्री, श्री ख्वाजा हलीम एवं बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री, श्री अजीत कुमार राजू भी सदन में उपस्थित थे।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

प्रश्नों के सम्बन्ध में सूचना

श्री अध्यक्ष-

यह सभी प्रश्न उत्तरित माने जायेंगे। एक शपथ दिलाना है।

श्री हुकुम सिंह-

अध्यक्ष जी, मैंने जो औचित्य का प्रश्न उठाया है।

श्री अध्यक्ष-

वह आयेगा, एक बजे के बाद हम लेंगे।

प्रश्नों की महत्ता के दृष्टिगत प्रश्नकाल एक बजे लिये जाने का अनुरोध

डॉ0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर-

मान्यवर, हम लोग प्रश्न देते हैं, हमारा पहला प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, उसे आप 1.00 बजे के बाद ले लीजिये।

श्री अध्यक्ष-

अब यहां यह बताने की जरूरत नहीं है, माननीय हुकुम सिंह जी भी थे, यह राज्य सभा और विधान परिषद् के मतदान के लिये तय हुआ था कि जो मामले हैं, प्रश्न हैं, उन्हें उत्तरित मानकर, जीरो आवर एक बजे के बाद चलाया जायेगा तो उसमें आपका औचित्य यह सब आ जायेगा। मान लीजिए यदि किसी प्रश्न से आपको कोई दिक्कत होती है, उससे आप संतुष्ट नहीं हैं तो आप लिखकर दे दीजिएगा, हम विचार कर लेंगे।

डॉ0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर-

मान्यवर, हम लोग 3-4 महीने पहले प्रश्न देते हैं। पूरे उत्तर प्रदेश के अन्दर जो जल दोहन हो रहा है, उससे सम्बन्धित हमारा प्रश्न है और जनता से जुड़ा हुआ है। इसलिए हम चाहते हैं कि आप 1.00 बजे से प्रश्न प्रहर कर लीजिये।

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

तय हो गया है।

डॉ0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर-

मान्यवर, कार्य-मंत्रणा समिति के विजडम पर हमें पूरा विश्वास है।

श्री अध्यक्ष-

हम आपकी बात से सहमत हैं, जब उत्तर आते हैं और प्रश्न उत्तरित मान लिये जाते हैं तो अनुपूरक पूछने का अवसर नहीं मिलता है लेकिन जो आज की परिस्थिति है, आज राज्य सभा और विधान परिषद् का चुनाव है और भारी संख्या में सदस्य उसमें हिस्सा ले रहे हैं इसको देखते हुए प्रश्नों को उत्तरित मानने का निर्णय लिया गया है। यदि आप उत्तर से संतुष्ट नहीं होंगे तो आप नियम-49 में लिखकर दे देंगे, यदि आवश्यक हुआ तो चर्चा करा लेंगे।

श्री राम इकबाल सिंह-

अध्यक्ष जी, इनको कल ले लिया जाए। मेरा भी एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है।

श्री केशरी नाथ त्रिपाठी-

अध्यक्ष जी, जब मैं उस पीठ पर था, तब एक-दो बार ऐसे अवसर आये थे, जब प्रश्नकाल 11.00 बजे के बाद,बाद में लिया गया था। आज की कार्यसूची मैंने देखी है, बहुत अधिक कार्य नहीं है

और मैं मानता हूं कि माननीय सदस्यों की भावनाओं और प्रश्नों के महत्व को देखते हुए यदि प्रश्नकाल 1.00 बजे से प्रारम्भ कर देंगे तब भी कार्यसूची 4.00 बजे तक, जब मतगणना होगी, तब तक समाप्त हो जायेगी और इससे सदस्यों की तमाम जिज्ञासाएं और अनुपूरक प्रश्न भी पूरे हो जायेंगे।

श्री अध्यक्ष-

माननीय त्रिपाठी जी, एक दिक्कत यह है कि उत्तर देने वाले और सब लोग आज उसी में फंसे हैं, आप व्यक्तिगत परेशानी सरकार की भी और सबकी समझ रहे हैं। हमने कहा कि जिस प्रश्न के उत्तर से संतुष्ट नहीं होंगे तो उसे नियम-49 में लिखकर दे देंगे तो हम उसको करवा देंगे। समाधान आपने यह सुझाया कि इसको एक बजे के बाद ले लिया जाये लेकिन जो उत्तर देने वाले लोग होंगे, वह चुनाव में हैं।

श्री केशरी नाथ त्रिपाठी-

मैंने तो एक सुझाव दिया है।

श्री राम इकबाल सिंह-

मान्यवर, इन प्रश्नों को कल ले लीजिये।

श्री अध्यक्ष-

यह नहीं हो पायेगा। इसको उत्तरित मानिए। आठ प्रश्न हैं अगर आपको इन आठों प्रश्नों के बारे में कोई दिक्कत है, तो आप नियम-49 में लिखकर दे देंगे तो आवश्यक होगा तो हम उस पर चर्चा करा देंगे। अभी माननीय सदस्य की शपथ भी तो होनी है। माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी एक माननीय सदस्य ने शपथ लेने के लिये आग्रह किया था।

(शपथ ग्रहण के लिये श्री राम भुआल निषाद को पुकारे जाने तथा उनके अनुपस्थित रहने पर)

श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, वह शपथ आपके कक्ष में ले लेंगे।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, मैं एक बजे तक के लिये सदन को स्थगित करता हूं।

(श्री अध्यक्ष ने सदन की कार्यवाही 11 बजकर 12 मिनट पर 01 बजे तक के लिये स्थगित कर दी)

प्रश्नोत्तर

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 29 (4) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न]

प्रदेश में गिरते भूजल स्तर के संरक्षण एवं संवर्धन हेतु बनायी गयी योजना

*1-श्री ओम प्रकाश पाण्डेय तथा डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर-

क्या लघु सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में निरन्तर गिरते भू-जल स्तर के संरक्षण एवं संवर्धन हेतु सरकार द्वारा क्या कोई योजना बनायी गयी है ? यदि हां, तो उसकी रूपरेखा क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

लघु सिंचाई, मुस्लिम वक्फ मंत्री (श्री शाकिर अली)-

जी हां,

नोट :-उ0 प्र0 विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली के नियम-41 के अन्तर्गत सभी प्रश्न उत्तरित माने गये।

निरन्तर गिरते हुए भूजल स्तर की समस्या के निदान हेतु प्रदेश में बहुआयामी रणनीति अपनायी जा रही है जिसके अन्तर्गत विभिन्न विभागों द्वारा अपनी-अपनी योजनाओं के अन्तर्गत भूजल संवर्द्धन हेतु विभिन्न कार्य कराये जाते हैं, इसमें तालाबों के जीर्णोद्धार/निर्माण, चेकडेम का निर्माण, रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग पद्धति की स्थापना आदि के कार्य सम्मिलित हैं।

उक्त के परिप्रेक्ष्य में राज्य सरकार द्वारा विभिन्न रिचार्ज पद्धतियों के माध्यम से अधिक से अधिक वर्षा जल संचयन किये जाने के नीतिगत निर्णय लिये गये हैं तथा इस सम्बन्ध में निम्न निर्देश एवं व्यवस्थाएं/प्राविधान किये गये हैं :--

(i) ग्रामीण क्षेत्रों में वर्षा जल संचयन एवं भूजल रिचार्ज की दृष्टि से विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत अधिक से अधिक तालाबों का जीर्णोद्धार एवं नये तालाबों के निर्माण कराये जाने के निर्देश निर्गत किये गये हैं।

(ii) प्रदेश में घटते भूजल स्तर को देखते हुए वर्षा जल संचयन एवं भूगर्भ जल रिचार्ज कार्यक्रम के अन्तर्गत शासन द्वारा यह व्यवस्था भी की गयी है कि प्रत्येक जनपद में ऐसे तालाब/जल स्रोत जिन पर अवैध कब्जा/अतिक्रमण हुआ है उनसे अतिक्रमण हटाया जाय। साथ ही प्रत्येक जनपद में अवस्थित तालाबों/पोखरों एवं अन्य परम्परात जल स्रोतों की सफाई करने के निर्देश दिये गये हैं।

(iii) नगरीय क्षेत्रों की महायोजना/जोनल प्लान में प्राकृतिक जलाशयों/तालाबों का संरक्षण अनिवार्य कर दिया गया है।

(iv) नगरीय क्षेत्रों में 20 एकड़ अथवा अधिक क्षेत्रफल की आवासीय योजनाओं के लेआउट प्लान्स में 5 प्रतिशत भूमि पर तालाब/जलाशय निर्मित किये जाने की व्यवस्था कर दी गयी है।

(v) पार्कों में पक्का निर्माण 5 प्रतिशत तक ही सीमित करने को अनिवार्य कर दिया गया है।

(vi) 300 वर्ग मी0 अथवा अधिक क्षेत्रफल के नव निर्मित होने वाले समस्त प्रकृति के भवनों में रूफ टांप रेन वाटर हार्वेस्टिंग पद्धति की स्थापना को अनिवार्य कर दिया गया हैं।

(vii) पूर्व में निर्मित शासकीय/अर्द्धशासकीय भवनों तथा भविष्य में निर्मित होने वाले शासकीय/अर्द्धशासकीय भवनों में रूफटांप रेन वाटर हार्वेस्टिंग पद्धति स्थापित किये जाने को अनिवार्य कर दिया गया है।

(viii) प्रदेश में रेन वाटर हार्वेस्टिंग/रिचार्जिंग हेतु चलाये जा रहे कार्यक्रमों व योजनाओं की नियमित समीक्षा हेतु मुख्य सचिव, उ0 प्र0 शासन की अध्यक्षता में संबंधित विभागों के प्रमुख सचिवों/सचिवों की कार्यकारी समिति का गठन किया गया है।

(ix) वर्षा जल संचयन कार्यक्रमों का समन्वय एवं अनुश्रवण करने हेतु भूगर्भ जल निदेशालय को "नोडल एजेन्सी" तथा शासन स्तर पर लघु सिंचाई विभाग को "नोडल विभाग" घोषित किया गया है।

(x) प्रत्येक जनपद हेतु वर्षा जल संचयन एवं भूजल रिचार्ज योजनाओं का जनपद स्तर पर एकीकृत एक्शन प्लान तैयार करने विभिन्न विभागों में आपसी तकनीकी समन्वय स्थापित करने हेतु प्रभावी क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण के लिए जिलाधिकारी की अध्यक्षता में स्तरीय "तकनीकी समन्वय समिति" गठित की गई है।

(xi) भूगर्भ जल के प्रबन्धन संतुलित उपयोग तथा संरक्षण के प्रति जनमानस में जागरूकता लाने हेतु प्रत्येक वर्ष 10 जून को सम्पूर्ण प्रदेश में भूगर्भ जल दिवस शासकीय दिवस के रूप में आयोजित किये जाने का निर्णय लिया गया है।

(xii) नवीन वर्गीकरण द्वारा भूजल उपलब्धता की दृष्टि से प्रदेश के 20 जनपदों में सूचीबद्ध कुल 50 अतिदोहित एवं क्रिटिकल विकास खण्डों के न्याय पंचायतवार वर्षा जल संचयन एवं भूगर्भ जल रिचार्ज संबंधी एक्शन प्लान बनाकर इसका क्रियान्वयन विभिन्न योजनाओं में उपलब्ध धनराशि की पूलिंग करके कराये जाने हेतु संबंधित जनपदों के जिलाधिकारियों को निर्देश दिये गये है।

(xiii) ग्रामीण क्षेत्रों में पर्यावरण संतुलन बनाये रखने के उद्देश्य से वर्ष 2006-07 से दो वर्षों के लिए रु0 682 करोड़ की एक "आदर्श जलाशय योजना" आरम्भ किये जाने की घोषणा राज्य सरकार द्वारा की गयी है। इस योजना के अन्तर्गत प्रदेश के प्रत्येक ग्राम पंचायत में एक तालाब/जलाशय का निर्माण अथवा सुदृढ़ीकरण/जीर्णोद्धार किये जाने का प्रस्ताव है। योजना के क्रियान्वयन हेतु रु0 75 करोड़ की धनराशि का प्राविधान बजट में किया जाना प्रस्तावित है तथा शेष धनराशि की व्यवस्था डबटेलिंग के माध्यम से कराई जायेगी।

प्रश्न नहीं उठता।

तारांकित प्रश्न

जनपद मिर्जापुर के रिहन्द जलाशय में आयी दरारों से बचाव हेतु उपाय

*1-श्री राम इकबाल सिंह-

क्या सिंचाई मंत्री को जानकारी है कि जनपद मिर्जापुर के रिहन्द जलाशय में दरारें आ गयी हैं जिससे बन्धे का अस्तित्व खतरे में आ गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार इसके बचाव हेतु कोई उपाय करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सिंचाई मंत्री (डा0 मैराजुद्दीन अहमद)-

जी हां।

जी नहीं।

रिहन्द बांध एवं विद्युत गृह में उत्पन्न विकृतियों के अध्ययन एवं इनके उपचार हेतु उच्च स्तरीय रिहन्द बांध संरचना व्यवहार अनुश्रवण समिति गठित है, जिसकी संस्तुति के आधार पर आवश्यक उपाय किये जा रहे हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

*2-श्री सुरेश कुमार खन्ना-

[राज्य सरकार से असम्बद्ध होने के कारण निरस्त]

जनपद कानपुर में गांधी जयन्ती के अवसर पर ग्रीन पार्क में आयोजित छात्र-छात्राओं के कार्यक्रम में अव्यवस्था

*3-डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर-

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि इस वर्ष गांधी जयन्ती (2 अक्टूबर, 2005) के अवसर पर ग्रीन पार्क, कानपुर में कितने कालेजों के कितने छात्रों ने भाग लिया ? इस कार्यक्रम में छात्र-छात्राओं को ग्रीन पार्क, कानपुर में कितने बजे बुलाया गया था तथा मुख्य अतिथि कितने बजे कार्यक्रम में पहुंचे ? क्या यह सत्य है कि कार्यक्रम स्थल पर पानी तथा छाया की व्यवस्था न होने के

कारण लगभग 100 बच्चे बेहोश होकर गिर पड़े थे ? यदि हां, तो इस अव्यवस्था के लिए जिम्मेदार लोगों के विरुद्ध सरकार द्वारा कोई कार्यवाही की गयी ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

मुख्य मंत्री (श्री मुलायम सिंह यादव)-

गांधी जयन्ती (2 अक्टूबर, 2005) के अवसर पर ग्रीनपार्क में आयोजित "एक सुर एक ताल" कार्यक्रम में जनपद के 74 माध्यमिक विद्यालयों के लगभग 10,000 बच्चों द्वारा भाग लिया गया।

कार्यक्रम में छात्र/छात्राओं को प्रातः 9.00 बजे बुलाया गया था। मुख्य अतिथि पूर्वान्ह 11.45 पर कार्यक्रम में पहुंचे।

जी नहीं।

कार्यक्रम स्थल पर जिला प्रशासन के माध्यम से पेयजल, चिकित्सा व्यवस्था एवं अन्य आवश्यक सुविधाओं की समुचित व्यवस्था की गयी थी, किन्तु मौसम में तेज गर्मी/धूप के कारण लगभग 43 बच्चे असहज महसूस करते हुये अर्द्धमूर्छित हो गये, जिन्हें तत्काल चिकित्सा सुविधा प्रदान भी गयी थी।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

बायो डीजल के सन्दर्भ में शासन द्वारा नीति निर्धारण किये जाने की मांग

*4-डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल-

क्या अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बायो-डीजल के सन्दर्भ में शासन द्वारा क्या कोई नीति निर्धारित की गयी है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (चौधरी बाबू लाल)-

जी नहीं।

भारत सरकार द्वारा वर्ष 2003 में बायोफ्यूल नीति बनायी गयी है।

प्रश्न नहीं उठता।

विशिष्ट बी0 टी0 सी0 के प्रशिक्षकों को प्राथमिक विद्यालयों में नियुक्त किये जाने की मांग

*5-डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विशिष्ट बी0टी0सी0 के 30,000 प्रशिक्षितों को प्राथमिक विद्यालयों में 30 नवम्बर, 2005 तक नियुक्त करने के निर्णय को शासन ने स्थगित कर दिया है ? यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ? उक्त प्रशिक्षितों को कब तक नियुक्त कर दिया जायेगा ?

बेसिक शिक्षा मंत्री (श्री किरनपाल सिंह)-

जी हां।

नियुक्ति हेतु जनपदीय अधिकारियों को प्रेषित सूची में कतिपय महिला एवं विकलांग अभ्यर्थियों की दूरस्थ मण्डलों/जनपदों में तैनाती के फलस्वरूप उत्पन्न कठिनाइयों को संज्ञान में लेते हुए 30 नवम्बर, 2005 को नियुक्ति करने का निर्णय स्थगित कर दिया गया था।

नियुक्तियां की जा चुकी हैं।

प्रदेश में घटते हुए भूगर्भ जलस्तर के कारण गांवों में जल संचय हेतु बड़े तालाब निर्माण कराये जाने की योजना

*6-श्री राम करन आर्य-

क्या लघु सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में घटते हुए भूगर्भ जल स्तर को देखते हुए गांवों में जल संचय के लिये बड़े तालाब निर्माण कराने की कोई योजना शासन के विचाराधीन है ? यदि हां, तो वह योजना कब तक क्रियान्वित की जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शाकिर अली-

ग्रामीण क्षेत्रों में गिरते हुए भूजल स्तर की समस्या के निदान हेतु प्रदेश में वर्षा जल संचयन एवं भूजल रिचार्ज से संबंधित अनेक कार्यक्रम चलाये जा रहे हैं, जिसमें तालाबों के जीर्णोद्धार/निर्माण की योजना भी सम्मिलित है। उक्त के परिप्रेक्ष्य में राज्य सरकार द्वारा तालाबों एवं अन्य रिचार्ज पद्धतियों के माध्यम से अधिक से अधिक वर्षा जल संचयन किये जाने के नीतिगत निर्णय लिये गये हैं तथा इस संबंध में निम्न व्यवस्थाएं एवं निर्देश निर्गत किये गये हैं :-

(i) प्रदेश के घटते भूजल स्तर को देखते हुए वर्षा जल संचयन एवं भूगर्भ जल रिचार्ज कार्यक्रम के अन्तर्गत शासन द्वारा यह व्यवस्था की गयी है कि प्रत्येक जनपद में ऐसे तालाब/ जल स्रोत जिन पर अवैध कब्जा/अतिक्रमण हुआ है उनसे अतिक्रमण हटाया जाय। साथ ही प्रत्येक जनपद में अवस्थित तालाबों/पोखरों एवं अन्य परम्परात जल स्रोतों की सफाई करने के निर्देश दिये गये हैं।

(ii) ग्रामीण क्षेत्रों में वर्षा जल संचयन एवं भूजल रिचार्ज की दृष्टि से विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत अधिक से अधिक तालाबों का जीर्णोद्धार एवं नये तालाबों के निर्माण कराये जाने के निर्देश निर्गत किये गये हैं।

(iii) प्रदेश में रेन वाटर हार्वेस्टिंग/रिचार्जिग हेतु चलाये जा रहे कार्यक्रमों व योजनाओं की नियमित समीक्षा हेतु मुख्य सचिव, उ0 प्र0 शासन की अध्यक्षता में संबंधित विभागों के प्रमुख सचिवों/सचिवों की "कार्यकारी समिति" का गठन किया गया है।

(iv) वर्षा जल संचयन कार्यक्रमों का समन्वय एवं अनुश्रवण करने हेतु भूगर्भ जल निदेशालय को "नोडल एजेन्सी" तथा शासन स्तर पर लघु सिंचाई विभाग को "नोडल विभाग" घोषित किया गया है।

(v) प्रत्येक जनपद हेतु वर्षा जल संचयन एवं भूजल रिचार्ज योजनाओं का जनपद स्तर पर एकीकृत एक्शन प्लान तैयार करने विभिन्न विभागों में आपसी तकनीकी समन्वय स्थापित करने तथा प्रभावी क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण के लिए जिलाधिकारी की अध्यक्षता में जनपद स्तरीय "तकनीकी समन्वय समिति" गठित की गई है।

(vi) भूगर्भ जल के प्रबन्धन संतुलित उपयोग तथा संरक्षण के प्रति जनमानस में जागरूकता लाने के उद्देश्य से प्रत्येक वर्ष 10 जून को "भूगर्भ जल दिवस" शासकीय दिवस के रूप में सम्पूर्ण प्रदेश में आयोजित किये जाने का निर्णय लिया गया है।

(vii) नवीन वर्गीकरण द्वारा भूजल उपलब्धता की दृष्टि से प्रदेश के 20 जनपदों में सूचीबद्ध कुल 50 अतिदोहित एवं क्रिटिकल विकास खण्डों के न्याय पंचायतवार वर्षा जल संचयन एवं भूगर्भ जल रिचार्ज संबंधी एक्शन प्लान बनाये जाने हेतु संबंधित जनपदों के जिलाधिकारियों को निर्देश दिये गये है।

(viii) ग्रामीण क्षेत्रों में पर्यावरण संतुलन बनाये रखने के उद्देश्य से वर्ष 2006-07 से दो वर्षों के लिए रु0 682 करोड़ की एक "आदर्श जलाशय योजना" आरम्भ किये जाने की घोषणा राज्य सरकार द्वारा की गयी है। इस योजना के अन्तर्गत प्रदेश के प्रत्येक ग्राम पंचायत में एक तालाब/जलाशय का निर्माण अथवा सुदृढ़ीकरण/जीर्णोद्धार किये जाने का प्रस्ताव है। योजना के क्रियान्वयन हेतु रु0 75 करोड़ की धनराशि का प्राविधान बजट में किया जाना प्रस्तावित है तथा शेष धनराशि की व्यवस्था डबेटेलिंग के माध्यम से कराई जायेगी।

प्रश्न नहीं उठता।

*7-श्री देवकी नन्दन कोरी-

[दिनांक 2-2-2006 के ता0 प्र0 सं0-8 द्वारा उत्तरित]

केन तथा बेतवा नदियों को आपस में जोड़ने की परियोजना

*8-श्री दद्दू प्रसाद, श्री शिवचरन प्रजापति तथा श्री बाबूलाल कुशवाहा-

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि केन तथा बेतवा नदियों को आपस में जोड़ने की योजना क्या सरकार द्वारा बनाई गयी है ? यदि हां, तो उसका पूरा विवरण एवं उद्देश्य क्या है ?

डा0 मैराजुद्दीन अहमद-

प्रश्नगत योजना की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट बनाये जाने हेतु उत्तर प्रदेश सरकार, मध्य प्रदेश सरकार एवं भारत सरकार के मध्य सहमति पत्र पर हस्ताक्षर हुए हैं। अभी उक्त परियोजना रिपोर्ट नहीं बनी है।

परियोजना का मुख्य उद्देश्य उत्तर प्रदेश के बुन्देलखण्ड क्षेत्र एवं मध्य प्रदेश में अतिरिक्त सिंचन सुविधा प्रदान करना है। विस्तृत परियोजना, रिपोर्ट बनने पर अन्य विवरण उपलब्ध हो सकेंगे।

अतारांकित प्रश्न

जनपद आजमगढ़ में बेसिक शिक्षा परिषद् के प्राइमरी पाठशालाओं के भवन निर्माण हेतु धन आवंटन

1-श्रीमती विद्या चौधरी-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आजमगढ़ में बेसिक शिक्षा परिषद् के प्राइमरी पाठशालाओं को गत तीन वर्षों में भवन बनाने के लिए कुल कितनी धनराशि दी गयी है ? क्या उक्त धनराशि का पूरा उपभोग कर लिया गया है ? क्या सरकार ग्राम सभा जमुआवा ब्लाक ठेकमा के प्राइमरी पाठशाला के भवन बनाने के लिए विशेष अनुदान देने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री किरन पाल सिंह-

जनपद आजमगढ़ को विगत 3 वर्षो में बेसिक शिक्षा परिषद् के 225 प्राइमरी पाठशालाओं के भवन निर्माण हेतु 4,96,53,000.00 धनराशि प्राप्त हुई जिसके सापेक्ष्य रु0 4,79,45,000.00 का उपभोग कर लिया गया है। शेष धनराशि रु0 17,08,000.00 के उपभोग की कार्यवाही की जा रही है।

जी नहीं।

ग्राम जमुआवा ब्लाक ठेकमा में राजकीय नहीं अपितु परिषदीय प्राथमिक पाठशाला स्थित है। उक्त विद्यालय का पुनर्निर्माण वर्ष 1992-93 में कराये जाने के कारण विशेष अनुदान की आवश्यकता नहीं है।

जिला वाराणसी के ग्राम बेनीपुर कला, विकास क्षेत्र चोलापुर में नये नलकूप लगाने पर विचार

2-डा0 सुशील चौधरी-

क्या सिंचाई मंत्री को जानकारी है कि ग्राम बेनीपुर कला, विकास क्षेत्र चोलापुर, जिला-वाराणसी में सरकारी नलकूप सन् 2000 से खराब है ? यदि हां, तो क्या सरकार उसके स्थान पर नया नलकूप लगाने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 मैराज उद्दीन अहमद-

ग्राम बेनीपुर कला, विकास खण्ड चोलापुर जिला वाराणसी में सरकारी नलकूप खराब नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बलिया के सिकन्दरपुर तहसील के गांधी इण्टर कालेज में परीक्षा केन्द्र बनाने की मांग

3-श्री जियाउद्दीन रिजवी-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बलिया जनपद में सिकन्दरपुर तहसील के गांधी इण्टर कालेज परीक्षा केन्द्र वर्ष 2005-06 समाप्त कर दिया गया है ? क्या मंत्री जी को यह जानकारी है कि गांधी इण्टर कालेज में लगभग दो हजार बालिकायें परीक्षा में बैठती हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार बालिकाओं की समस्या को देखते हुए गांधी इण्टर कालेज को पुनः वर्ष 2006 में परीक्षा केन्द्र बनायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

जी नहीं।

जी नहीं, परीक्षा वर्ष 2006 मे हाईस्कूल/इण्टर में 1130 बालिकायें परीक्षा में सम्मिलित होने की सूचना है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बलिया की तहसील सिकन्दरपुर एवं बांसडीह में घाघरा नदी के किनारे बसे कतिपय गांवों को कटान से बचाने हेतु उपाय

4-श्री जियाउद्दीन रिजवी-

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बलिया जनपद की तहसील सिकन्दरपुर एवं बांसडीह में घाघरा नदी के किनारे बसे गांव डुहा-बिहरा, कठौड़ा लिलकर, सिसोटार, दियारा, मनियर, डुकड़ा नं0-2, नवका गांव, कक्करघट्टा चक्कीदियर, भुजपुरवा, एलासगढ़, सुल्तानपुर बुरी तरह कटान से

प्रभावित हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त गांवों को कटान से बचाने हेतु कोई उपाय करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 मैराज उद्दीन अहमद-

जी हां।

प्रश्नगत ग्राम एवं आबादी बांध व नदी के बीच फ्लड प्लेन जोन में स्थित है। अतः ऐसे ग्रामों एवं आबादी की सुरक्षा किये जाने की शासन की नीति नहीं है।

उपरोक्तानुसार।

गोरखपुर महानगर की सुरक्षा हेतु माधोपुर बन्धे के लिए जी0एल0सी0सी0 से स्वीकृत परियोजना का कार्य प्रारम्भ कराये जाने की मांग

5-डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल-

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शहर सुरक्षा परियोजना के अन्तर्गत गोरखपुर महानगर की सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण माधोपुर बन्धे के लिए जी0एल0सी0सी0 से स्वीकृत परियोजना का कार्य कब तक प्रारम्भ करा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 मैराज उद्दीन अहमद-

वर्ष 2005-2006 में धन की मांग केन्द्र सरकार से की गयी है, धन उपलब्ध होने पर कार्य प्रारम्भ कराया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद आजमगढ़ के विधान सभा क्षेत्र मेहनगर व ग्राम सभा जमुआवां की नहरों की सफाई कराये जाने की मांग

6-श्रीमती विद्या चौधरी-

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आजमगढ़ के विधान सभा क्षेत्र मेहनगर में नहरों की सफाई गत पांच वर्षों से नहीं हुई है ? यदि हां, तो विधान सभा क्षेत्र मेहनगर की नहरों विशेषकर ग्राम सभा जमुआवां की नहरों की सफाई कब तक करा दी जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 मैराज उद्दीन अहमद-

जी नहीं।

विधान सभा क्षेत्र मेहनगर मे इस वर्ष 84.70 किमी0 नहरों की सफाई प्रस्तावित थी। जिसके सापेक्ष शत प्रतिशत सिल्ट सफाई का कार्य पूर्ण किया जा चुका है। ग्राम सभा जमुआवां में कोई नहर नहीं है। इसकी सिंचाई डेकमा राजबाहा के कुलावा नं0-81 से होती है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में प्राथमिक एवं नवीन उच्च प्राथमिक विद्यालयों यू0पी0 इन्स्ट्रूमेंट द्वारा स्थापित हैण्ड पम्प लगाने में विलम्ब के लिए दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही

7-श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत 2002-03 में खोले गये नवीन प्राथमिक एवं नवीन उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कुल 2841 इंडिया मार्का 2 हैण्डपम्प स्थापित किये जाने हेतु यू0पी0 इन्स्ट्रूमेन्ट्स लि0 (लघु उद्योग विभाग) को आदेश दिये गये थे ? उक्त वर्ष 2002-03 के स्वीकृत 2841 हैण्डपम्प में से कितने हैण्डपम्प जनपदवार लगा दिये गये तथा कितने शेष हैं ? शेष हैण्डपम्प कब तक लगा दिये जायेंगे ?

श्री किरन पाल सिंह-

जी हां।

यू0 पी0 इन्स्ट्रूमेन्ट्स लि0 द्वारा 19 जनपदों में स्थापित किए जाने वाले 779 हैण्डपम्पों को लक्ष्य से कम कर दिया गया था। यू0 पी0 इन्स्ट्रूमेन्ट्स लि0 द्वारा हैण्डपम्प अधिष्ठापन का लक्ष्य 2062 रखा गया था, जिसके सापेक्ष्य 1192 हैण्डपम्प 51 जनपदों में अधिष्ठापित कर दिए गये हैं, शेष 870 हैण्डपम्प अवशेष है।

संस्था की सतर्कता अधिष्ठान द्वारा जांच की जा रही है। जांचोपरान्त नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

जनपद प्रतापगढ़ में नवीन उच्च प्राथमिक विद्यालयों में यू0पी0 इन्स्ट्रूमेन्ट्स द्वारा स्थापित हैण्ड पम्प लगाने में हुए विलम्ब की जांच

8-श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह-

विधान सभा के तृतीय सत्र, 2004 के प्रथम मंगलवार को उत्तरित अता0 प्रश्न सं0 83 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद प्रतापगढ़ में वर्ष 2002-03 में सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत नवीन उच्च प्राथमिक विद्यालयों में 27 हैण्डपम्प लगाये जाने का कार्य यू0पी0 इन्स्ट्रूमेन्ट्स लि0 को दिया गया था तथा विद्यालयों की सूची उक्त संस्था को उपलब्ध करा दिये जाने के उपरान्त भी हैण्डपम्प न लगाये जाने में हुए विलम्ब की दोषी संस्था के विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री किरन पाल सिंह-

जी हां। संस्था के विरूद्ध सतर्कता जांच कराई जा रही है, जांच रिपोर्ट अभी अप्राप्त है।

प्रश्न नहीं उठता।

के0 पी0 एल0 टी0 प्रशिक्षण महाविद्यालय, इलाहाबाद के सेवानिवृत्त शिक्षकों को पेंशन भुगतान की मांग

9-डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 26-10-2005 जो के0पी0एल0टी0 प्रशिक्षण महाविद्यालय, इलाहाबाद के सेवानिवृत्त शिक्षकों को पेंशन

भुगतान के सम्बन्ध में था, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या उक्त महाविद्यालय के सेवानिवृत्त शिक्षकों को अन्य महाविद्यालयों के शिक्षकों के समान कोषागार/बैंक से पेंशन देने पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री किरन पाल सिंह-

जी नहीं।

प्रश्न ही नहीं उठता।

प्रश्न ही नहीं उठता।

शासनादेश सं0-1397/15-11-03-1499(32)/91 दिनांक 11 अगस्त, 03 द्वारा बन्द हो चुके महाविद्यालय/संस्थानों के पेंशनरों को वर्तमान व्यवस्था के अन्तर्गत नियमित रूप से पेंशन भुगतान किये जाने का निर्देश हैं।

प्रश्न ही नहीं उठता।

प्रदेश में विशिष्ट बी0 टी0 सी0 प्रशिक्षण हेतु फर्जी अंक पत्र/प्रमाण पत्र के आधार पर चयनित अभ्यर्थियों का चयन निरस्त किये जाने की मांग

10-डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर, श्री राम प्रकाश त्रिपाठी-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में विशिष्ट बी0टी0सी0 प्रशिक्षण-2004 हेतु कितने अभ्यर्थियों ने प्रार्थना-पत्र दिये थे तथा उनमें से कितनों का प्रशिक्षण हेतु चयन किया गया ? चयनित अभ्यर्थियों में कितने लोगों के फर्जी अंक-पत्र पाये जाने के आधार पर चयन निरस्त किया गया ? फर्जी अंक-पत्र देने वाले अभ्यर्थियों के विरुद्ध शासन द्वारा क्या कोई कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या प्रशिक्षण प्राप्त अभ्यर्थियों में भी 52 अभ्यर्थियों के अंक-पत्र फर्जी निकले ? यदि हां, तो इनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ? उपरोक्त चयन में हो रही अनियमितताओं को देखते हुए क्या सरकार कोई पारदर्शी व्यवस्था बनायेगी ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री किरन पाल सिंह-

विशिष्ट बी0टी0सी0 प्रशिक्षण 2004 हेतु 2,38,000 अभ्यर्थियों ने आवेदन-पत्र प्रेषित किए थे। जिसके सापेक्ष्य 41,450 अभ्यर्थियों का चयन प्रशिक्षण हेतु किया गया। फर्जी अंकपत्र/प्रमाण-पत्र के आधार पर 540 अभ्यर्थियों का चयन निरस्त किया गया।

जी हां। चयन निरस्त कर एफ0 आई0 आर0 दर्ज कराई गयी।

जी हां।

अभ्यर्थन निरस्त कर प्राथमिकी दर्ज कराई गयी।

जी हां।

शासनादेश दिनांक 14-1-04 एवं 20-2-04 द्वारा पूर्ण पारदर्शिता युक्त चयन व्यवस्था बनायी गयी है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद जालौन में कालपी के अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के सेवानिवृत्त प्रधानाचार्यों को पुनरीक्षित वेतनमान के अनुसार पेंशन का लाभ दिये जाने की मांग

11-डा0 अरुण कुमार मेहरोत्रा-

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि अशासकीय विद्यालय के प्रधानाचार्यों को आदेश संख्या-सी0 384/दस 300/99, दिनांक 11-04-2000 द्वारा पेंशन में पुनरीक्षित वेतनमान का लाभ सरकारी विद्यालय के प्रधानाचार्यों की भांति दिया जा रहा है ? यदि हां, तो क्या कालपी जनपद-जालौन के श्री चन्द्र किशोर दुबे, सेवानिवृत्त, प्रधानाचार्य ढक्कर बापा इण्टर कालेज, कालपी तथा श्रीमती कृष्ण कुमारी द्विवेदी, पूर्व प्रधानाचार्य, नगर पालिका इण्टर कालेज, कालपी को पुनरीक्षित वेतनमान के अनुसार पेंशन का लाभ दिया जा रहा है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

जी नहीं।

जी नहीं।

अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के सेवानिवृत्त प्रधानाचार्यों को शासनादेश संख्या-सा-3-384/दस-300/99 दिनांक 13-4-2000 का लाभ अनुमन्य नहीं है।

जनपद बुलन्दशहर की काली नदी की गन्दगी एवं मलबा हटाने हेतु शिकायती-पत्र

12-श्री मुंशी लाल गौतम-

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मुख्य मंत्री कार्यालय का पत्र संख्या-सी0एम0/वि0को0/एम-/132376/ 2005, दिनांक 23-09-2005 जिसके साथ ग्रामवासी त्रियावली वि0खं0 बुलन्दशहर द्वारा दिया गया पत्र जो काली नदी के घंघरावली बनवारीपुर घाट पर गन्दगी की शिकायत सम्बन्धी था, प्रमुख सचिव/सचिव, सिंचाई को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त के सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की गई थी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 मैराजउद्दीन अहमद-

जी हां।

काली नदी के घंघरावली बनवारीपुर घाट पर गंदगी व मलबा हटाने हेतु जिलाधिकारी, बुलन्दशहर व जिला पंचायतराज अधिकारी, बुलन्दशहर को निर्देश दिये जा चुके हैं। जहां तक काली नदी में पानी छोड़ने का प्रश्न है, वह मध्य गंगा स्केप के माध्यम से मानसून अवधि अर्थात 15 जून से 15 अक्टूबर के मध्य ही छोड़े जाने की व्यवस्था है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद सोनभद्र के सोनपम्प कैनाल के पुनरोद्धार की परियोजना

13-श्री परमेश्वर दयाल-

क्या सिंचाई मंत्री को जानकारी है कि जनपद सोनभद्र में सोनपम्प कैनाल जीर्णशीर्ण है ? क्या सरकार [illegible] के सभी पम्पों को चलाने के लिए कोई योजना बनायेगी ? यदि हां, तो कब तक ?

डा0 मैराजउद्दीन अहमद-

जी हां।

सोन पम्प नहर के सिविल एवं यांत्रिक कार्यों के पुनरोद्धार की परियोजना बनाई गयी है।

धन आवंटन के उपरान्त कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बांदा में सिंचाई हेतु राजकीय ट्यूबवेल का अधिष्ठापन कराये जाने की मांग

14-श्री बाबू लाल कुशवाहा-

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-बांदा में सिंचाई हेतु शासन से 120 राजकीय ट्यूबवेल अधिष्ठापन हेतु स्वीकृत हैं ? यदि हां, तो उक्त राजकीय ट्यूबवेलों का अधिष्ठापन कब तक करा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 मैराजउद्दीन अहमद-

जी नहीं। अपितु चौ0 चरण सिंह नलकूप योजना के अन्तर्गत 20 नलकूप तथा राष्ट्रीय सम विकास योजना के अन्तर्गत 15 नलकूपों का निर्माण स्वीकृत है।

उक्त के सापेक्ष वर्ष 2005-06 में चौ0 चरण सिंह नलकूप योजना के अन्तर्गत 7 नलकूपों का छिद्रण हो चुका है तथा राष्ट्रीय सम विकास योजना के अन्तर्गत 6 नलकूपों का निर्माण कराया जा रहा है। अवशेष नलकूपों का निर्माण वर्ष 2006-07 में कराया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

शिक्षणेत्तर कर्मचारियों की उनकी शैक्षणिक योग्यतानुसार शैक्षणिक पदों पर पदोन्नति किये जाने की मांग

15-डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल-

प्रथम सत्र, 2005 के तीसरे मंगल के तारांकित प्रश्न-5 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शिक्षणेत्तर कर्मचारियों की पदोन्नति उनकी शैक्षणिक योग्यता के अनुरूप शैक्षणिक पदों पर किये जाने के सम्बन्ध में क्या सरकार द्वारा निर्णय ले लिया गया है ? यदि नहीं, तो उक्त निर्णय कब तक लिया जायेगा ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता है।

प्रदेश के विश्वविद्यालयों में पढ़ाई के निर्धारित न्यूनतम दिवस

16-श्री सुरेश कुमार खन्ना-

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि विश्वविद्यालयों में पढ़ाई के न्यूनतम कितने दिवस निर्धारित किये गये हैं ? क्या यह सही है कि पिछले दो शिक्षा सत्रों में प्रदेश के विश्वविद्यालयों में पढ़ाई के दिवस न्यूनतम से भी कम हुए हैं ? क्या यह भी सही है कि लखनऊ विश्वविद्यालय में अक्टूबर, 2005 तक 50 दिन भी पढ़ाई नहीं हुई है ? यदि हां, तो क्या सरकार ऐसे विश्वविद्यालयों जिनमें न्यूनतम दिवसों पर भी पढ़ाई का कार्य नहीं किया गया है, उनके विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

180 दिन।

जी नहीं।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद आगरा के विधान सभा क्षेत्र खैरागढ़ के अन्तर्गत सरकारी नलकूप लगवाये जाने की योजना

17-श्री अमर सिंह परमार-

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि खैरागढ़ विधान सभा क्षेत्र जनपद-आगरा के अन्तर्गत सरकारी नलकूप लगाने की कोई योजना विचाराधीन है ? यदि हां, तो उक्त नलकूप कब तक लगवा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 मैराजउद्दीन अहमद-

इस क्षेत्र में भूगर्भ जल खारा होने व सिंचाई हेतु अनुपयुक्त होने के कारण नलकूपों के लगाने की योजना वर्तमान में विचाराधीन नहीं है अपितु क्षेत्र में भूगर्भ जल की गुणवत्ता के आंकलन हेतु रीमोट सेन्सिंग सर्वे का कार्य कराया जा रहा है।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

जनपद आगरा के विधान सभा क्षेत्र खैरागढ़ की नहरों की सफाई एवं मरम्मत कराये जाने की मांग

18-श्री अमर सिंह परमार-

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि खैरागढ़ विधान सभा क्षेत्र जनपद-आगरा की नहरों की सफाई एवं मरम्मत के लिए एक परियोजना शासन के विचाराधीन है ? यदि हां, तो उक्त परियोजना पर कार्य कब तक प्रारम्भ करा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 मैराजउद्दीन अहमद-

जी हां।

आवश्यक धन की व्यवस्था होने पर।

उपरोक्तानुसार।

जनपद बाराबंकी वि0 खं0 सूरतगंज के प्राथमिक विद्यालय के निलम्बित सहायक अध्यापक श्री शिव मंगल सिंह को बहाली के बाद वेतन का भुगतान करने की मांग

19-श्रीमती राजलक्ष्मी वर्मा-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री शिवमंगल सिंह, सहायक अध्यापक, प्राथमिक विद्यालय सेमराय वि0खं0 सूरतगंज जनपद बाराबंकी को 11-1-2002 को निलम्बित किया गया था तथा आरोपों के निस्तारण के बाद दि0 22-12-2003 को बहाल कर दिया गया ? यदि हां, तो क्या इस अवधि का वेतन श्री शिवमंगल सिंह को भुगतान कर दिया गया है ? यदि नहीं, तो कब तक कर दिया जायेगा ?

श्री किरन पाल सिंह-

जी हां।

जी नहीं।

दिनांक 11-1-02 से 22-12-03 तक की अवधि के वेतन भुगतान के सम्बन्ध में उप बेसिक शिक्षा अधिकारी एवं सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी से जांच करायी जा रही है। जांचोपरान्त नियमानुसार भुगतान की कार्यवाही की जायेगी।

जनपद रायबरेली के प्राथमिक शिक्षक संघ शाखा के पदाधिकारियों की गोपनीय जांच

20-श्री शमीमुल हक-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि प्राथमिक शिक्षक संघ शाखा जनपद-रायबरेली के पदाधिकारियों की गोपनीय जांच करने का आदेश तत्कालीन मा0 राज्य मंत्री, संस्कृति एवं पूर्त धर्मस्व उ0 प्र0 ने अपने पत्र सं0 398/वी0आई0पी0/99, दि0 25-4-2000 एवं पत्र सं0 476/वी0आई0पी0/99, दिनांक 15-9-01 मुख्य विकास अधिकारी, रायबरेली को दिया है ? क्या उक्त जांच पूर्ण हो गयी है ? यदि हां, तो जांच रिपोर्ट क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री किरन पाल सिंह-

जी हां।

जी हां।

शिकायती-पत्र में उल्लिखित बिन्दुओं की जांच में शिक्षक संघ के पदाधिकारियों पर लगाये गये आरोपों की पुष्टि नहीं हुई है।

प्रश्न नहीं उठता।

इलाहाबाद के इण्डियन गर्ल्स इण्टर कालेज की वित्तीय अनियमितताओं एवं भ्रष्टाचार की जांच

21-श्री नरेन्द्र शिशौदिया-

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि इण्डियन गर्ल्स इण्टर कालेज, इलाहाबाद में की जा रही वित्तीय अनियमिततायें एवं भ्रष्टाचार की जांच कराये जाने विषयक मा0 भानु प्रताप सिंह वर्मा, सांसद का पत्र दिनांक 1-10-2005 जो जिला विद्यालय निरीक्षक (द्वितीय), इलाहाबाद को सम्बोधित है, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

जी हां।

जांच की कार्यवाही गतिमान है।

प्रश्न ही नहीं उठता।

माध्यमिक शिक्षा के शिक्षणेत्तर कर्मचारियों की अधिवर्षता आयु पर ग्रेच्युटी देने की योजना पर विचार

22-डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या माध्यमिक शिक्षा के शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को 62 वर्ष की आयु पर अधिवर्षता तथा 60 वर्ष की आयु पर ग्रेच्युटी देने की कोई योजना विचाराधीन है ? यदि हां, तो इस विषय में क्या निर्णय ले लिया गया है ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षणेत्तर कर्मचारियों की अधिवर्षता आयु में वृद्धि कर 62 वर्ष किये जाने का औचित्य नहीं पाया गया है परन्तु 60 वर्ष की अधिवर्षता आयु निर्धारित करते हुए ग्रेच्युटी दिये जाने का प्रकरण शासन स्तर पर विचाराधीन है।

प्रकरण शासन स्तर पर विचाराधीन है तथा अति शीघ्र निर्णय ले लिया जायेगा।

लखनऊ विश्वविद्यालय के अन्तर्गत डी0 ए0 वी0 पी0 जी0 कालेज में एल0 एल0 बी0 प्रथम वर्ष सत्र की परीक्षा के सम्बन्ध में याचिका पर मा0 उच्च न्यायालय का निर्णय

23-श्री अक्षयवर लाल-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ विश्वविद्यालय के अन्तर्गत डी0ए0वी0पी0जी0 कालेज में एल0एल0बी0 प्रथम वर्ष सेमेस्टर सत्र 2004-2005 की परीक्षा के सम्बन्ध में मा0 उच्च न्यायालय की खण्डपीठ में दायर याचिका स्पेशल अपील संख्या 257/05 एवं 258/05 के निर्णय के अनुपालन में लखनऊ विश्वविद्यालय द्वारा गठित समिति ने डी0ए0वी0पी0जी0 कालेज को तीन सूचियां ए0बी0सी0 बना कर प्रेषित की हैं ? यदि हां, तो क्या सूची "सी" के अन्तर्गत आने वाले छात्रों ने एल0एल0बी0 प्रथम वर्ष सत्र 2004-2005 की प्रथम व द्वितीय सेमेस्टर परीक्षा दी है ? यदि हां, तो उक्त दोनों सेमेस्टरों की परीक्षा देने के उपरान्त सूची सी बना कर सभी छात्रों को किस आधार पर निकाला जा रहा है ? इन सूचियों को विलम्ब से परीक्षा के पश्चात् डी0ए0वी0 कालेज भेजने का क्या कारण है ? क्या सरकार उक्त छात्रों को तृतीय सेमेस्टर 2005-2006 की परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति प्रदान करने के आदेश जारी करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

जी हां।

सूची "सी" में नामांकित 32 छात्रों में से 15 छात्र परीक्षाफल संशोधन द्वारा प्रथम सेमेस्टर उत्तीर्ण कर लिये हैं। इन 15 छात्रों का नाम सूची "सी" से काटकर सूची "बी" में कर दिया गया है। स्पेशल अपील सं0-257/2005 एवं 258/2005 में पारित मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 21-4-2005 के आलोक में शेष 17 छात्रों को एल0एल0 बी0 प्रथम सेमेस्टर में प्रवेश हेतु पुनः प्रवेश परीक्षा में सम्मिलित होना होगा।

मा0 उच्च न्यायालय का निर्णयादेश प्राप्त होने के पश्चात समिति का गठन कर जांचोपरान्त कार्यवाही की गयी है।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

मा0 उच्च न्यायालय के आदेश के आलोक में।

जिला बिजनौर के जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान इस्माइलपुर में वर्ष 2004 की बी0 टी0 सी0 परीक्षा में सामूहिक नकल कराये जाने की जांच

24-कुंवर भारतेन्द्र सिंह-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान इस्माइलपुर (चांदपुर) जिला बिजनौर में वर्ष 2004 में सम्पन्न बी0टी0सी0 परीक्षा में सामूहिक नकल करायी गयी थी ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त की जांच कराकर दोषी के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्री किरनपाल सिंह-

जी नहीं।

उक्त परीक्षा निर्विवाद रूप से नकलविहीन सम्पन्न कराई गई।

प्रश्न हीं नहीं उठता।

प्रश्न हीं नहीं उठता।

महराजगंज के बेलदार वेलफेयर एसोसियेशन सिंचाई विभाग के शिकायती-पत्र पर जांच की मांग

25-श्री चन्द्र किशोर-

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बेलदार वेलफेयर एसोसियेशन सिंचाई विभाग महराजगंज के शिकायती-पत्र के आधार पर प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 09-08-2005 जो सिंचाई खण्ड-2 महराजगंज में अन्तर्राष्ट्रीय बांधों की सुरक्षा में शासकीय धन का दुरुपयोग एवं गबन से सम्बन्धित था, मुख्य सचिव, उ0 प्र0 शासन को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 मैराज उद्दीन अहमद-

जी नहीं। ठेकेदार वेलफेयर एसोसियेशन के शिकायती-पत्र के सन्दर्भ में शिकायतकर्ता का पत्र दिनांक 09-08-2005 प्राप्त हुआ है।

जांच प्रचलित है।

प्रश्न नहीं उठता है।

जनपद लखनऊ में आम-फल पट्टी क्षेत्र माल आदि विकास खण्डों में सिंचाई हेतु सरकारी नलकूपों को लगाने की मांग

26-श्री कौशल किशोर-

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार लखनऊ जनपद में आम-फल, पट्टी क्षेत्र माल, मलिहाबाद, काकोरी विकास खण्डों में सिंचाई हेतु सरकारी नलकूपों को लगाने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 मैराज उद्दीन अहमद-

वर्ष 2004-05 में चौधरी चरण सिंह परियोजना के अन्तर्गत चार नलकूपों का निर्माण कराया गया एवं वर्ष 2005-06 में एक नलकूप का छिद्रण हो चुका है।

प्रश्न नहीं उठता।

जिला उन्नाव की पुरवा व मौरावां आसीवन ब्रांच में सिंचाई हेतु पानी पहुंचाने की व्यवस्था किये जाने की मांग

27-श्री मुंशी लाल गौतम-

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि उन्नाव जिले की पुरवा ब्रान्च व मौरावां आसीवन ब्रान्च में विगत दो वर्ष से पानी न पहुंचने से सिंचाई नहीं हो पा रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त ब्रान्च में पानी पहुंचाने की व्यवस्था करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 मैराज उद्दीन अहमद-

पुरवा ब्रान्च व मौरावां आसीवन ब्रांन्च में विगत दो वर्षों में टेल भाग में पानी की कमी की समस्या अवश्य रही है, परन्तु पुरवा ब्रान्च व मौरावां आसीवन ब्रान्च से फसली 1411 एवं 1412 खरीफ में पर्याप्त सींच हुई है।

जी हां।

समस्या के निदान हेतु हरदोई एवं इससे निकलने वाली नहर प्रणालियों की क्षमता एवं पुर्नस्थापना हेतु एक परियोजना लागत 108.51 करोड़ व्यय वित्त समिति से अनुमोदित हो गई हैं इस परियोजना की स्वीकृति एवं धनावंटन के पश्चात् कार्य कराया जाना प्रस्तावित है।

प्रदेश के जनपदों में आरक्षण नीति के अनुसार जिला विद्यालय निरीक्षक तथा बेसिक शिक्षा अधिकारी की तैनाती

28-श्री मुंशी लाल गौतम-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में कितने जनपदों में अनुसूचित जाति के जिला विद्यालय निरीक्षक तथा बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यरत हैं ? क्या आरक्षण नीति के अनुसार इनकी तैनाती की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

जी हां।

प्रदेश में 16 जनपदों में अनुसूचित जाति के जिला विद्यालय निरीक्षक तथा 09 जनपदों में अनुसूचित जाति के जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यरत हैं।

जी नहीं।

तैनाती संवर्ग के अधिकारियों में से पद हेतु उपयुक्तता के आधार पर की जाती है। आरक्षण की व्यवस्था नियुक्तियों में लागू है, तैनाती में नहीं।

प्रदेश के राजकीय इण्टरमीडिएट विद्यालयों में आरक्षण नीति के अनुसार प्रधानाचार्यों की तैनाती किये जाने की मांग

29-श्री मुंशी लाल गौतम-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में राजकीय इण्टरमीडिएट विद्यालयों में प्रधानाचार्यों की तैनाती आरक्षण नीति के अनुसार की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ? आरक्षण नीति के अनुसार तैनाती कब तक कर दी जायेगी ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

जी नहीं।

तैनाती में आरक्षण का कोई प्राविधान नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उ0 प्र0 कार्यालय के कनिष्ठ लिपिकों के रिजर्व कोटा के पदोन्नति में हुई विलम्ब की जांच

30-डा0 सुशील चौधरी-

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रमुख अभियन्ता (अधिष्ठान-4क-अनुभाग), सिंचाई विभाग, उ0 प्र0, लखनऊ के कार्यालय ज्ञाप सं0 : 4239/ई-4क, दिनांक 07-09-05 द्वारा 165 अनुसूचित जाति/जनजाति के खण्डीय कनिष्ठ लिपिकों को दिनांक 01-09-1983 से नोशनल पदोन्नति के आदेश निर्गत किये गये थे ? यदि हां, तो इस प्रकरण में बीस वर्ष से अधिक का समय लेने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी ? यदि हां, तो कब तक ?

डा0 मैराज उद्दीन अहमद-

जी हां।

प्रश्नगत प्रकरण में हुए विलम्ब की प्राथमिक जांच हेतु मुख्य अभियन्ता, (परियोजना), सिंचाई विभाग, उ0 प्र0 लखनऊ को जांच अधिकारी नामित किया गया है। जांच अधिकारी से जांच आख्या प्राप्त होने पर नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।

सिंचाई विभाग में तारघरों पर वायरलेस आपरेटरों की नियुक्तियों की मांग

31-डा0 राम बाबू हरित-

क्या सिंचाई मंत्री को जानकारी है कि सिंचाई विभाग में तारघरों पर वायरलेस सेट स्थापित है ? यदि हां, तो क्या उक्त वायरलेस सेट क्रियाशील है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या यह सही है कि वायरलेस आपरेटरों के पद रिक्त होने के कारण उक्त संचालन बन्द है ? यदि हां, तो क्या सरकार वायरलेस आपरेटरों की नियुक्तियां करके वायरलेस व्यवस्था संचालित करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 मैराज उद्दीन अहमद-

जी हां।

जी हां।

प्रश्न नहीं उठता।

विभाग के अन्तर्गत वायरलेस आपरेटर का कोई पद स्वीकृत नहीं है। वायरलेस सेटों का संचालन विभाग में कार्यरत तारबाबू/टेलीफोन मुंशी के द्वारा पूर्ण कुशलता से किया जा रहा है।

प्रश्न नहीं उठता।

सिंचाई विभाग के खण्डीय कार्यालयों में कार्यरत लिपिकों के स्थानान्तरण की नीति का निर्धारण

32-डा0 सुशील चौधरी-

क्या सिंचाई मंत्री को जानकारी है कि सिंचाई विभाग के खण्डीय कार्यालयों में कार्यरत लिपिकों के लिए सरकार द्वारा क्या कोई स्थानान्तरण नीति निर्धारित है ? यदि हां, तो जनपद-बहराइच में ऐसे कितने खण्डीय लिपिक हैं जो 10 वर्षों से अधिक अवधि से एक ही स्थान पर कार्यरत हैं ? क्या सरकार उन कार्मिकों को स्थानान्तरण नीति के अन्तर्गत स्थानान्तरित करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 मैराज उद्दीन अहमद-

जी हां।

जनपद बहराइच में कुल 27 खण्डीय लिपिक 10 वर्ष से अधिक अवधि से एक ही खण्ड में कार्यरत हैं।

इन 27 खण्डीय लिपिकों को वर्तमान खण्ड से हटाकर अन्य खण्डों में पदस्थापित कर दिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

राष्ट्रीय जल प्रबन्ध योजना, शाहजहांपुर को प्रदेश सरकार द्वारा नहरों की सिल्ट सफाई हेतु आवंटित धनराशि का विवरण

33-श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह "मुन्ना"-

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि कार्यालय राष्ट्रीय जल प्रबन्ध योजना, शाहजहांपुर को उ0 प्र0 सरकार से नहरों की सिल्ट सफाई के लिए 1-4-03 से 10-11-05 तक कितनी धनराशि प्राप्त हुई तथा कितनी-कितनी धनराशि से सिल्ट सफाई किन-किन नहरों की कब-कब कराई गई ? क्या यह सही है कि सिल्ट सफाई में अधिशासी अभियन्ता द्वारा व्यापक पैमाने पर अनियमितताएं एवं भ्रष्टाचार किया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार इसकी जांच कराकर उनके विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 मैराज उद्दीन अहमद-

राष्ट्रीय जल प्रबन्ध योजना, शाहजहांपुर को निम्नानुसार धनराशि सिल्ट सफाई के कार्यों हेतु प्राप्त हुई।

जिला स्तर से 12.30 लाख रुपये

विभाग स्तर से 10.40 लाख रुपये

कुल योग 22.70 लाख रुपये

वर्ष 2003-04 एवं 2004-05 में सिल्ट सफाई के कार्यों से सम्बन्धित नहरों के नाम एवं व्यय धनराशि की स्थिति निम्नवत् है :--

क्र0सं0	नहर का नाम	धनराशि (लाख रु0 में)
1	सकुलिया माइनर	0.24
2	डीगुरपुर	0.57
3	सुतनेरा	0.27
4	लोधीपुर	0.73
5	दीवाली	0.21
6	लखराऊ	0.36
7	जुगरा	0.30
8	दौलतपुर	0.44

क्र0सं0	नहर का नाम	धनराशि (लाख रु0 में)
9	बरगौला	0.20
10	सिमरई	0.17
11	एंगवा	1.70
12	दमदौर	0.39
13	भावलखेड़ा	0.13
14	कटौल	0.36
15	सिंघापुर	0.26
16	मुड़िया	0.33
17	ररुआ	0.44
18	सड़िया	0.29
19	हेतमपुर	0.28
20	चौड़ेरा	0.20
21	महाऊदुर्ग	0.10
22	पंचपेड़ा	0.05
	कुल योग	8.10 लाख

वर्ष (2004-05)

1	रौजा रजवाहा	4.95
2	उधरनपुर माइनर	0.67
3	दुमुर्की माइनर	0.19
4	मानपुर माइनर	0.20
5	कुआबोझ माइनर	0.26
6	सिसौआ माइनर	0.10
7	बरेला माइनर	0.14
8	शाहबाद माइनर	1.21
	योग	7.72

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

जनपद आगरा की तहसील बाह में सरकार द्वारा चम्बल डाल नहर को विद्युत एवं यांत्रिक अनुरक्षण कार्यों हेतु धन आवंटन की मांग

34-डा0 सुशील चौधरी-

क्या सिंचाई मंत्री को ज्ञात है कि आगरा जनपद की वाह तहसील के दस्यु प्रभावित क्षेत्र के बेरोजगारों को गिरोहों में सम्मिलित होने से रोकने के उद्देश्य से सरकार द्वारा चम्बल नदी से 450 क्यूसेक पानी की आपूर्ति हेतु बनाई गई चम्बल डाल नहर के विद्युत एवं यांत्रिक कार्यों के सलाना रख-रखाव हेतु शासनादेश सं0-4505/02-सिं-4-6/एस0ए0वी0/2001, दिनांक 26-12-2002 द्वारा निर्धारित मानक धनराशि रु0 6000/-प्रति क्यूसेक के अनुरूप रु0 54 लाख प्रमुख अभियन्ता (या) सिं0वि0 को आवंटित कर दिये गये हैं ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 मैराज उद्दीन अहमद-

धनाभाव में मानक के अनुरूप धन आवंटित किया जाना सम्भव नहीं है। प्रश्नगत डाल नहर के विद्युत एवं यांत्रिक अनुरक्षण कार्यों हेतु वित्तीय वर्ष 2005-06 में अब तक रु0 15.28 लाख आवंटित किये जा चुके हैं।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

कानपुर नगर के परिषदीय विद्यालयों में रिक्त पदों पर शिक्षकों की नियुक्ति किये जाने की मांग

35-श्री संजीव दरियाबादी--

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि कानपुर नगर में संचालित परिषदीय विद्यालयों में लगभग 2000 शिक्षकों के पद रिक्त हैं ? यदि हां, तो उक्त रिक्त पदों पर नियुक्तियां कब तक कर दी जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री किरनपाल सिंह-

जी हां।

रिक्त पदों पर नियुक्ति की कार्यवाही गतिमान है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद प्रतापगढ़ में साक्षरता कार्यक्रम के अन्तर्गत जिला समन्वय के चयन में बरती गयी अनियमितताओं की जांच की जानकारी

36-श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह-

विधान सभा के तृतीय सत्र, 2004 के 2सरे मंगल को उत्तरित अतारांकित प्रश्न संख्या-11 के उत्तर के सम्बन्ध में क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उक्त जांच कब तक पूर्ण कर ली जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री किरनपाल सिंह-

प्रश्नगत प्रकरण की जांच करा ली गई है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद सीतापुर में निःशुल्क बोरिंग हेतु अनुपयुक्त पायी गयी एजेन्सियों की ब्लैक लिस्टिंग

37-श्री राम हेत भारती-

क्या लघु सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सीतापुर उपखण्ड में वर्ष 2004-05 में निःशुल्क बोरिंग हेतु कृषकों को फर्म दुर्गा मशीनरी स्टोर, लकी पाईप एजेन्सी एवं चौहान मशीनरी स्टोर द्वारा बेचे गये पी0सी0सी0 पाईप के नमूनों को सीपेट, लखनऊ द्वारा दिनांक 30-12-2004 को अनुपयुक्त पाये जाने पर निरस्त कर दिया गया था ? क्या यह सही है कि उक्त पाइपों को निरस्त किये जाने के बाद भी उक्त डीलरों को भुगतान कर दिया गया है ? यदि हां, तो क्यों ? क्या सरकार इसके दोषियों को दण्डित कर भुगतान की गई धनराशि वसूल करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शाकिर अली-

जी हां। "सीपेट" लखनऊ से नमूनों की जांच रिपोर्ट दिनांक 24-01-2005 को प्राप्त होने पर दिनांक 25-01-2005 को सम्बन्धित फर्मों/डीलरों को ब्लैक लिस्ट कर दिया गया है।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

उपर्युक्तानुसार स्थिति पूर्व में ही स्पष्ट की जा चुकी है।

प्रदेश में बेसिक शिक्षा (अध्यापक) सेवा नियमावली के अन्तर्गत बी0 टी0 सी0 प्रशिक्षित अभ्यर्थियों की नियुक्ति

38-डा0 अरुण कुमार मेहरोत्रा-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बेसिक शिक्षा (अध्यापक) सेवा नियमावली, 1981 के नियम-6 (आयु) के अन्तिम पैरा में बी0टी0सी0 प्रशिक्षित के लिए नियुक्ति हेतु जिले में रिक्त पद न होने की दशा में 50 वर्ष तक की आयु सीमा का प्राविधान है ? यदि हां, तो श्री बृजपाल सिंह पुत्र राजेन्द्र सिंह निवासी सरसेला, वि0 ख0 महेवा, जनपद-जालौन जिनकी जन्म तिथि 20-7-1960 है, की किन कारणों से बी0टी0सी0 प्रशिक्षित होने के बाद भी नियुक्ति नहीं की गयी ? क्या इस सम्बन्ध में मा0 मंत्री, बेसिक शिक्षा के सचिव, बेसिक शिक्षा इलाहाबाद को किये गये पृष्ठांकन संख्या-1928 दिनांक 27-9-2005 पर क्या कोई कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री किरनपाल सिंह-

नियुक्ति हेतु अधिकतम आयु 32 वर्ष निर्धारित है, किन्तु उ0 प्र0 बेसिक शिक्षा (अध्यापक) सेवा नियमावली, 1981 के नियम-6 के अन्तिम प्रस्तर में यह प्राविधान है जहां, बेसिक स्कूलों के अध्यापकों के लिये विहित प्रशिक्षण पाठ्यक्रम को सफलतापूर्वक पूरा करने के पश्चात् किसी अभ्यर्थी को जिले में रिक्ति उपलब्ध न होने के कारण नियुक्ति न मिल सकी हो वहां उसकी आयु को संगणना के लिये उतनी अवधि को, जब तक उसे नियुक्ति न मिली हो, नहीं गिना जायेगा, यदि नियुक्ति के दिनांक को उसने 50 वर्ष से अधिक आयु प्राप्त न की हो।

श्री बृजपाल सिंह ने वर्ष 1981 में राजकीय जूनियर ट्रेनिंग कालेज रामपुरा जालौन से बी0टी0सी0 का प्रशिक्षण प्राप्त किया है किन्तु उन्होंने प्रथम बार दिसम्बर, 2004 में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, जालौन द्वारा नियुक्ति हेतु प्रकाशित कराये गये विज्ञापन के संदर्भ में आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया तत्समय श्री सिंह की आयु 44 वर्ष 11 माह 05 दिन थी।

इस सम्बन्ध में उल्लेख करना है कि शासनादेश दिनांक 11-8-97 में दिये गये निर्देशानुसार वर्ष 1997 से 2000 तक प्रदेश के सभी जनपदों में बी0टी0सी0 प्रशिक्षित अभ्यर्थियों की नियुक्तियां अभियान चलाकर की गई और वर्ष 2000 के बाद छूटे हुए बी0टी0सी0 प्रशिक्षित अभ्यर्थियों की नियुक्तियां की गई, किन्तु श्री सिंह द्वारा वर्ष 1997-2003 तक नियुक्ति हेतु प्रकाशित विज्ञापन के आलोक में आवेदन नहीं किया गया।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

उ0 प्र0 बेसिक शिक्षा नियमावली के नियम-6 के अन्तिम प्रस्तर में उल्लिखित उपरोक्त प्राविधान श्री सिंह की नियुक्ति पर लागू नहीं होता।

39-श्री प्रभु दयाल बाल्मीकि-

[दिनांक 2-2-2006 के अता0 प्र0 सं0-107 द्वारा उत्तरित]

जनपद मेरठ के विधान सभा क्षेत्र हस्तिनापुर में गांवों को बाढ़ से बचाव के लिये बांध का निर्माण कराये जाने की मांग

40-श्री प्रभु दयाल बाल्मीकि-

क्या सिंचाई मंत्री को जानकारी है कि विधान सभा क्षेत्र हस्तिनापुर जनपद मेरठ में प्रत्येक वर्ष बाढ़ आने से सैकड़ों गांव जलमग्न हो जाते हैं, जिससे किसानों की सैकड़ों एकड़ फसलें नष्ट हो जाती हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार बाढ़ से बचाव के लिये बांध का निर्माण कराने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 मैराज उद्दीन अहमद-

जी हां।

मुख्य अभियन्ता स्तर की एक समिति का गठन कर प्रश्नगत क्षेत्र की बाढ़ समस्या के निदान हेतु अध्ययन किया गया था। समिति द्वारा स्थल का निरीक्षण कर सूचित किया गया है कि इस क्षेत्र में कोई भी बाढ़ बचाव कार्य किया जाना तकनीकी दृष्टि से व्यवहारिक एवं लाभप्रद नहीं है। नदी के जल प्लावन क्षेत्र में बसे ग्रामों को बाढ़ से सुरक्षा प्रदान करने हेतु अन्यत्र सुरक्षित क्षेत्रों में बसाने की शासन की नीति है। अतएव उक्त क्षेत्र में बांध के निर्माण का कोई प्रस्ताव नहीं है।

वाराणसी के सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो0 राजेन्द्र मिश्र द्वारा की गयी अवैध नियुक्तियों के विरुद्ध जांच की मांग

41-श्री राम नरेश यादव-

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि उ0 प्र0 राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम की धारा 8 के अन्तर्गत राज्य सरकार ने सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी के कुलपति प्रो0 राजेन्द्र मिश्र के द्वारा की गयी अवैध नियुक्तियों के विरुद्ध जांच के आदेश दिये गये थे, क्या उक्त जांच पूर्ण करा ली गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

जी हां।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के इण्टर कालेजों में प्रवक्ता के पद पर मानदेय पर कार्यरत व्यावसायिक शिक्षकों को विनियमितीकरण किये जाने की मांग

42-श्री राम नरेश यादव-

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि प्रदेश के 992 इण्टर कालेजों में प्रवक्ता पद पर विगत 16 साल से मात्र 1500 प्रतिमाह के मानदेय पर कार्यरत व्यावसायिक शिक्षकों को केन्द्र सरकार के आदेश दिनांक 12-7-2000 के तहत विनियमिती कर दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ? विनियमितीकरण कब तक कर दिया जायेगा ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

जी नहीं।

व्यावसायिक शिक्षा योजनान्तर्गत पद सृजित नहीं है।

प्रश्न ही नहीं उठता।

श्रीमती जयन्ती दीक्षित, उप बेसिक शिक्षा अधिकारी, सीतापुर द्वारा की जा रही अनियमितता एवं भ्रष्टाचार की जांच की जानकारी

43-श्री अनिल कुमार वर्मा-

विधान सभा के तृतीय सत्र, 2004 के पहले मंगलवार हेतु निर्धारित अतारांकित प्रश्न सं0-61 के उत्तर के संदर्भ में क्या बेसिक शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि क्या जांच कार्य पूर्ण हो गया है ? यदि हां, तो जांच में दोषी पाये गये अधिकारी के खिलाफ क्या सरकार द्वारा कोई कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री किरनपाल सिंह-

जी हां।

जांच आख्या प्राप्त हो गयी है, जो परीक्षणाधीन है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्राथमिक विद्यालय कम्हरिया, खुन-खुन क्षेत्र सकरन, जिला-सीतापुर में कार्यरत सहायक अध्यापक श्री आराध्य शुक्ल के विरुद्ध जांच की जानकारी

44-श्री अनिल कुमार वर्मा-

विधान सभा के प्रथम सत्र, 2005 के द्वितीय मंगलवार के लिए निर्धारित अतारांकित प्रश्न संख्या-10 के उत्तर के संदर्भ में क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या जांच का कार्य पूर्ण हो गया है ? यदि हां, तो क्या जांच में दोषी पाये गये अधिकारी/कर्मचारी के खिलाफ सरकार द्वारा कोई कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री किरनपाल सिंह-

जी हां।

जी नहीं।

जांचोपरान्त कोई दोषी नहीं पाया गया।

राजकीय महाविद्यालय के क्षेत्रीय कार्यालयों में कार्यरत कनिष्ठ लिपिकों की पदोन्नति हेतु नियमावली बनाये जाने की मांग

45-श्री अब्दुल मन्नान

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि राजकीय महाविद्यालय के क्षेत्रीय कार्यालयों में कार्यरत कनिष्ठ लिपिकों की पदोन्नति वरिष्ठ लिपिक पद पर करने का प्रकरण निदेशालय स्तर पर लम्बित हैं ? यदि हां, तो उस पर कार्यवाही कब तक पूर्ण कर ली जायेगी ? क्या उच्च शिक्षा मंत्री यह भी बताने की कृपा करेंगे कि क्या लिपिक संवर्ग की कोई सेवा नियमावली बनायी गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या उक्त संवर्ग हेतु नियमावली बनायी जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

जी हां।

शीघ्र ही पदोन्नति की कार्यवाही पूर्ण कर ली जायेगी।

जी हां।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद-सन्तकबीर नगर के अन्तर्गत नटवा मुडियारी बंधा बनाने हेतु कृषकों की अधिग्रहीत भूमि का मुआवजा दिये जाने की मांग

46-श्री अलगू प्रसाद चौहान-

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-सन्तकबीर नगर के अन्तर्गत नटवा मुडियारी बंधा बनाये जाने हेतु जिन किसानों की भूमि अधिग्रहीत की गयी थी, क्या उन्हें उसका मुआवजा दे दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि उक्त बन्धे के निर्माण हेतु अधिशासी अभियन्ता ड्रेनेज-2 द्वारा टेण्डर आमन्त्रित किया गया था ? यदि हां, तो कब तथा किन-किन समाचार-पत्रों में ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 मैराज उद्दीन अहमद-

जिन किसानों की भूमि की रजिस्ट्री सिंचाई विभाग के पक्ष में हो गई है, उन्हें रजिस्ट्री के समय ही मुआवजे का भुगतान कर दिया गया है। अवशेष कृषकों के भी भूमि की रजिस्ट्री कराने एवं मुआवजे के भुगतान की कार्यवाही प्रगति पर है।

उपरोक्तानुसार।

जी हां।

दिनांक 2-2-05 एवं 3-2-05 को हिन्दी दैनिक, स्वतंत्र चेतना, गोरखपुर एवं भारतीय बस्ती तथा उर्दू दैनिक मशरकी आवाज, गोरखपुर समाचार-पत्रों में।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में समान शिक्षा नीति लागू किये जाने की मांग

47-कुं0 रतनजीत प्रताप नारायण सिंह-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि माह मई के प्रथम सप्ताह वर्ष 2005 से प्रदेश में समान शिक्षा नीति लागू करने की घोषणा मा0 मुख्य मंत्री द्वारा की गयी थी ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री किरनपाल सिंह-

जी नहीं। तथापि राज्य सरकार द्वारा शिक्षा के समान अवसर उपलब्ध कराने के विषय में आवश्यक संस्तुति देने हेतु एक उच्च स्तरीय समिति गठित की गयी है।

शिक्षा के समान अवसर हेतु राज्य सरकार द्वारा गठित उच्च स्तरीय समिति की प्रथम बैठक सुश्री रूपरेखा वर्मा, पूर्व कुलपति, लखनऊ विश्वविद्यालय की अध्यक्षता में दिनांक 16-2-06 को सम्पन्न हुई।

उपरोक्तानुसार।

सिंचाई विभाग में अधिशासी अभियन्ता सिविल के आरक्षित एवं सामान्य श्रेणी के रिक्त पदों को भरने हेतु कार्यवाही की मांग

48-श्री श्याम सिंह अहेरिया-

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सिंचाई विभाग में अधिशासी अभियन्ता सिविल के आरक्षित एवं सामान्य श्रेणी के पदों की कुल संख्या कितनी है एवं उनके विरुद्ध कितने अधिशासी अभियन्ता कार्यरत हैं ? रिक्त पदों को भरने हेतु क्या कोई कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ? उक्त कार्यवाही कब तक की जायेगी ?

डा0 मैराज उद्दीन अहमद-

सिंचाई विभाग में अधिशासी अभियन्ता (सिविल) के कुल स्वीकृत पदों की संख्या 591 (550+41 प्रतिनियुक्ति रिजर्व के रूप में) है, जिनमें से सामान्य श्रेणी के 456 तथा आरक्षित श्रेणी के 135 पद हैं व इनके सापेक्ष वर्तमान में क्रमशः सामान्य श्रेणी के 441 व आरक्षित श्रेणी के 126 अधिकारी अधिशासी अभियन्ता के पद पर कार्यरत हैं।

रिक्त पदों को भरने हेतु चयन की कार्यवाही की जा चुकी है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद-झांसी के ग्राम पंचायत बसारी (मैगांव) में जू0 हा0 स्कूल का निर्माण कार्य मानक के अनुरूप न कराये जाने की जांच

49-श्री रामहेत भारती-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि जनपद-झांसी के वि0खं0 गुरुसराय के ग्राम पंचायत बसारी (मैगांव) में जू0 हा0 स्कूल का निर्माण कार्य मानक के अनुरूप न कराये जाने के कारण विद्यालय भवन में कई जगह दरारें पड़ गयी हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार इसकी जांच कराकर दोषी के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्री किरनपाल सिंह-

जी हां।

जांचोपरान्त नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

प्रश्न नहीं उठता।

के0पी0एल0टी0 प्रशिक्षण महाविद्यालय, इलाहाबाद के कतिपय सेवानिवृत्त शिक्षकों को पेंशन के भुगतान की मांग

50-डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि के0पी0एल0टी0 प्रशिक्षण महाविद्यालय, इलाहाबाद के सेवानिवृत्त शिक्षक श्री नर्वदा प्रसाद, श्रीमती लक्ष्मी शाह, श्री प्रेमकान्त, श्री राज मोहन, श्रीमती पदमा रानी, श्री सतीश कुमार एवं सुश्री कमला श्रीवास्तव को नवम्बर, 2003 से 31 अक्टूबर, 2005 तक पेंशन का भुगतान कर दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या सरकार कृपया यह भी बतायेगी कि प्रदेश के एल0टी0 महाविद्यालयों के सेवानिवृत्त शिक्षकों को क्या ट्रेजरी (कोषागार) बैंक द्वारा पेंशन का भुगतान किया जा रहा है ? यदि नहीं, तो क्या सरकार सेवानिवृत्त शिक्षकों को पेंशन का भुगतान कोषागार/बैंक से कराने की व्यवस्था करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री किरनपाल सिंह-

सूचना एकत्र की जा रही है।

आई0ई0आर0टी0 इलाहाबाद में बी0 टेक0 प्रवेश में की गयी अनियमितता की जांच

51-डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 26-10-2005 जो आई0ई0आर0टी0 इलाहाबाद में बी0 टेक0 प्रवेश में की गयी अनियमितता के सम्बन्ध में था, सचिव, प्राविधिक शिक्षा उ0 प्र0 शासन को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो क्या शासन ने इसकी कोई जांच करायी है ? जांच में क्या अनियमितता पायी गयी है तथा दोषी लोगों के विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

सरकार द्वारा स्थायी मान्यता प्राप्त माध्यमिक स्कूलों को अनुदान सूची में लिये जाने की मांग

52-श्री सत्य प्रकाश अग्रवाल-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सरकार द्वारा किस वर्ष तक के स्थायी मान्यता प्राप्त माध्यमिक स्कूलों को अनुदान सूची में लिये जाने का प्राविधान किया गया है ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

दिनांक 14-10-1986 के पूर्व माध्यमिक शिक्षा परिषद् उ0 प्र0 की धारा-7(क) के अन्तर्गत स्थायी मान्यता प्राप्त स्कूलों को अनुदान सूची पर लिये जाने का प्राविधान है।

उ0 प्र0 माध्यमिक संस्कृत शिक्षा परिषद् से उत्तर मध्यमा पास छात्राओं को भी कन्या विद्या धन योजना के तहत रुपये दिये जाने की मांग

53-श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह "मुन्ना"-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सरकार द्वारा उ0 प्र0 माध्यमिक शिक्षा परिषद् की इण्टर परीक्षा में उत्तीर्ण कन्याओं/छात्राओं को कन्या विद्या धन योजना के अन्तर्गत 20-20 हजार रुपये देने का प्राविधान किया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार उ0 प्र0 माध्यमिक संस्कृत शिक्षा परिषद् से इण्टर के समकक्ष उत्तर मध्यमा पास छात्राओं को भी कन्या विद्या धन योजना के तहत 20-20 हजार रुपये देने का प्राविधान करेगी ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

जी हां।

जी नहीं।

निर्वाचन क्षेत्र पूरनपुर (पीलीभीत) के मान्यता प्राप्त अशासकीय असहायिक जूनियर हाई स्कूलों को अनुदान सूची पर लिये जाने की मांग

54-डा0 विनोद तिवारी-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता के निर्वाचन क्षेत्र पूरनपुर (पीलीभीत) में कितने मान्यता प्राप्त अशासकीय असहायिक जूनियर हाई स्कूलों को अनुदान सूची में लिया गया है तथा कितने शेष हैं ? शेष स्कूलों को कब तक अनुदान सूची में ले लिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री किरन पाल सिंह-

02 स्थायी मान्यता प्राप्त अशासकीय जूनियर हाई स्कूलों को अनुदान सूची पर लिया गया है तथा 06 विद्यालय शेष हैं।

वर्तमान में प्रदेश के मान्यता प्राप्त अशासकीय असहायिक जू0 हा0 स्कूलों को अनुदान सूची पर लिए जाने का प्रदेश सरकार का कोई निर्णय नहीं है। भविष्य में यदि इस सम्बन्ध में कोई निर्णय लिया जाता है तो निर्वाचन क्षेत्र पूरनपुर (पीलीभीत) के शेष 06 जू0 हा0 स्कूलों को अनुदान सूची पर लिए जाने के सम्बन्ध में नियमानुसार विचार किया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बरेली की किच्छा नहर की सफाई कराने के सम्बन्ध में पत्र

55-श्री सुल्तान बेग-

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र क्र0 सं0 सी0 10134485 पत्र सं0 सी0 एम0/वि0 को0/एम-134485/2005 जो किच्छा नहर जनपद बरेली की सफाई हेतु धन उपलब्ध कराकर सफाई कार्य कराने के सम्बन्ध में था, उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 मैराज उद्दीन अहमद-

जी हां।

किच्छा नहर प्रणाली की पुनर्स्थापना हेतु उस पर बने पक्के कार्यों की मरम्मत के लिये विस्तृत सर्वेक्षण कराकर परियोजना तैयार की जा रही है।

प्रश्न नहीं उठता।

बलिया के नरहेजी इण्टर कालेज, नरही में सृजित पदों के सापेक्ष नियुक्त पद धारकों को वेतनमान के अनुसार भुगतान किये जाने की जानकारी

56-श्री घूरा राम-

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 19-9-96 के निर्देश पर गठित शासन की उच्च स्तरीय जांच समिति द्वारा अपनी रिपोर्ट दिनांक 8-7-97 में नरहेजी इण्टर कालेज नरही, बलिया में 30 सृजित पदों को वैध माना है और उसमें सर्वश्री रविशंकर पाण्डेय, मंगला सिंह एवं श्री सुरेन्द्र सिंह की नियुक्तियों को पद के सापेक्ष माना है ? यदि हां, तो क्या उक्त नियुक्त पदधारकों को वेतनमान के अनुसार भुगतान किया जा रहा है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

सूचना एकत्र की जा रही है।

नरहेजी इण्टर कालेज, नरही रसड़ा, बलिया के शिक्षकों/शिक्षणेत्तर कर्मचारियों की अनियमित नियुक्ति की जांच

57-श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह "मुन्ना"-

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि श्री नरहेजी इंटर कालेज नरही रसड़ा, बलिया के शिक्षकों/शिक्षणेत्तर कर्मचारियों की, की गयी नियुक्तियों की जांच सी0 बी0 सी0 आई0 डी0 उ0 प्र0 लखनऊ से कराई गई थी ? यदि हां, तो क्या जांच आख्या में की गयी संस्तुतियों के आधार पर संस्था में नियमानुकूल पाये गये शिक्षकों/शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के अवरुद्ध वेतन को अवमुक्त कराने के निर्देश शासनादेश संख्या 161/15-12-05-1600 (912)/2003 शिक्षा अनुभाग-12 दिनांक 30 मार्च, 05 द्वारा शिक्षा निदेशक (माध्यमिक) को दिये गये हैं ? यदि हां, तो शिक्षकों का वेतन कब तक दे दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

जी हां।

जी हां।

उक्त शासनादेश के परिप्रेक्ष्य में शिक्षा निदेशक, माध्यमिक से कृत कार्यवाही की सूचना प्राप्त की जा रही है।

प्रश्न नहीं उठता।

उत्तर प्रदेश के संस्कृत शिक्षकों को साधारण वेतनमान, चयन वेतनमान एवं प्रोन्नत वेतनमान दिये जाने की मांग

58-श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह "मुन्ना"-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उ0 प्र0 शासन संस्कृत शिक्षा अनुभाग के पत्र संख्या-77 सं0/25-9-2005-25 (3)/2005 लखनऊ दिनांक 22 मार्च, 2005 के द्वारा उत्तर प्रदेश के संस्कृत शिक्षकों को साधारण वेतनमान चयन वेतनमान एवं प्रोन्नत वेतनमान दिये जाने का प्रश्न वित्त

वेतन आयोग को संदर्भित किया गया है ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

शासन के संस्कृत शिक्षा अनुभाग के पत्र संख्या-77 सं0/15-9-2005-25 (3)/2005, दिनांक 22 मार्च, 2005 द्वारा उत्तर प्रदेश के संस्कृत शिक्षकों को साधारण वेतनमान, चयन वेतनमान एवं प्रोन्नत वेतनमान दिये जाने का प्रश्न वित्त वेतन आयोग को संदर्भित नहीं किया गया है। उक्त शासनादेश (कार्यालय-ज्ञाप) दिनांक 22 मार्च, 2005 के द्वारा प्रधानाचार्य श्री राजाराम संस्कृत महाविद्यालय, गोपीगंज, संतरविदास नगर भदोही का प्रत्यावेदन निस्तारित करते हुए अवगत कराया गया है कि प्रदेश के संस्कृत शिक्षकों को त्रिस्तरीय साधारण, चयन, प्रोन्नत वेतनमान के सम्बन्ध में पत्रावली वित्त वेतन आयोग को संदर्भित की गई है।

वित्त वेतन आयोग की सहमति/संस्तुति प्राप्त होने के पश्चात् उ0 प्र0 के संस्कृत शिक्षकों को साधारण वेतनमान, चयन वेतनमान एवं प्रोन्नत वेतनमान दिये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी।

59-श्री राम करन आर्य-

[मा0 उच्च न्यायालय के विचाराधीन होने के कारण निरस्त]

उत्तर प्रदेश सैनिक स्कूल सरोजनी नगर, लखनऊ में तैनात शिक्षकों व कर्मचारियों का बकाया वेतन व एरियर का भुगतान कराये जाने की मांग

60-श्री राम करन आर्य-

विधान सभा के तृतीय सत्र, 2005 के पहले मंगल हेतु निर्धारित अतारांकित प्रश्न संख्या-43 के उत्तर के सम्बन्ध में क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि क्या विद्यालय तंत्र द्वारा कर्मचारियों/शिक्षकों को भुगतान कर दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ? उक्त भुगतान कब तक कर दिया जायेगा ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

जी हां।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्नगत भुगतान सम्बन्धित कर्मचारियों को कर दिया गया है।

उत्तर प्रदेश के भूगर्भ जल विभाग में पूर्वगामी तिथि से निर्गत किये गये विनियमितीकरण आदेश निरस्त किये जाने की मांग

61-श्री अजीम भाई-

क्या लघु सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि भूगर्भ जल विभाग में उत्तर प्रदेश तदर्थ प्रोन्नतियों की नियमितीकरण नियमावली, 1988 के अन्तर्गत दिनांक 11 जून, 1992 को कितने अधिकारियों को द्वितीय श्रेणी के पद पर विनियमितीकरण किया गया है ? क्या उक्त विनियमितीकरण नियमावली निर्गत होने की तिथि से पूर्व की तिथि में भी कतिपय अधिकारियों का विनियमितीकरण किया गया है ? यदि हां, तो क्या पूर्वगामी तिथि से निर्गत किये गये विनियमितीकरण आदेश निरस्त किये जायेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शाकिर अली-

उ0 प्र0 (लोक सेवा आयोग के क्षेत्रान्तर्गत पदों पर) तदर्थ पदोन्नतियों का विनियमितीकरण नियमावली, 1988 के अन्तर्गत शासनादेश संख्या-2044/54-3-92, दिनांक 11-6-92 द्वारा भूगर्भ जल विभाग में कार्यरत श्री संत शरण सिंह यादव, सहायक अभियन्ता (यांत्रिक), श्री राजेन्द्र प्रसाद मिश्रा, सहायक अभियन्ता (यांत्रिक), श्री माया प्रकाश त्रिपाठी, सहायक अभियन्ता (सिविल) एवं श्री विश्वनाथ श्रीवास्तव, सहायक अभियन्ता (सिविल), कुल 04 अधिकारियों का द्वितीय श्रेणी के पद पर विनियमितीकरण किया गया है।

जी हां। उ0 प्र0 (लोक सेवा आयोग के क्षेत्रान्तर्गत पदों पर) तदर्थ पदोन्नतियों का विनियमितीकरण नियमावली, 1988 निर्गत होने की तिथि दिनांक 03-11-88 के पूर्व उपर्युक्त 4 सहायक अभियन्ताओं के अतिरिक्त कार्यालय-ज्ञाप सं0-944/38-8-94-141/89, दिनांक 26-2-94 तथा इसके अनुक्रम में निर्गत कार्यालय-ज्ञाप सं0-1649/62-1-2000-141/89, दिनांक 19-8-2000 द्वारा मा0 उच्च न्यायालय के आदेशों के अनुपालन में श्री कैलाश चन्द्र शर्मा को सहायक भूगर्भ शास्त्री के पद पर दिनांक 07-3-83 से विनियमित किया गया है।

प्रश्नगत प्रकरण में कार्मिक विभाग का परामर्श पृथक से प्राप्त किया जा रहा है एवं समग्र तथ्यों के आलोक में कार्मिक विभाग के परामर्शानुसार अग्रेतर कार्यवाही यथासमय सुनिश्चित की जाएगी।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद सीतापुर के विकास खण्ड महोली, ऐलिया तथा हरगांव के प्राथमिक विद्यालयों तथा मा0 विद्यालयों के छात्रों को निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों का वितरण किये जाने की मांग

62-श्री रामहेत् भारती-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद-सीतापुर के विकास खण्ड महोली, ऐलिया तथा हरगांव के प्राथमिक विद्यालयों तथा पूर्व मा0 विद्यालयों में समस्त छात्रों को शिक्षा सत्र 2005-06 की निःशुल्क पाठ्य-पुस्तकों का वितरण करा दिया गया है ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों ? पाठ्य-पुस्तकों का वितरण कब तक करा दिया जायेगा ?

श्री किरनपाल सिंह-

जी हां।

अगस्त, 2005 में।

प्रश्न नहीं उठता।

पाठ्य पुस्तकों का वितरण अगस्त, 2005 में कराया जा चुका है।

प्रदेश के परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों, सरकारी विद्यालयों की श्रेणी में रखे जाने की मांग

63-कुं0 रतनजीत प्रताप सिंह-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में चल रहे परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों तथा परिषदीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों को सरकारी विद्यालयों की श्रेणी में रखा गया है ? यदि हां, तो ऐसे विद्यालयों की संख्या कितनी है ? क्या सरकार इनको शासन द्वारा दी जाने वाली सरकारी सुविधाओं का विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री किरनपाल सिंह-

जी नहीं।

प्रश्नगत विद्यालय उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद् द्वारा संचालित हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

उ0 प्र0 बेसिक शिक्षा परिषद् के सेवानिवृत्त कर्मचारियों की बढ़ी हुई सेवा अवधि पर ग्रेच्युटी का लाभ दिये जाने पर विचार

64-श्री अनिल कुमार मौर्य-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सरकारी कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति आयु 58 से 60 वर्ष किये जाने पर क्या बढ़ी हुई सेवा अवधि पर ग्रेच्युटी का लाभ अनुमन्य है ? यदि हां, तो क्या सरकार उ0 प्र0 बेसिक शिक्षा परिषद् के सेवानिवृत्त कर्मचारियों को बढ़ी हुई सेवा अवधि पर ग्रेच्युटी का लाभ देने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री किरनपाल सिंह-

जी हां।

सेवानिवृत्त कर्मचारियों का प्रकरण अभी विचाराधीन नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बलिया के डी0ए0वी0 इण्टर कालेज सीयर (बेल्थरा रोड) की जर्जर व पुरानी बिल्डिंग की मरम्मत कराये जाने की मांग

65-श्री राम करन आर्य तथा डा0 पूर्णमासी देहाती-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि डी0 ए0 वी0 इण्टर कालेज सीयर (बेल्थरा रोड) जनपद-बलिया की बिल्डिंग जर्जर व पुरानी हो गयी है, जिससे दुर्घटना होने का भय बना रहता है ? यदि हां, तो क्या सरकार धन स्वीकृत करके उक्त विद्यालय की मरम्मत करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

जी, हां।

जनपद-बलिया के तहसील सीयर (बेल्थरा रोड) स्थित डी0ए0वी0 इण्टर कालेज अशासकीय सहायता प्राप्त इण्टर स्तर तक मान्यता प्राप्त विद्यालय है। अशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों के भवन की मरम्मत आदि हेतु शासन की कोई नीति/योजना नहीं है।

66-कुं0 आर0 पी0 एन0 सिंह

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त]

श्री अवधेश नारायण त्रिपाठी, पूर्व अध्यापक, आदर्श इण्टर कालेज, टाण्डा, अम्बेदकर नगर को पेंशन दिये जाने की मांग

67-डा0 सुशील चौधरी-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मण्डलीय उपशिक्षा निदेशक फैजाबाद के पत्र संख्या-सा02/पेंशन-1/ 4225-28/3-04, दिनांक 11-12-03 द्वारा श्री अवधेश नारायण त्रिपाठी,

आदर्श जनता इं0 का0 टाण्डा, जनपद-अम्बेदकर नगर को पेंशन दिये जाने विषयक पत्र कोषाधिकारी, अम्बेदकर नगर को भेजा गया था, प्राप्त हुआ हैं ? यदि हां, तो क्या श्री त्रिपाठी की वर्ष 1963 से वर्ष 1976 तक की सेवाओं को सम्मिलित करते हुये पेंशन पुनरीक्षित की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

सूचना एकत्र की जा रही है।

प्रदेश में मिड डे मील योजना की व्यवस्था न्यायालय के निर्देशानुसार ग्राम प्रधान व ग्राम विकास अधिकारी के माध्यम से संचालित कराये जाने की मांग

68-श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह "मुन्ना"-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मा0 सर्वोच्च न्यायालय में दायर याचिका सं0 196/2001 के संबंध में दिनांक 28-11-2001 एवं 20-4-2004 को दिये गये निर्णय के अनुसार मिड डे मील योजना की व्यवस्था ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत विकास अधिकारी से कराने का आदेश था ? यदि हां, तो क्या यह सही है कि जिलाधिकारी, रायबरेली ने अपने आदेश सं0 5227-36/जि0वे0शि0अ0/मध्याह्न योजना/2005 दिनांक 17-11-2005 द्वारा मिड डे मील की व्यवस्था प्रधानाध्यापकों से कराने का आदेश दिया है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री किरन पाल सिंह-

जी हां।

जी हां।

कतिपय ग्राम प्रधानों द्वारा कार्यक्रम में यथेष्ट रुचि न लिए जाने के कारण योजना के लाभकारी परिणाम प्राप्त करने के उद्देश्य से जिलाधिकारी, रायबरेली के आदेश दिनांक 17-11-05 द्वारा तत्कालीन व्यवस्था के अन्तर्गत खाद्यान्न एवं कन्वर्जन कास्ट प्रधानाध्यापकों को प्रदान करने एवं उनकी देखरेख में नियमित भोजन वितरण कराने के निर्देश दिये गये थे जिसे बाद में अपने पत्र दिनांक 15-12-05 के द्वारा निरस्त कर दिया गया। वर्तमान में जनपद में मध्याह्न पोषाहार योजना के अन्तर्गत भोजन का वितरण संबंधित ग्राम पंचायतों के ग्राम प्रधानों/ग्राम पंचायत विकास अधिकारियों के माध्यम से संचालित किया जा रहा है।

माध्यमिक शिक्षा परिषद् उत्तर प्रदेश की परीक्षाओं में नकल कराने में संलिप्त पाये गये कक्ष निरीक्षकों के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही किये जाने की मांग

69-डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 2005 में माध्यमिक शिक्षा परिषद्, उ0 प्र0 की परीक्षायें प्रदेश में कितने परीक्षा केन्द्रों पर सम्पन्न हुई तथा कितने केन्द्रों पर नकल के मामले पकड़े गये ? प्रदेश में कितने परीक्षा केन्दों के परीक्षा सुपरिन्डेन्ट तथा कक्ष निरीक्षकों को नकल कराने में संलिप्त पाया गया तथा इनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या कुछ जनपदों में सामूहिक नकल की भी शिकायतें प्राप्त हुई हैं ? यदि हां, तो ऐसे परीक्षा केन्द्रों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

सूचना एकत्र की जा रही है।

(01 बजे सहायक मार्शल ने सदन को सूचित किया कि श्री अध्यक्ष ने सदन का स्थगन आधा घण्टे और बढ़ा दिया है। 1 बजकर 30 मिनट पर सहायक मार्शल ने पुनः सूचित किया कि श्री अध्यक्ष ने सदन का स्थगन 3 बजे तक के लिये बढ़ा दिया है। 3 बजकर 01 मिनट पर सदन की कार्यवाही श्री अध्यक्ष की अध्यक्षता में पुनः आरम्भ हुई।)

(कोरम के अभाव में सदन की कार्यवाही 01 मिनट विलम्ब से आरम्भ हुई।)

विधान सभा के उप चुनाव में क्षेत्र संख्या-166-कौड़ीराम, जनपद गोरखपुर से निर्वाचित सदस्य श्री राम भुआल निषाद द्वारा शपथ ग्रहण

श्री अध्यक्ष-

सर्वप्रथम श्री राम भुआल निषाद जी आयें शपथ के लिए।

(श्री राम भुआल निषाद ने सदस्य विधान सभा की शपथ ग्रहण की।)

(मेजों की थपथपाहट)

मुजफ्फरनगर में इन्सपेक्टर श्री उदय प्रताप सिंह की अपराधियों द्वारा की गयी हत्या का प्रकरण

*श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, मैं एक महत्वपूर्ण विषय की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। माननीय मुख्य मंत्री जी नेता सदन यहां पर मौजूद हैं। आपको स्मरण होगा कि मुजफ्फरनगर जनपद में एक पुलिस इंस्पेक्टर की निर्मम हत्या जो शहीद हुआ एक तरह से। अपनी ड्यूटी को अन्जाम देते हुए उसने बदमाशों को पकड़ा था, उसमें दो भाग गये थे। जिसको पकड़ा था उनके द्वारा उसकी गोली मार कर हत्या कर दी गयी, मौके पर हत्या कर दी गयी। वह वर्दी में था, ड्यूटी पर था। माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने सदन में आश्वासन दिया था कि नेता सदन से परामर्श करके इसकी घोषणा की जायेगी। मेरा आग्रह है माननीय नेता सदन से कि वे यहां पर बैठे हुए हैं ऐसे अवसर पर, जब एक आदमी ने अपनी जान पर खेल करके अपनी ड्यूटी को अन्जाम दिया हो और उसने अपने प्राणों को न्योछावर कर दिया हो अपनी ड्यूटी के ऊपर तब उसको आर्थिक सहायता के रूप में कम से कम 10 लाख रुपये और उसके बेटे को सरकारी नौकरी देने की कृपा करें।

मुख्य मंत्री (श्री मुलायम सिंह यादव)-

अध्यक्ष महोदय, माननीय हुकुम सिंह जी ने जो सवाल उठाया है, वह संवेदनशील भी है और गम्भीर भी है। मान्यवर, हमारी पहली घोषणा आज नहीं, 1997-98 को मैंने की थी। जब फौज में शहीद होने वालों को 10 लाख रुपया दिये गये तो वह हमने करवाये थे तो मैंने यहां भी घोषणा की थी कि इसी तरह अगर कोई भी हमारा सुरक्षा बल, चाहे वह पी0ए0सी0 हो, चाहे पुलिस हो या अन्य केन्द्रीय सुरक्षा बल उत्तर प्रदेश में शहीद होंगे तो हम उसी तरह की सुविधा देंगे। मैं 10 लाख रुपये की घोषणा करता हूं और उसके लड़के को हम जो भी होगा परिवार का, नौकरी भी देंगे। (मेजों की थपथपाहट) और भी, कोई भी हम देख लेंगे सहायता तत्काल और क्या हो सकती है वह भी हम सहायता करेंगे। बड़ी बहादुरी से अपराधियों का मुकाबला करते हुए वह शहीद हुआ है। हम उसको

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्रद्धांजलि भी देते हैं और उनके परिवार तक यह पूरे सदन की भावना पहुंचाना चाहते हैं। इस संकट में हम दुःखी परिवार के साथ इस दुख में साथ हैं।

श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, उस इन्सपेक्टर का नाम उदय प्रताप सिंह है।

नियम-301 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष-

आज दिनांक 28 मार्च, 2006 को नियम-301 के अन्तर्गत संज्ञान में लाने हेतु कुल 16 सूचनाएं प्राप्त हुईं। प्राप्त सूचनाओं में से निम्नलिखित माननीय सदस्यों की सूचनाएं स्वीकार की गईं-पहली सूचना श्री हरि प्रताप सिंह की सीतापुर रोड लखनऊ मुख्य मार्ग को मिलाने वाले तपस्वी नगर के कच्चे मार्ग (देवकी अस्पताल के पीछे) को पक्का (डामरीकृत) कराये जाने के सम्बन्ध में, दूसरी सूचना श्री ओम प्रकाश (ओ0पी0 सिंह) की जनपद सुल्तानपुर के तहसील कादीपुर में जनपदीय शिक्षा विभाग के अधिकारियों द्वारा शिक्षा मित्रों की नियुक्ति में मानक की अनदेखी करने एवं अनियमितताएं बरतने के सम्बन्ध में, तीसरी सूचना श्री विश्राम सिंह यादव की जनपद हरदोई कस्बा बिलग्राम में उन्नाव जिले से विद्युत आपूर्ति न होने के कारण विद्युत आपूर्ति हरदोई जनपद के सुरसा उपकेन्द्र से बिलग्राम कस्बे को विद्युत दिये जाने के सम्बन्ध में, चौथी सूचना डा0 पूर्णमासी देहाती की जनपद कुशीनगर में वर्ष 1998-99 में सांसद निधि से उपलब्ध कराये गये धन से विद्युतीकरण न कराये जाने के सम्बन्ध में, पांचवीं सूचना श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह की जनपद प्रतापगढ़ के विकास खण्ड आसपुर में देवसरा पट्टी, मगरौरा, रामकोला तथा अन्य कुछ ग्राम सभाओं में विद्युत पोल लगे होने के बावजूद विद्युत सप्लाई न मिलने के सम्बन्ध में, छठी सूचना श्री सलिल विश्नोई की कानपुर महानगर में सीवर जाम तथा कूड़ा न उठाये जाने तथा मच्छरों की अधिकता के कारण बीमारी फैलने तथा सफाई न होने के सम्बन्ध में, सातवीं सूचना श्री सुन्दर सिंह की जनपद बुलन्दशहर के ऊंचा गांव सफदलपुर, अमरगढ़, खानपुर मार्ग को ठीक कराने हेतु धन की उपलब्धता कराने के सम्बन्ध में, आठवीं सूचना श्री मुंशी लाल गौतम की जनपद बुलन्दशहर के विधान सभा क्षेत्र शिकारपुर में शिकारपुर से जहांगीराबाद के क्षतिग्रस्त मार्ग को ठीक कराये जाने के सम्बन्ध में, नवीं सूचना श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव की रेडक्रास सेन्ट जान ऐम्बुलेन्स एसोशियेशन के प्रमाण-पत्रों को वेटेज दिये जाने हेतु शासनादेश जारी किये जाने के सम्बन्ध में, दसवीं सूचना श्री स्वामी प्रसाद मौर्य की जनपद रायबरेली के विकास खण्ड दीनशाहगौरा के अन्तर्गत पूरेइच्छासिंह-जलालपुरधई क्षतिग्रस्त सम्पर्क मार्ग की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में, ग्यारहवीं सूचना श्री चौधरी महेन्द्र सिंह की जनपद अलीगढ़ के नगर निगम पार्क में डा0 भीमराव अम्बेडकर जी की अष्टधातु की प्रतिमा लगवाये जाने के सम्बन्ध में, बारहवीं सूचना डा0 विनोद तिवारी की उप जिला अधिकारी, पूरनपुर, पीलीभीत की हठधर्मिता के चलते होलिका दहन न हो पाने के सम्बन्ध में, तेरहवीं सूचना डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल की गोरखपुर महानगर के अपूर्ण तथा कच्चे नालों को पक्का एवं पूर्ण कराये जाने तथा पानी की निकासी ठीक कराये जाने के सम्बन्ध में।

डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल-

अध्यक्ष महोदय, अगर आप अनमति दें ?

मुख्य मंत्री (श्री मुलायम सिंह यादव)-

मान्यवर, करा देंगे।

श्री अध्यक्ष-

चौदहवीं सूचना श्री द्वारिका प्रसाद की जनपद संतकबीर नगर के अन्तर्गत कटनइया नदी पर बने और अब जर्जर हो गये लकड़ी के पुल के स्थान पर 30 मीटर लम्बाई का पक्का पुल बनाये जाने के सम्बन्ध में है।

माननीय सदस्यों के नाम जिनकी सूचनायें अस्वीकार की गयीं। 1-श्री विवेक बंसल तथा 2-श्री रिजवान अहमद खां।

स्वीकृत सभी सूचनाएं पढ़ी हुई मानी जाती हैं।

सीतापुर रोड लखनऊ मुख्य मार्ग को मिलाने वाले तपस्वी नगर के कच्चे मार्ग को डामरीकृत कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री हरि प्रताप सिंह-

[मान्यवर, तपस्वी नगर (अहिबरनपुर) मार्ग जो सीतापुर रोड लखनऊ मुख्य मार्ग को मिलाता है, अभी तक कच्चा और गड्ढा युक्त है। वर्षा होने पर उसमें कीचड़ भर जाता है और सूखे में धूल उड़ती है जिससे लोगों के आने जाने में अत्यन्त कठिनाई होती है। यह रास्ता अत्यन्त चालू है। पास ही में देवकी अस्पताल होने के कारण लोगों का चौबीस घण्टे आना जाना लगा रहता है। तपस्वी नगर को जाने वाले इस पूरे मार्ग की लम्बाई लगभग 500 मीटर है। जिसके निर्माण कार्य में अत्यधिक वित्तीय भार भी नहीं पड़ सकता है और सम्भवतः इस मार्ग के निर्माण का आगणन भी नगर निगम द्वारा किया जा चुका है।

अतः मैं इस लोक महत्व के प्रश्न को सदन के संज्ञान में लाकर इसे शीघ्रातिशीघ्र पक्का बनाये जाने की मांग करता हूं।]

जनपद सुल्तानपुर की तहसील कांदीपुर में जनपदीय शिक्षा विभाग के अधिकारियों द्वारा शिक्षा मित्रों की नियुक्ति में अनियमितताएं बरतने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री ओम प्रकाश (ओ0 पी0 सिंह)-

[जनपद-सुल्तानपुर के विधान सभा क्षेत्र जयसिंहपुर के अन्तर्गत तहसील सदर एवं तहसील कांदीपुर के अन्तर्गत आने वाले गांवों में बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा शिक्षामित्रों के चयन में जनपदीय अधिकारी शिक्षा विभाग द्वारा भारी अनियमितताएं और मानक की अनदेखी करके शिक्षामित्रों का चयन किया जा रहा है। कई गांव में मेरिट को दर किनार कर व्यक्तिगत लाभ अभ्यर्थियों के माध्यम से लेकर शिक्षामित्रों का चयन किया जा रहा है।

बेसिक शिक्षा अधिकारी, सुल्तानपुर जो पड़ोस के ही जनपद के रहने वाले हैं वहां व्यक्तिगत संबंधों के आधार पर शिक्षामित्रों के चयन में भारी अनियमितताएं और भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहे हैं। मानक और मेरिट को अनदेखी करके शिक्षामित्रों के चयन से लोगों के अन्दर आक्रोश व्याप्त है।

अतः जनपद-सुल्तानपुर में शिक्षामित्रों के चयन में अनियमितताएं किये जाने के विषय पर मैं सदन में सरकार का ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूं।]

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जनपद हरदोई के बिलग्राम कस्बे में विद्युत आपूर्ति जनपद के ही सुरसा उपकेन्द्र से कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री विश्राम सिंह यादव-

[मान्यवर, हरदोई जनपद के कस्बा बिलग्राम में उन्नाव जिले से विद्युत आपूर्ति होने के कारण इस कस्बे को विद्युत सप्लाई नहीं मिल पाती है क्योंकि उन्नाव जनपद के विद्युत विभाग के अधिकारियों की लापरवाही के कारण कोई न कोई कमी बनी रहती है जिसके कारण यह तहसील हेडक्वार्टर का कस्बा विद्युत आपूर्ति से बाधित रहता है इसलिये मैंने इस कस्बे को विद्युत आपूर्ति करने हेतु हरदोई जनपद के विद्युत उपकेन्द्र सुरसा से लाइन जोड़ने का कई बार नियम 301 व नियम 51 के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाने हेतु सूचनाएं दी, जो स्वीकृत भी हुई। और गत बजट सत्र में इस हेतु सदन का आश्वासन भी है फिर भी अभी तक हरदोई जिले के सुरसा विद्युत उपकेन्द्र से बिलग्राम कस्बे की विद्युत लाइन नहीं जोड़ी गयी इसके कारण क्षेत्रीय जनता में घोर असन्तोष एवं आक्रोश व्याप्त है।

अतः अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय को आदरणीय सदन के संज्ञान में लाकर हरदोई जनपद के सुरसा उपकेन्द्र से बिलग्राम कस्बे को विद्युत लाइन से जोड़कर विद्युत आपूर्ति करने की मांग करता हूं।]

जनपद कुशीनगर में सांसद निधि से उपलब्ध कराये गये धन से विद्युतीकरण न कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री पूर्णमासी देहाती-

[मेरे क्षेत्र के ग्राम फटकदौना विकास खण्ड खड्डा जनपद कुशीनगर में वर्ष 1998-99 में सांसद निधि से उपलब्ध कराये गये धन से विद्युतीकरण न कराये जाने से सम्बन्धित यह भी विदित हो कि खम्भे, ट्रान्सफार्मर, तार सभी सामग्री ग्राम सभा में उपलब्ध होने के बाद भी कार्य पूर्ण न कराये जाने से जनता में काफी आक्रोश है। जनहित में कार्य कराया जाना आवश्यक है। तत्काल कार्य कराया जाय जिससे जनता को लाभ मिल सके।

अतः इस लोक महत्व के प्रश्न पर सरकार का ध्यान आकर्षित करते हुए विद्युत व्यवस्था पूर्ण कराये जाने की मांग करता हूं।]

जनपद प्रतापगढ़ के विकास खण्ड आसपुर में कतिपय ग्राम सभाओं में विद्युत पोल होने के बावजूद विद्युत आपूर्ति न होने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह-

[विधान सभा क्षेत्र पट्टी जनपद प्रतापगढ़ के विकास खण्ड आसपुर देवसरा, पट्टी, मंगरौरा एवं बाबा केदारनाथ धाम की ग्रामसभा होशियारपुर, रामकोला, चन्दुआ पट्टी, गड़ौरी कला, गड़ौरी खुर्द, में बहुत से ऐसे ग्राम जिनमें विद्युत पोल विगत 3 वर्षों से खड़े हैं परन्तु उन पर आज तक तार नहीं खींचा गया, जिससे लोगों को विद्युत आपूर्ति नहीं हो पा रही है। इसी प्रकार राजीव गांधी विद्युतीकरण

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।
नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

योजना के अन्तर्गत जो ग्राम सभायें शामिल की गयी हैं उनमें लगाये जा रहे विद्युत पोल की संख्या इतनी कम है जिसके कारण सम्पूर्ण ग्राम सभा को विद्युत सुविधा से पोषित नहीं किया जा पा रहा है जिससे कई हजार लोग सुविधा से वंचित हो रहे हैं।

अतः लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए अविलम्ब कार्य को पूर्ण कराये जाने हेतु कार्यवाही की मांग करता हूं।]

कानपुर महानगर में सीवर जाम व कूड़े के कारण मच्छरों की अधिकता से बीमारी फैलने व सफाई कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री सलिल विश्नोई-

[मान्यवर, कानपुर महानगर में चारों ओर भीषण गंदगी का साम्राज्य व्याप्त है। नालियां भरी हुई हैं और सीवर जाम हैं। सड़कों पर सीवर का पानी फैल रहा है। कूड़ा रोज उठाया नहीं जा पाता, चारों ओर गंदगी ही गंदगी है। इस कारण से पूरा महानगर मच्छरों की अधिकता से परेशान है। घरों की भोजन सामग्री तक मच्छरों से खराब हो रही है। मच्छरों की अधिकता के कारण मलेरिया और डेंगू जैसे रोग ने महानगर में अपने पैर पसारने प्रारम्भ कर दिये हैं। नगर निगम अपने सीमित साधनों से मच्छरों की रोकथाम करने में असमर्थ है। न तो कूड़ा उठवाया जा रहा है और न ही नाली और सीवर की सफाई हो रही है। मच्छर को भगाने के लिए फागिंग भी नहीं की जा रही है जिससे स्थिति चिन्ताजनक हो रही है।

अतः इस लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय पर सरकार से नियम-301 के अन्तर्गत कार्यवाही की मांग करता हूं।]

जनपद बुलन्दशहर के ऊंचागांव आदि कतिपय मार्गों को ठीक कराये जाने हेतु धन उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री सुन्दर सिंह-

[मान्यवर, मेरी विधान सभा स्याना जनपद बुलन्दशहर के ऊंचागांव सबदलपुर, अमरगढ़ खानपुर मार्ग विधान सभा के बीचोबीच से गुजरता है जिससे लगभग 20 गांवों की जनता का आवागमन होता है उक्त मार्ग जर्जर हालत में है जिससे आवागमन में भारी कठिनाई होती है वर्ष 2000-2001 में उक्त मार्ग के लिये राज्य सड़क योजना के अन्तर्गत 48.38 हजार रुपये की धनराशि स्वीकृति हुई थी वर्ष 2005-2006 में उक्त धनराशि 48.20 लाख रुपये की धनराशि आवंटित हुई है जिसमें लगभग 6.25 किमी0 मार्ग का निर्माण हुआ है शेष मार्ग 3.5 किमी0 का निर्माण होना शेष है जिसका संशोधित प्राक्कलन (रिवाइज्ड एस्टीमेट) 81.10 लाख रुपये का शासन में लम्बित है।

अतः माननीय अध्यक्ष जी के माध्यम से सरकार से आग्रह करता हूं कि शेष धनराशि 32.72 लाख रुपये प्राथमिकता से आवंटित कराने की कृपा करें जिससे जनहित में उक्त मार्ग का निर्माण हो सके।]

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जनपद बुलन्दशहर में शिकारपुर से जहांगीराबाद के क्षतिग्रस्त मार्ग को ठीक कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री मुन्शी लाल गौतम-

[मेरे विधान सभा क्षेत्र शिकारपुर जनपद बुलन्दशहर के मार्ग शिकारपुर से जहांगीराबाद पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त है इस मार्ग पर कई गांव समग्र योजना के अन्तर्गत आते हैं जैसे-चांदव, असावरी, जखैता, दूसरी, कुतुबपुर, तैय्यबपुर आदि गांवों से यह मार्ग अनूपशहर चीनी मिल को जाता है, वाहनों के धीमी गति से चलने के कारण रास्ते में दिन-प्रतिदिन रोड लूटने की घटनायें बहन-बेटियों के साथ छेड़-छाड़, कई एक्सीडेंटल घटनायें तथा हत्यायें तक इस शिकारपुर-जहांगीराबाद मार्ग पर हो चुकी हैं जिनके मुकदमें कोतवाली शिकारपुर तथा कोतवाली जहांगीराबाद में पंजीकृत हुए हैं। इस रास्ते का प्राक्कलन तैयार होकर लोक निर्माण विभाग को भेजा गया है, जनता ने कई बार धरना-प्रदर्शन करके भूख-हड़ताल तक की है लेकिन अभी तक इस मार्ग का निर्माण किये जाने के सम्बन्ध में कोई कार्यवाही नहीं की गयी है। जबकि जनपद बुलन्दशहर आदर्श जनपद योजना के अन्तर्गत आता है। जनहित में उक्त मार्ग का निर्माण कराना अति आवश्यक है।

अतः लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुये उक्त मार्ग का निर्माण/जीर्णोद्धार अविलम्ब कराने हेतु कार्यवाही की मांग करता हूं।]

रेड क्रास सेन्ट जान एम्बुलेन्स एसोसियेशन के प्रमाण-पत्रों को वेटेज दिये जाने हेतु शासनादेश जारी किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव-

[मैं आपके माध्यम से लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं।

प्रदेश के बेसिक स्तर के विद्यालयों से लेकर माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा स्तर तक के विद्यालयों में एवं महाविद्यालयों में रेडक्रास/सेन्टजान एम्बुलेन्स एसोशियेशन के माध्यम से जहां एक ओर छात्र/छात्राओं को प्राथमिक चिकित्सा जैसे अति महत्वपूर्ण विषयों में प्रशिक्षित किया जाता है वहीं दूसरी ओर जूनियर रेडक्रास के माध्यम से विद्यार्थियों में स्वास्थ्य सेवा, जीवन रक्षा, स्वयं सेवा, होम नर्सिंग, मदर क्राफ्ट एवं चाइल्ड वेलफेयर तथा परमार्थ की भावना जागृत किया जाता है। शासन द्वारा स्काऊट, एस0 सी0 सी0 एवं एन0 एस0 एस0 के प्रमाण-पत्रों को सरकारी नौकरियों में तथा सेवा, पुलिस एवं अन्य बलों में महत्व दिया जाता है। इसी कारण सभी स्कूल कालेज में स्काउट एवं एन0 एस0 एस0 और एन0 सी0 सी0 प्रशिक्षण की विशेष व्यवस्था रहती है, इसी प्रकार रेडक्रास और सेन्टजान एम्बुलेन्स एसोसियेशन के प्राथमिक उपचार कार्यक्रम, जूनियर रेडक्रास आदि के व्यापक जन सेवा से जुड़े हुये कार्यक्रम प्रदेश के लगभग सभी स्कूलों, कालेजों में चलाये जाने का प्राविधान है एवं विद्यार्थियों के पाठ्यक्रमों में भी रेडक्रास के विषय को रखा गया है परन्तु खेद का विषय है कि रेडक्रास तथा सेन्टजान संस्था से जारी प्रमाण-पत्रों का शासन द्वारा कोई महत्व प्रदान नहीं किया जाता है।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

अतः लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुये शैक्षणिक/प्राविधिक संस्थाओं तथा सरकारी नौकरियों आदि में रेडक्रास/सेन्ट जान एम्बुलेन्स एसोसियेशन के प्रमाण-पत्रों को वेटेज दिये जाने हेतु शासनादेश जारी करने की मांग करता हूं।]

जनपद रायबरेली के विकास खण्ड दीनशाह गौरा के अन्तर्गत पूरे इच्छा सिंह जलालपुर घई क्षतिग्रस्त सम्पर्क मार्ग की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

[मेरे विधान सभा क्षेत्र-96, डलमऊ जनपद-रायबरेली के अन्तर्गत विकास खण्ड दीनशाहगौरा के अन्तर्गत पूरे इच्छासिंह-जलालपुरघई सम्पर्क मार्ग क्षतिग्रस्त होकर गड्ढे में तब्दील हो गया है। उक्त मार्ग पर विकास खण्ड, पशु बाजार, इण्टर कालेज, डिग्री कालेज, थाना ग्रामीण बैंक, जिला सहकारी बैंक एवं प्रमुख बाजार गदागंज व गौरा बाजार होने के साथ ही साथ जिला मुख्यालय जाने का क्षेत्रीय लोगों का एक प्रमुख मार्ग होने के कारण यह मार्ग अत्यधिक व्यस्त होने से तथा मार्ग खराब होने के कारण आये दिन दुर्घटनायें होती रहती हैं। उक्त मार्ग पर पैदल चलना दुर्लभ हो गया है जिससे क्षेत्रीय जनता में काफी रोष एवं जनाक्रोश व्याप्त है। क्षेत्रीय जनता किसी भी समय आन्दोलित हो सकती है।

अतः इस अविलम्बनीय लोकहित के महत्वपूर्ण विषय पर मैं शासन का ध्यान आकृष्ट कराते हुये उक्त मार्ग की मरम्मत कराये जाने की मांग करता हूं।]

जनपद अलीगढ़ के नगर निगम पार्क में डा0 भीमराव अम्बेडकर जी की अष्टधातु की प्रतिमा लगाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

* चौ0 महेन्द्र सिंह-

[मान्यवर, जनपद अलीगढ़ में जिलाधिकारी आवास के सामने नगर निगम के पार्क में बाबा साहब डा0 भीमराव अम्बेडकर जी की प्रतिमा लगी हुई है। जिसको कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा खण्डित कर दिया गया है। जिसकी सूचना जिलाधिकारी को मेरे द्वारा दी गई परन्तु अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की गई है। और न ही असामाजिक तत्वों को गिरफ्तार किया गया है। प्रतिमा खण्डित होने के कारण क्षेत्रीय जनता में काफी रोष एवं आक्रोश व्याप्त है।

अतः इस अविलम्बनीय विषय पर मैं सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हुये नगर निगम के पार्क में बाबा साहब डा0 भीमराव अम्बेडकर की अष्ट धातु की प्रतिमा 14 अप्रैल, 2006 के पहले लगवाये जाने की मांग करता हूं।]

उप जिलाधिकारी, पूरनपुर, पीलीभीत की हठधर्मिता के कारण होलिका दहन न हो पाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

*डा0 विनोद तिवारी-

[मान्यवर, अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न की तरह सदन का ध्यान नियम 301 के अन्तर्गत आकृष्ट कराना चाहता हूं। मैं सरकार का अपने निर्वाचन क्षेत्र 44 विधान सभा पूरनपुर के मो0 हवीबगंज गोटिया में उपजिलाधिकारी पूरनपुर की हठधर्मिता के चलते होलिका दहन न हो पाने की ओर ध्यान आकृष्ट कराते हुये कहना चाहूंगा कि पूरनपुर में कारगिल शहीद सुरेन्द्र सिंह के पेट्रोल पम्प के निकट धनाराघाट रोड पर गत कई वर्षों से मोहल्लावासी होली पूजन/होलिका दहन करते चले आ

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

रहे हैं। किन्तु इस बार होलिका दहन स्थल से 55 फिट दूर दक्षिण येतराम नामक व्यक्ति का-प्लाट है। उक्त व्यक्ति ने होलिका दहन करने से मना किया, इस पर मोहल्ले के लोगों ने उप जिलाधिकारी पूरनपुर से वार्ता की उप जिलाधिकारी पूरनपुर द्वारा कोई ध्यान नहीं दिया गया है।

क्षेत्र भ्रमण पर आये आयुक्त बरेली मण्डल बरेली से मोहल्लेवासियों ने भेंट कर समस्या से अवगत कराया जिस पर मण्डलायुक्त महोदय ने होली स्थल न परिवर्तित किये जाने तथा होलिका दहन कराने के निर्देश दिये पुनः लोगों ने उपजिलाधिकारी पूरनपुर से सम्पर्क किया उपजिलाधिकारी ने अपनी हठधार्मिता के चलते उच्च अधिकरियों के निर्देशों को दरकिनार कर तथा जन भावनाओं की अवहेलना कर वर्षों से चली आ रही परम्परा को तोड़ दिया इतना ही नहीं उपजिलाधिकारी पूरनपुर ने धमकाते हुये कहा कि यदि उक्त स्थल पर होलिका दहन हुआ तो सब लोगों को जेल भिजवा दूंगा इसके ही कारण होली स्थल पर पुलिस बल तैनात कर दिया और होलिकादहन नहीं होने दिया धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना भारतीय दण्ड संहिता की धारा 296/297 के तहत अपराध की श्रेणी में आता है। ऐसे अधिकारी के खिलाफ तत्काल दण्डात्मक कार्यवाही की जानी चाहिये, अन्यथा शान्ति प्रिय माहौल बिगाड़ने की सम्भावना है।

अतः आपसे अनुरोध है कि उक्त ज्वलन्त अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट करने का कष्ट करें।]

गोरखपुर महानगर के कच्चे तथा अपूर्ण नालों को पक्का तथा पूर्ण कराये जाने तथा जल निकासी ठीक कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

*डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल-

[मान्यवर, गोरखपुर महानगर एक कटोरेनुमा नगर के रूप में राप्ती नदी के किनारे स्थित है। सामान्य मौसम में भी महानगर जल-जमाव की समस्या से पीड़ित रहता है। थोड़ी सी भी बारिश में महानगर में तकरीबन 30 ऐसे स्थल हैं जहां एक फुट तक पानी लग जाता है जो जब तक पम्प लगाकर निकाला न जाये, घण्टों-घण्टों जमा रहता है। निम्नस्तरीय गुणवत्ता की डामर-पिच की सड़कें हर बरसात में स्वाभाविक रूप से टूट जाती हैं तथा विकास कार्यों में खर्च होने वाला बड़ा हिस्सा इन्हीं सड़कों के रिपेयर एवं पुननिर्माण में व्यय हो जाता है। महानगर से जब तक जल के निकासी की स्थाई व्यवस्था नहीं होगी, विकास की आवश्यकतायें पूरी नहीं होगी।

सरकार ने विधान सभा में अपने लिखित जवाब में स्वयं स्वीकार किया है कि महानगर में 39 ऐसे नाले हैं जो पूरी तरह कच्चे हैं। ये कच्चे नाले जल निकासी के लिये बहुत बड़े अवरोधक का कार्य करते हैं। इनकी सफाई कभी भी ठीक से नहीं हो पाती है और स्वाभाविक रूप से बड़ी मात्रा में सिल्ट जमा हो जाता है। इन अधूरे कच्चे नालों में बहता हुआ मलमूत्र जल-जनित बीमारियों का बहुत बड़ा कारक बनता है।

अधूरे नाले के अतिरिक्त महानगर के कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों में जल निकासी हेतु नालों का निर्माण ही नहीं हुआ है। रेलवे लाइन के उत्तर तरफ जरेपुर उत्तरी के जल निकासी हेतु रेलवे लाइन के

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।
नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

उत्तर तरफ नाला बनना आवश्यक था जिसे अभी तक बनाया नहीं गया। सुमेर सागर पोखरे को इस हद तक पाट दिया गया कि वहां का जल निकल ही नहीं पाता है। उस क्षेत्र के जल निकासी हेतु पक्का नाला बनना अत्यन्त आवश्यक था।

नगर विकास विभाग ने नगर निगम, गोरखपुर को पत्र लिखकर निर्देशित किया था ग्यारहवें वित्त आयोग का धन प्राथमिकता के आधार पर नालों के निर्माण में लगाया जाये। नगर निगम का यह दायित्व होता था कि वह प्राथमिकता के आधार पर अन्य निर्माण कार्य कराने के पहले, सर्वप्रथम महानगर के सभी अपूर्ण नालों को पूरा कराती तथा कच्चे नालों को पक्का कराती है।

गोरखपुर महानगर के अधूरे तथा कच्चे नाले का विषय नगर विकास विभाग से सीधे संबंधित है। यह एक लोक महत्व का निश्चित विषय भी है। गोरखपुर महानगर किन-किन क्षेत्रों में नालों की आवश्यकता है तथा कच्चे नालों का पक्का कराया जाना अत्यन्त आवश्यक है।

अतः जनहित के इस एक निश्चित विषय, जो एक ही विभाग (नगर विकास विभाग) से सम्बन्धित है। कृपया विधान सभा कार्य प्रक्रिया नियमावली, 1958 के नियम-301 के तहत उठाने की अनुज्ञा प्रदान करें।]

जनपद सन्त कबीर नगर में कटनइया नदी पर जर्जर लकड़ी के पुल के स्थान पर पक्का पुल बनाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री द्वारिका प्रसाद-

[अवगत कराना है कि जनपद संतकबीर नगर के अन्तर्गत नौरंगिया जिगना (कटाई चौराहा) के बीच में (कोमीघाट) कटनइया नदी पर काठ (लकड़ी) का पुल जो सन् 1980 में बना था और जिसकी रिपेयरिंग वर्ष 1984 में हुई थी, पुनः जर्जर स्थिति में हो गया है और कभी भी वह गिर सकता है। वर्तमान में स्थिति यह है कि यह पुल इतना कमजोर हो गया है कि इस पर से कोई भी बड़ी गाड़ी गुजर नहीं सकती है। इसके ध्वस्त हो जाने की स्थिति में लगभग 1000 गांव जो इस रोड से जुड़े हुये हैं, का आवागमन पूरी तरह से बाधित हो जायेगा। इसके अलावा दो मार्केट-बनकटी और मुख्यालय खलीलाबाद के मार्केट में भी आवागमन पूरी तरह से बाधित हो जायेगा।

जनता की मांग पर उक्त लकड़ी के पुल के स्थान पर 30 मीटर का पक्का पुल बनाये जाने के संबंध में जिला प्रशासन से कई बार अनुरोध किया गया है परन्तु उस ओर ध्यान नहीं दिया गया है।

अतः मैं सदन के माध्यम से सरकार से मांग करता हूं कि कटनइया नदी पर बने लकड़ी के पुल के स्थान पर 30 मीटर लम्बाई का पक्का पुल अविलम्ब बनवाया जाये ताकि जनता को आवागमन में सुविधा हो सके।]

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

सदन की कार्यवाही का अपेक्षित संज्ञान न लिये जाने के कारण मा0 अध्यक्ष के द्वारा दिये गये निदेश एवं संसदीय कार्य मंत्री द्वारा दिये गये आश्वासनों पर अधिकारियों द्वारा कोई कार्यवाही न किये जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

श्री अध्यक्ष-

आज दिनांक 28-3-2006 को नियम-300 के अन्तर्गत निम्नलिखित 3 सूचनायें प्राप्त हुई। इसमें माननीय हुकुम सिंह और डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी जी की एक ही सूचना है। अगर आप कुछ कहना चाहें।

* श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, मैं अपनी सूचना इसलिये आवश्यक समझता हूं कि यह सदन की कार्यवाही से संबंधित है और सदन में हम लोग भाग लेते हैं इस अपेक्षा से भाग लेते हैं कि जो कुछ हम कह रहे हैं, समस्याओं का उल्लेख कर रहे हैं, कहीं न कहीं किसी स्तर से उसका संज्ञान लिया जा रहा है। संज्ञान लेने के यही माध्यम है मान्यवर, विभागीय मंत्री हैं, वह संज्ञान लें। लेकिन विभागीय मंत्री की भी अपनी व्यवस्तता होती है, मजबूरी होती है कि कभी-कभी नहीं भी आ पाते हैं सदन में, यह अपेक्षा की जाती है कि जब विभाग से संबंधित कोई महत्वपूर्ण विषय यहां पर उठाया जाय उस समय विभाग के अधिकारी यहां पर हों। यह मेरा सौभाग्य रहा है कि बहुत लम्बे अर्से तक संसदीय कार्य मंत्री के रूप में कार्य करने का अवसर मुझको मिला। मेरा भी अपना अनुभव है मैं देख रहा हूं कि कार्यस्थगन का प्रस्ताव भी जब आता था अधिकारी जानकारी कर लेते थे किन-किन सूचनाओं पर आज सुनवाई होनी है पर वह निश्चित जानकारी प्राप्त करने के बाद में सदैव दीर्घा में मौजूद रहते थे। मान्यवर, मैं जानता हूं कि दीर्घा का संज्ञान हमें नहीं लेना चाहिये लेकिन मैं आपको पुराने जो निर्णय हुये हैं माननीय अध्यक्ष पीठ से उनका भी उल्लेख करते हुये निवेदन करना चाहूंगा .....

हम यहां पर बात कहते हैं। नियम-51, नियम-56, नियम-300 या सामान्य बजट पर चर्चा हो, अनुदानों पर चर्चा हो। शनैः-शनैः स्थिति ऐसी बिगड़ती गयी कि अधिकारियों ने सदन की मौजूदगी का संज्ञान लेना ही बंद कर दिया, वह आते ही नहीं। इस बार सामान्य बजट पर 47-48 माननीय सदस्यों ने चर्चा में हिस्सा लिया। अपने क्षेत्रों की समस्याओं का उल्लेख किया, लेकिन मुझे दुख के साथ इस बात को कहना पड़ रहा है कि विभाग से संबंधित एक भी अधिकारी यहां नहीं था कि जो हम कह रहे हैं, उसको वह लिख तो ले और विभागीय मंत्री से परामर्श कर ले कि यह हो जाना चाहिये, यह नहीं होना चाहिये। एक भी अधिकारी मौजूद नहीं था। इसी प्रकार कार्यस्थगन प्रस्ताव के बारे में रोज यहां पर जनपद से संबंधित, सार्वजनिक जनता से संबंधित अनेकों विषयों का उल्लेख किया जाता है। अब सबकी एक क्षमता होती है, एक सीमा होती है माननीय संसदीय कार्य मंत्री विद्वान भी हैं और संवेदनशील भी हैं। उनकी भी एक सीमा है, कहां तक वह नोट करके ले जायेंगे और फिर उसकी समीक्षा अपने कार्यालय में करें, यह सम्भव नहीं है ? क्या कोई ऐसा आदेश हो गया कि अधिकारी नहीं आयेंगे ?

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

इस सदन का कोई सम्मान उनकी निगाहों में नहीं रहा ? आखिर हो क्या रहा है ? मान्यवर, आपको स्मरण होगा। यह 27 फरवरी, 1988 का आपकी पीठ से निर्देश है और संयोग से उस समय संसदीय कार्य मंत्री मैं होता था। बेनी प्रसाद वर्मा सदस्य होते थे, उन्होंने अपनी पीड़ा को व्यक्त किया। यहां पर पूरे प्रदेश की बढ़ती हुयी समस्याओं को कौन नोट कर रहा है ? कौन इसका नोटिस लेगा ? क्या यहां पर बिना मतलब की चर्चा कराकर सदन का समय बर्बाद करना चाहते हैं ? आप सरकार को स्पष्ट निर्देश दें कि जो परम्परा है, पहले से जो रूलिंग है, उनका पालन होना चाहिये। तब आपकी ओर से आदेश हुआ कि संसदीय परम्परा में जो सदन का गठन है, उसमें इस बात का प्राविधान है कि आम जनता हमारी सुनने आयेगी, चर्चा कोई गोपनीय नहीं है हमने व्यवस्था कर दी है और पत्रकारों के लिये भी व्यवस्था के समय विधि निषेध है कि वह किस तरह से इन खबरों को छापें। उसी तरह से अधिकारियों के लिये भी, दीर्घा का निर्माण कर दिया गया है, जब उसकी आवश्यकता समझी गई होगी, तभी ऐसा किया गया होगा। जिस समय बजट पर चर्चा हो रही है, उस समय हम सरकार को संबोधन करते हैं और सरकार को संबोधन के साथ-साथ यह आवश्यक है कि हमारी बात उन अधिकारियों तक भी पहुंचे इसलिये यहां पर अधिकारियों का उपस्थित रहना आवश्यक है लेकिन जब बात उठी है तो मैं माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी से यह अपेक्षा करूंगा कि आगे जो अभी कुछ और चर्चा होनी है तो व्यवस्था में प्राविधान है और उसके तहत यहां सभी अधिकारी उपस्थित रहने चाहिये।

यह मान्यवर, आपके निर्देश हैं। मुझे शौक नहीं बातों को उठाने का, लेकिन सभी की यह पीड़ा है, चाहे वह उस पक्ष में बैठे हों, चाहे इस पक्ष में बैठे हों। इन अधिकारियों के बेलगाम होने का कारण यही है कि रोज-रोज तो आप उन्हें बुला नहीं सकते क्योंकि यह व्यवहारिक भी नहीं है लेकिन एक गरिमा सदन की रहनी चाहिये, तव्वजो रहनी चाहिये, उसका अहसास इनको सरकार ही करा सकती है। जैसे गृह विभाग का विषय है, इसके क्रियान्वयन का विषय आया, यद्यपि माननीय मुख्य मंत्री जी ने और आपने अपनी संवेदनशीलता प्रदर्शित कर घोषणा की, लेकिन जिस रोज यह हत्या का मामला आया था, उन्हें जानकारी करनी चाहिये थी और क्या उनकी जिम्मेदारी नहीं थी कि ऐसे संवेदनशील मामले पर यहां वह बैठें और हम जो कह रहे हैं, उस पर कार्यवाही करें और माननीय संसदीय कार्य मंत्री को अवगत करायें लेकिन दीर्घा एकदम खाली रही ? मैं आपसे अपेक्षा करता हूं और सरकार से भी अपेक्षा करता हूं कि आपके अधिकारियों को सदन की मौजूदगी का अहसास यदि नहीं होगा तो माननीय मंत्रिगण की घोषणाओं का अमल भी सम्भव नहीं हो पायेगा। विभागीय मंत्री का नियंत्रण अपने अधीकारियों पर होना चाहिये और नियंत्रण करने का तरीका यही है। मान्यवर, 1974 से मुझे यहां बैठने का मौका मिला है। मुझे मालूम है जब स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी बैठते थे, नेता प्रतिपक्ष थे और बहुगुणा जी मुख्य मंत्री थे। उस समय अधिकारी यहां पर बैठते थे और बैठकर नोट करते थे, चाहे सचिव स्तर का हो, प्रमुख सचिव स्तर का हो अथवा विशेष सचिव स्तर का हो। अब तो अहसान है उनका, जो उनका दर्शन हो जाय, बहुत बड़ी बात है। मान्यवर, यह स्थिति बदलनी चाहिये जो कुछ हो गया, वह हो गया लेकिन आगे से इस बात का एहसास होना चाहिए कि विधान सभा की गरिमा का ध्यान रखें और जब सदन में चर्चा हो रही हो तो अधिकारीगण यहां पर आकर बैठें।

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

मान्यवर, आपने कई बार संज्ञान लिया है और उधर से भी इधर से भी यह बात अलग-अलग अंदाज से उदासीनता के बारे में, प्रश्नों के बारे में, प्रश्नों का उत्तर सही न आने के बारे में, उत्तर बहुत देर से आने के बारे में, यहां पर उठायी गई है। मान्यवर, क्योंकि हम सभी का बहुत लम्बा कार्यकाल रहा है और हमने गिरती हुई कदरों को देखा है, जिन मान्यताओं के बीच हम यहां पर आये थे, वह आज नहीं रह गई हैं। नियम-56 में मुझे खुद याद है कि तब टेलीफोन के माध्यम से सूचना प्राप्त की जाती थी, माननीय मंत्री जी या संसदीय कार्यमंत्री जी उठकर जवाब देते समय कहते थे कि आज हमें टेलीफोन के माध्यम से ऐसी जानकारी मिली है लेकिन अब तो आंखें तरस गई है, कान तरस गये हैं कि किसी भी अहम से अहम मामले पर भी अधिकारी यह कष्ट कर लें कि टेलीफोन से जानकारी प्राप्त करके हमें सूचना दे दें। सुरक्षा को लेकर कई गम्भीर मामले इस सदन में आये हैं, सिर्फ तजुर्बे की बुनियाद पर बहुत सी बातों का जवाब दे देते हैं, अपनी अखबारी और टेलीविजन की मालुमात पर जवाब दे देते हैं, लेकिन जो जवाब जिस माध्यम से आना चाहिए था, उस माध्यम से वह जवाब नहीं मिलता। खुद को भी मुजरिम महसूस करते हैं, जवाब देते वक्त, अपना भी ज़मीर मुतमईन नहीं होता, तो मान्यवर, बहुत बड़ी कमी आई है। हालांकि यह परिपाटी नहीं रही है लेकिन फिर भी स्लिप आ जाती थी, बोलते समय भी आ जाती थी, क्योंकि ऐसा नहीं है कि हम मास्टर ऑफ ऑल हों, हमें हर एक चीज की जानकारी हो। मान्यवर, यह बात सही है कि उदासीनता है और मेरे ख्याल से क्योंकि यह बात कई बार आ चुकी है, जो माननीय हुकुम सिंह जी ने यहां पर रखी है। वह किसी पक्ष या विपक्ष का मामला नहीं है। यदि अधिकारी यहां पर बैठेंगे तो इससे ज्यादा फायदा सत्तापक्ष को ही पहुंचेगा, विपक्ष को नहीं, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। कभी-कभी ऐसा होता है कि गैलरी बिल्कुल खाली होती है और उसमें कोई होता ही नहीं है, बहुत अहम् बहस चल रही होती है, लेकिन कोई नहीं रहता है। मान्यवर, रहना चाहिए, यह पक्ष-विपक्ष का मामला नहीं है, इस मामले में आपको सारे अधिकार प्राप्त है, पक्ष और विपक्ष की ओर से, आपकी ओर से इसमें कड़ाई होनी चाहिए और अधिकारियों को गैलरी में रहना चाहिए। मैं इसके लिए कोई निर्देश तो नहीं जारी कर सकता हूं लेकिन इतना जरूर कह सकता हूं कि मैं इसके पक्ष में हूं।

श्री अध्यक्ष-

मैंने माननीय हुकुम सिंह जी को सुना और संसदीय कार्य मंत्री जी को सुना, सदन की भावनाओं को उन्होंने यहां पर व्यक्त किया है। जहां तक परिपाटी की बात है, हमें भी बहुत दिनों तक इस माननीय सदन में रहने का सौभाग्य मिला है। पहले भी ऐसा होता रहा है, कुछ अधिकारी गवर्नर गैलरी में न बैठकर ऊपर बैठते हैं, वह कुछ नोट भी करते हैं लेकिन फिर भी विभागीय अधिकारियों को यहां पर रहना चाहिए। संसदीय कार्य मंत्री जी यह गम्भीर मामला है और मैं आपसे अपेक्षा करता हूं कि आप विभागाध्यक्षों को निर्देशित कर दें कि जब कभी भी नियम-56 या अन्य किसी प्रकार की यहां पर चर्चा हो तो सम्बन्धित विभाग के अधिकारीगण यहां पर उपस्थित रहें, यद्यपि उसका संज्ञान नहीं लिया जाता है लेकिन फिर भी उन्हें उपस्थित रहना चाहिए।

श्री मोहम्मद आजम खां-

मैंने तो यहां तक कहा है, पिछले दिनों नियम-56 में बड़े गम्भीर मामले आये हैं, अयोध्या को लेकर, बनारस को लेकर, सुरक्षा-व्यवस्था को लेकर, यह किसी एक दल की चिन्ता नहीं है, यह हम सारे लोगों की चिन्ता है।

श्री अध्यक्ष-

इसीलिए मेरा आपसे आग्रह है कि एक निर्देश सभी विभागाध्यक्षों को प्रमुख सचिवों को जारी करें क्योंकि नोटिस की कापी तो उन्हें तुरन्त मिल जाती है, इसलिए वह सदन में उपस्थित रहें। इसके अतिरिक्त यदि उसमें किसी प्रकार की कोई और बात होती है तो सदन में ही उस पर विचार कर लिया जाएगा कि हम और क्या कर सकते हैं ?

श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, कुछ नहीं, दो-चार लोगों को एडवर्स-इन्ट्री दीजिए, सब पता चल जाएगा।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है।

लोक निर्माण मंत्री की सदन में घोषणा के अनुरूप बलिया के चिलकहर क्षेत्र में सड़क का टेण्डर स्वीकृत इस्टीमेट से कम होने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

श्री अध्यक्ष-

माननीय सदस्य श्री राम इकबाल जी, आपने बलिया के चिलकहर क्षेत्र में स्वीकृत पांच किलोमीटर सड़क का टेण्डर स्वीकृत स्टीमेट से 30 प्रतिशत कम होने के सम्बन्ध में सूचना दी है, आपका यह मामला नियम-300 में कहां बनता है और कैसे बनता है, यह आप बता दें ? आपने नियम-56 में दिया है, अगर उसको पढ़कर सुना दिया जाए तो बवाल मच जाएगा। आप यह बतायें कि आपका यह मामला नियम-300 में कैसे बनेगा ? स्टीमेट कम होना, स्टीमेट से कम पर टेण्डर लेना यह एक प्रक्रिया है, आपका यह मामला विधान सभा की कौन सी प्रक्रिया और कार्य-संचालन नियमावली में आ रहा है ? कहां कांस्टीट्यूशन के अगेंस्ट कोई काम हो रहा है ? यह हमें बता दीजिए और सिर्फ इसी पर बोलिये।

श्री राम इकबाल सिंह-

मान्यवर, माननीय लोक निर्माण मंत्री जी ने इसी सदन में 5 कि0मी0 सड़क प्रत्येक विधायक को दिया है।

श्री अध्यक्ष-

इस्टीमेट कम था, तो यह कौन सा औचित्य का प्रश्न है ?

श्री राम इकबाल सिंह-

इस सदन में घोषणा के आधार पर बात कह रहा हूं।

श्री अध्यक्ष-

जो सदन में घोषणा होती है वह आश्वासन हो जाता है और वह आश्वासन समिति को चला जाता है। यह नियम-300 के अन्तर्गत नहीं आता है। आपने चूंकि दिया है कि टेण्डर स्वीकृति इस्टीमेट

से 30 प्रतिशत कम होने के सम्बन्ध में है, अगर 30 प्रतिशत कम पर हुआ है तो यह सदन क्या कर सकता है ?

*श्री राम इकबाल सिंह-

मान्यवर, माननीय मंत्री जी की नीयत ठीक थी कि 5 कि0मी0 सड़क गुणवत्तापूर्ण बने। इस्टीमेट से 30 प्रतिशत टेण्डर कम होगा तो उसमें जो विभाग का हिसाब-किताब होता है वह किसी से छिपा नहीं है, यह सभी लोग जानते हैं उसके बाद गुणवत्ता कहां रह जायेगी ?

श्री अध्यक्ष-

घोषणा सदन में होती है तो आश्वासन बन जाता है।

श्री राम इकबाल सिंह-

मान्यवर, अब तक तो सुन लिये होते।

श्री अध्यक्ष-

हम आपको रोज सुनते हैं। जो आपने सूचना दी है हम उसको पढ़ेगें।

श्री राम इकबाल सिंह-

श्रीमन्, आपको पढ़ने का पूरा अधिकार है।

श्री अध्यक्ष-

आप विद्वान सदस्य हैं, असाधारण बुद्धि के हैं, मुझे बताईये कि इस्टीमेट कम होना कहां औचित्य का प्रश्न बनता है ?

श्री राम इकबाल सिंह-

श्रीमन्, आप सुन लें, आप जो चाहेंगे वही औचित्य हो जायेगा। आपकी कृपा से कुछ नियम शिथिल भी हो जाते हैं। मान्यवर, इसमें सरकार की बदनामी होगी इसलिए ध्यानाकर्षण कर दे रहा हूं।

श्री अध्यक्ष-

आप इसे नियम-301 में दे दिये होते तो पूरा जवाब आ जाता।

श्री राम इकबाल सिंह-

श्रीमन्, विधान सभा का सत्र खत्म हो जाता और अगला कार्यकाल भी आ जाता लेकिन उत्तर नहीं आता। मैंने एक सूचना डेढ़ वर्ष पहले नियम-301 में दी थी लेकिन आज तक उत्तर नहीं आया। इसलिए मैंने डेढ़ वर्ष से नियम-301 में एक भी सूचना नहीं दी है।

(प्रतिपक्ष के अनेक सदस्यों ने अपने आसन पर बैठे हुये कहा कि नियम-301 की सूचनाओं के उत्तर नहीं आते हैं।)

श्री अध्यक्ष-

आप अपनी सूचना की कापी मत दीजिए केवल उसकी तारीख और किस संदर्भ में दिया था वह लिखकर मुझे भेज दीजिए। मैं इसको देखूंगा।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

श्री राम इकबाल सिंह-

मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि इसमें कोई नियम बन जाता कि इस्टीमेट से 5 प्रतिशत, 10 प्रतिशत का टेण्डर मान्य होगा। स्वभाविक है कि विभाग के लोग इतने पवित्र नहीं हैं जो अपना कमीशन छोड़ेंगे, ठेकेदार भी 10 से 5 प्रतिशत कमीशन कमायेगा। मान्यवर, यह हर जगह की पीड़ा है, सारे क्षेत्र के विधायकों की यही समस्या है। मान्यवर, अगर इस्टीमेट से 30 प्रतिशत कम पर टेण्डर होगा तो जो 30 प्रतिशत धनराशि बचेगी क्या उसे शासन को वापस किया जायेगा ? क्या इससे गुणवत्तापूर्ण सड़क बन पायेगी ? मान्यवर, मेरा कहना है कि विधान सभा से कोई नियम बनवा दीजिए कि 5 प्रतिशत, 10 प्रतिशत डाउन टेण्डर मान्य होगा। लोगों को असीमित शक्ति मिल गयी है, अगर इस्टीमेट से 30 प्रतिशत कम पर टेण्डर होगा तो क्या वह पैसा वापस होगा यह आश्वासन दे दें। इस संबंध में कोई नियम बना दें।

श्री अध्यक्ष-

संसदीय कार्य मंत्री जी, आप कुछ कहेंगे। हमारे क्षेत्र में भी यह समस्या है और यही समस्या प्रत्येक विधायक के क्षेत्र में है। इस्टीमेट से कम कीमत पर टेण्डर डालते हैं, बाद में दिखाते हैं कि घाटा हो गया है और काम छोड़कर भाग जाते हैं इससे काम प्रभावित होता है। मेरे क्षेत्र में भी कई कार्य इससे प्रभावित हैं।

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

मान्यवर, इसमें मैं सबसे ज्यादा भुक्तभोगी हूं। जो नगर निकाय है, नगर पालिकाओं में तो यह फैशन है, कोटेशन इस्टीमेट से कम होता है और कम टेण्डर पर काम ले लेते हैं। इससे दो नुकसान है, नेता अगर कड़ा है और उसको कोई हिस्सा नहीं लेना है मेरी तरह से तो, वह सही काम कराना चाहता है और ठेकेदार भाग जाता है दूसरे क्वालिटी खराब हो जाती है।

श्री अध्यक्ष-

इसमें सर्वदलीय बैठक बुला लें ? मेरे क्षेत्र में तो काम ही नहीं हो पा रहा है, एक साल से वैसे ही पड़ा है।

श्री मोहम्मद आजम खां-

मान्यवर, इसमें सर्वदलीय बैठक बुला लें, पी0डब्लू0डी0 मिनिस्टर भी रहें, मैं भी रहूं, इसका हल होना चाहिए।

श्री अध्यक्ष-

व्यवहारिक बात है, यह गम्भीर मामला है, सबसे संबंधित है।

श्री मोहम्मद आजम खां-

अच्छा मान्यवर, यह तो एक समस्या रही। एक और है उसका भी संज्ञान ले लीजिये। मान्यवर, जितना भी पैसा आया उस पर टेंडर हो गया। आधा काम हो गया, रोक दिया कि साहब अब रिवाइज्ड स्टीमेट भेजिये।

श्री अध्यक्ष-

ठीक कह रहे हैं।

श्री मोहम्मद आजम खां-

यानी जितना हो गया, पहले से ख्याल रखा था उन्होंने हर बात का, लेकिन जब देखा कि प्रभावशाली नेता हैं, मांगेंगे तो मिल जायगा, तो रिवाइज्ड स्टीमेट आ जाता है, इस पर भी विचार हो जाय कि आपने जब इस्टीमेट बनाया तो यह कमी कैसे रह गयी।

श्री अध्यक्ष-

आपकी सरकार को चाहिये कि ऐसे अधिकारियों को दण्डित करें।

श्री मोहम्मद आजम खां-

सब कुछ मेरे चाहने से होता तो ठीक न हो जाता।

भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक के वित्त लेखे वर्ष 2004-05 उत्तर प्रदेश सरकार व विनियोग लेखे वर्ष 2004-05 उत्तर प्रदेश सरकार †

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के वित्त लेखे वर्ष 2004-05 उत्तर प्रदेश सरकार व विनियोग लेखे वर्ष 2004-05 उत्तर प्रदेश सरकार को संविधान के अनुच्छेद-151(2) में निहित प्राविधान के अधीन सदन के पटल पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश विकास परिषद् विधेयक, 2006 ††

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश विकास परिषद् विधेयक, 2006 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूं।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि ....

श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, यह प्रश्न पहले भी उठाया गया है। मान्यवर, यहां पर प्रस्ताव आ गया, पता नहीं क्या है, हमारे हाथ में कुछ नहीं है। पिजन होल में नही है।

श्री अध्यक्ष-

पिजन होल में नहीं है ?

श्री हुकुम सिंह-

नहीं है।

श्री अध्यक्ष-

दूसरी कापी दे दीजिये।

---

† (छापा नहीं गया)।

†† दिनांक 13-4-2006 के असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट में छपा है।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश विकास परिषद् विधेयक, 2006 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री मोहम्मद आजम खां-

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश विकास परिषद् विधेयक, 2006 को पुरःस्थापित करता हूं।

कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं

श्री अध्यक्ष-

आज दिनांक 28 मार्च, 2006 को नियम-56 के अन्तर्गत कुल 7 सूचनायें प्राप्त हुयीं जिनमें से शलाका के आधार पर निम्नलिखित सूचनायें चयनित की गयीं। प्रथम दो सूचनाओं को ग्राह्यता हेतु सुना जायेगा। शेष सूचनाओं पर शासन का ध्यान आकृष्ट किया जा सकता है। पहली सूचना श्री जगदम्बिका पाल एवं श्री प्रमोद कुमार की, प्रदेश के पूर्वी जिलों में भारी ओला वृष्टि के कारण फसलों के नुकसान को देखते हुये किसानों को क्षतिपूर्ति कराये जाने के संबंध में है। दूसरी सूचना श्री विद्यासागर गुप्ता की लखनऊ शहर की जनसंख्या वृद्धि को देखते हुये विधान सभा मार्ग पर आकाशवाणी से लेकर जवाहर भवन तक फ्लाई ओवर ब्रिज का निर्माण कराये जाने के संबंध में है।

* श्री प्रमोद कुमार-

अध्यक्ष महोदय, मैं एक नितान्त ऐसे विषय पर आपके माध्यम से सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं जो सीधे किसानों से जुड़ा हुआ है, आम जनों से जुड़ा हुआ है, प्रदेश के बहुत बड़े हिस्से से जुड़ा हुआ है। इस बार रवी की फसल के लिये समय से जिस वर्षा का इंतजार किसानों को रहता है वह नहीं हुई है, इसीलिये सर्दी भी ठीक से नहीं पड़ने के कारण जो सबसे बड़ी समस्या हुई है, उसको गम्भीरता से लिया जाना चाहिये। अनाज जो हो रहा है उसका वजन कम होगा, मोटाई कम होगी वह अनाज ठीक से विकसित नहीं हो पाया है। सामान्यतः जिस तापमान पर गेहूं या अन्य फसलें होनी चाहिये वह तापमान नहीं रहा। गर्मी जल्दी पड़ गयी और इसके कारण उत्पादन प्रभावित हुआ है यह आम किसानों का दर्द है आप पूरे प्रदेश में आंकलन करायें कि प्रति एकड़ के हिसाब से उत्पादन में कितनी गिरावट आई है। गिरावट का मुख्य कारण है कि अनाज का दाना पूरा विकसित नहीं हो पाया है गर्मी जल्दी पड़ने लगी किसान यह मार झेल ही रहा था कि बेमौसम ओले पड़ गये।

बुन्देलखण्ड में बहुत बड़े हिस्से में, पूर्वांचल के बहुत बड़े हिस्से में ओले पड़े हैं। सामान्यतः जब कभी ओला वृष्टि होती है तो राजस्व विभाग, प्रदेश की सरकार राहत का कार्य प्रारम्भ करती है। मुझे जहां तक जानकारी है उसके अनुसार कुछ जनपद ऐसे हैं जहां 50 से 60 प्रतिशत फसलों को क्षति हुई है। कुछ जनपद ऐसे हैं जहां इससे भी ज्यादा ओला जब पड़ता है तो एक निश्चित क्षेत्र में ज्यादा पड़ता है और वहां ज्यादा बरबादी होती है। कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहां 80 से 90 प्रतिशत क्षति हुई

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

है। सिद्धार्थ नगर, बस्ती, प्रतापगढ़, फैजाबाद में ज्यादा तबाही हुई है। ओले को कोई रोक तो नहीं सकता यह एक प्राकृतिक आपदा है लेकिन बाद में आपदा से निपटने के लिये सरकार के पास संसाधन है। सरकार यथासम्भव प्रयास करती रही है। मैं आपके माध्यम से सरकार से आग्रह करना चाहूंगा कि इन जगहों पर देयों की वसूली को तत्काल रोक दिया जाना चाहिये हालांकि फीस तो बड़ी संख्या में छात्रों की माफ है लेकिन जिनसे फीस पड़ती है उस फीस की माफी होनी चाहिये और जहां पर 50 प्रतिशत से ज्यादा क्षति हुई है उन किसानों को मुआवजा दिया जाना चाहिये। अभी तक मेरी जानकारी के अनुसार इस पर गम्भीरता पूर्वक काम नहीं हुआ है मैं आपके माध्यम से सरकार से चाहूंगा कि वह किसानों के दर्द को समझे उनके ऊपर दोहरी मार पड़ी है एक तरफ तो वर्षा न होने के कारण फसल को नुकसान हुआ दूसरे जल्दी गर्मी पड़ने के कारण अनाज का दाना हल्का हो गया उसके बाद बची खुची फसल ओले के कारण नष्ट हो गयी। इन सब चीजों को देखते हुये प्रति एकड़ लागत के हिसाब से किसानों को मुआवजा दिया जाय। मैं आपके माध्यम से संसदीय कार्य मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि अगर आप यह राहत किसानों को दे देंगे तो वह आपको दुआएं देंगे अगर नहीं देंगे तो बद्दुआएं देंगे। यह सरकार के ऊपर है कि वह क्या लेगी। इन शब्दों के साथ मैं आपसे मांग करता हूं कि सदन की कार्यवाही रोककर इस पर चर्चा कराई जाय।

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

प्रमोद कुमार जी का बहुत शुक्रिया आपने बड़ी दुआ दे दी। हम भारी लोग हैं हल्कापन नहीं करते हैं। एक बाइ इलेक्शन को छोड़कर सारे जीते हैं जब से सरकार में आये हैं एक इलेक्शन में हारे उसमें सदन के बाहर ऐसा माहौल बनाया गया कि सरकार की विश्वसनीयता नहीं रह गई है, सरकार को चला जाना चाहिये। कल सदन में इकबाल साहब ने सूचना दी थी कि हमारा कंडीडेट जीता है लेकिन हमने वह सूचना सदन में नहीं दी और जब सदस्य शपथ ग्रहण करने आया तभी मालूम हुआ कि मात्र एक ही सीट थी और वह भी समाजवादी पार्टी ने जीत ली है तो किसको दुआ मिल रही है, किसको बद्दुआ मिल रही है यह प्रमोद कुमार जी को अंदाजा कल के चुनाव नतीजे से ही हो गया होगा। हमको किसानों का दर्द भी है और हम उनके हमदर्द भी है। किसी को दर्द हो और दर्द के लिये कोई हमदर्द न हो तो उस दर्द से कोई हासिल नहीं है। हमको किसानों का दर्द है और जहां जैसी आवश्यकता पड़ेगी हम पीछे नहीं हटेंगे।

श्री प्रमोद कुमार-

यह परम्परा है, नियम है। आप राजस्व मंत्री रहे हैं।

श्री मोहम्मद आजम खां-

ऐसी स्थिति नहीं है। अगर कहीं ऐसी स्थिति पैदा होगी तो उसका ध्यान रख जायेगा।

श्री प्रमोद कुमार-

मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि जैसा पूर्वांचल में हुआ वैसा ही रामपुर में भी हो तब इनको पता लगेगा।

श्री अध्यक्ष-

आप जानते हैं कि सर्वे कराया जाता है। सर्वे होता है तो जहां पर 50 प्रतिशत से ज्यादा पत्थर पड़ा होता है उनको लिया जाता है। उसी हिसाब से नियम बने हैं। भारत सरकार का नियम है उसी के अनुसार किया जाता है। मैंने प्रमोद जी को सुना और संसदीय कार्य मंत्री को सुना। यह महत्वपूर्ण मामला है और संसदीय कार्य मंत्री ने आश्वासन भी दे दिया कि जहां ऐसा होगा वहां देखेंगे। इसलिये मैं इसको अग्राह्य करता हूं। अगली सूचना श्री विद्यासागर गुप्ता जी की है।

* श्री विद्यासागर गुप्ता-

मान्यवर, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आबादी 30 लाख से ज्यादा हो चुकी है जिसके कारण पूरे लखनऊ में प्रति दिन जाम की स्थिति पैदा हो जाती है। खास तौर से मेरे विधान सभा क्षेत्र के सामने अशोक मार्ग और हजरतगंज में ट्रैफिक की लाल बत्ती बन्द होते ही कारों, मोटर साइकिलों, स्कूटरों की लाइन लग जाती है। अगर यही हालत रही तो आने वाले दो तीन सालों में विधान सभा के सामने तक मोटर साइकिलों, कारों की लाइन लग जायेगी जिसके कारण स्थिति दूभर हो जायेगी। मैं निवेदन करना चाहता हूं एक फ्लाई और हुसैनगंज से शुरू होकर सिकन्दरबाग तक बना दें जिससे इस तरह की स्थिति न पैदा हो। मान्यवर, यह अविलम्बनीय और लोक महत्व का प्रश्न है इसलिये मैं चाहता हूं कि सदन की सारी कार्यवाही रोक कर इस पर चर्चा कराई जाय।

श्री अध्यक्ष-

संसदीय कार्य मंत्री इस पर कुछ कहना चाहेंगे। यह नगर विकास से संबंधित है।

श्री मोहम्मद आजम खां-

मान्यवर, मैंने संज्ञान ले लिया है। लखनऊ का मामला है इसलिये खास संज्ञान लिया जायेगा। करायेंगे।

श्री अध्यक्ष-

माननीय गुप्त जी और संसदीय कार्य मंत्री की आपस में बात हो गई है। इनकी बात सुनकर मैं इसको अग्राह्य कर रहा हूं। यह तीन सूचनाएं और हैं। एक सलिल बिश्नोई जी की कानपुर की जर्जर विद्युत व्यवस्था के बारे में है, बिश्नोई जी कुछ कहेंगे ?

*श्री सलिल बिश्नोई-

मान्यवर, कानपुर महानगर में बिजली की समस्या और उसकी वितरण प्रणाली बिल्कुल अस्त-व्यस्त है। बिजली के खम्बे और तार आजादी के पहले के समय के लगे हुये हैं, वे टूटकर गिर जाते हैं जिससे कई दुर्घटनायें होती हैं। मान्यवर, वहां पर ट्रांसफार्मर सड़क पर रखे हुये हैं जबकि उनको खम्बों पर रखना चाहिये। सुरक्षा के लिये जालियों की भी व्यवस्था नहीं है। अभी चार पांच दिन पहले मुस्लिम इलाके में बेबी मासूम नाम की लड़की की गेंद ट्रांसफार्मर के पास चली गई और वह उसको उठाने के लिये उधर चली गई जिससे वह उसकी चपेट में आकर झुलस गई और एक हफ्ते तक अस्पताल में पड़े रहने के बाद परसों उसकी मृत्य हो गई। ट्रांसपोर्ट नगर में हाई टेंशन लाइन का

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

खम्बा गिर गया और बहुत बड़ी दुर्घटना होने से बच गई क्योंकि उस समय बिजली नहीं आ रही थी। वहां पर बिजली की इस जर्जर व्यवस्था को सुधारने की आवश्यकता है। यह इतना अविलम्बनीय और लोक महत्व का प्रश्न है इसलिये मैं शासन का ध्यान इस ओर आकृष्ट करना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष-

आप कुछ कहना चाहेंगे संसदीय कार्य मंत्री जी।

श्री मोहम्मद आजम खां-

माननीय सदस्य ने खुद ही चाहा है कि इस पर ध्यान आकृष्ट हो। जो भी कार्यवाही होगी की जायेगी।

श्री अध्यक्ष-

रंगनाथ मिश्रा जी, आपका पढ़ दिया जा रहा है, बोलने की जरूरत नहीं है। संत रविदास नगर भदोही में इकोनोमिक जोन घोषित होने के बाद, किसानों की अधिग्रहीत भूमि का मुआवजा न दिए जाने के सम्बन्ध में है। संसदीय कार्य मंत्री जी इसमें सरकार का ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

श्री रंगनाथ मिश्र-

मैं आपके संज्ञान में ला दूं।

श्री अध्यक्ष-

पढ़ दिया है। नोटिस में ला दिया गया है। कार्यवाही में आ गया है।

श्री रंगनाथ मिश्र-

थोड़ा बोल लेने दें। मैं इसमें बोलना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष-

कल भी आप बोले थे। मैंने पढ़ दिया है।

श्री रंगनाथ मिश्र-

आगे की बात है भदोही जिले में औद्योगिक विकास से जुड़ा मामला है।

श्री अध्यक्ष-

आपका लिखा पढ़ दिया है। फिर पढ़ देता हूं। सन्त रविदास नगर भदोही के इकोनोमिक जोन घोषित होने के बाद किसानों की अधिगृहीत भूमि का उचित मुआवजा न देने के सम्बन्ध में आपका है।

* श्री रंगनाथ मिश्र-

मान्यवर, आगे पढ़ें इतने दिनों से जोन घोषित होने के बाद भी कुछ नहीं हुआ है। उत्तर प्रदेश में बाहरी व्यवसायियों को लाने के लिए, पूंजी निवेश के लिए, सरकार द्वारा योजना बनाई गई। चार जगह को इकोनोमिक जोन बनाया गया है। इसमें भदोही भी है। पूर्वांचल में बनारस और भदोही के बीच इतनी बड़ी जमीन अधिग्रहण की गई है लेकिन वहां कोई काम नहीं हो रहा है। इंस्ट्रक्चर नहीं

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

बन रहा है, न प्लाटिंग की जा रही है किसान खेती नहीं कर रहा है और उसको मुआवजा भी नहीं मिल रहा है। यह प्रदेश के विकास से सम्बन्धित मामला है। गाजियाबाद में विकास हो रहा है। बाकी इकोनोमिक जोन विकसित हो रहे हैं। सचिव को नोडल अधिकारी बनाया गया है। पूर्वांचल में भदोही को इकोनोमिक जोन घोषित किया है लेकिन वहां कोई व्यवसायिक विकास नहीं हो रहा है। किसानों को मुआवजा नहीं मिल रहा है। यह अविलम्बनीय लोक महत्व का विषय है। इसमें कार्यवाही होनी चाहिए।

श्री अध्यक्ष-

आपको सुन लिया गया है। सरकार का ध्यान आकृष्ट कर दिया गया है।

राम इकबाल जी ने लिखकर दिया है। यह गम्भीर मामला है। आप संक्षेप में बता दें। इसमें प्रधान को मुल्जिम बनाया गया है।

* श्री राम इकबाल सिंह-

हम मुल्जिम किसी को बनाना नहीं चाहते हैं हम तो इंसाफ चाहते हैं। मान्यवर, आपके माध्यम से कहना चाहते हैं, आपने अध्यक्ष जी स्वयं स्वीकार किया है कि यह गम्भीर विषय है। मैं संसदीय कार्य मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। मान्यवर, बलिया जनपद के थाना गड़वार में कुड़वा गांव में प्रधान ने खाना बनाने के लिए प्राथमिक विद्यालय पर एक विधवा श्रीमती धर्मशीला चौहान को रखा। मान्यवर, प्रधान के उस विधवा से नाजायज सम्बन्ध हो गये....

श्री अध्यक्ष-

यह कहना जरूरी है। सीधे कहें, बीमार हो गयी, मर गई।

श्री राम इकबाल सिंह-

इसमें अपमान जनक बात नहीं है। वकील कोर्ट में बहस नहीं करते हैं ?

श्री अध्यक्ष-

सत्यम् ब्रूयात, प्रियम् ब्रूयात।

श्री राम इकबाल सिंह-

संसदीय कार्य मंत्री जी आप विद्वान व्यक्ति हैं मैं आपका सम्मान करता हूं। आप अलीगढ़ विश्वविद्यालय में छात्र नेता भी रहे हैं। मैं बराबर कहता रहा हूं वहां एक भी लेडीज डाक्टर नहीं है। जो महिलाओं का दुख-दर्द देख सके।

श्री मोहम्मद आजम खां-

यह बात कहां से आ गई ?

श्री राम इकबाल सिंह-

उस विधवा का झोलाछाप डाक्टर ने एवार्शन किया जिससे वह बीमार पड़ गई...

श्री अध्यक्ष-

अगर आप यह न कहते तो भी काम चल जाता। संसदीय कार्य मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट कर दिया है।

श्री राम इकबाल सिंह-

आप नहीं सुनना चाहते हैं आपको अप्रिय लग रहा है।

श्री अध्यक्ष-

आपको प्रिय लग रहा है तो अलग बात है। इसमें ध्यान आकृष्ट करा दिया गया है।

श्री मोहम्मद आजम खां-

क्या-क्या किया था, माननीय प्रधान ने यह भी बता दें।

श्री राम इकबाल सिंह-

मान्यवर, उस विधवा की मौत हो गई, सरकारी अस्पताल में जाकर, एफ0 आई0 आर0 दर्ज नहीं हो रही है। उसके पिता मजदूरी करते हैं, धनबाद में, आए तो थाने पर ले गए तो माननीय प्रधान जी 10 लोगों को लेकर पिता को, बड़ी बहन को पिटवाये भी और उसका छोटा देवर जो 12 साल का है, मऊ में जो चाइल्ड न्यायालय हैं, वहां पर सुधार गृह में उसे रखा गया है, उससे थाना के लोग कहलवाना चाहते थे कि कह दो कि नहीं यह बच्चा तुमसे है, मेडिकली जो 12 साल का है, मादक पदार्थ देकर जो अरविन्द उसका देवर है, उसका चालान कर दिया गया और जो दबंग है, मुल्जिम है, 10-10 आदमी हैं, मान्यवर, मैं इतना चाहता हूं कि आप अगल-बगल के किसी एस0 पी0 से जांच करा दें, उन मुल्जिम को जेल जाना चाहिए, हम इतनी आपसे अपेक्षा करते हैं।

श्री अध्यक्ष-

अब हो गई बात, बैठ जाइये। मैंने इस पर सरकार का ध्यान आकृष्ट कर दिया है।

श्री राम इकबाल सिंह-

मान्यवर, बहुत गम्भीर विषय है।

श्री मोहम्मद आजम खां-

मामला गम्भीर है, प्रधान के बारे में आपने जो सूचना दी और जो रह गई, उसका भी संज्ञान लिया।

श्री अध्यक्ष-

यह दो सूचनाएं हैं, डा0 विनोद तिवारी और डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर की।

* डा0 विनोद तिवारी-

मान्यवर, मैं आभारी हूं कि आपने मुझे अपनी बात रखने का अवसर दिया। मान्यवर, मेरा निर्वाचन क्षेत्र पूरनपुर जो देश ही नहीं एशिया में सबसे बड़ा ब्लाक है। मान्यवर, मैं शासन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि पूरनपुर में दो नये ब्लाक स्थापित करने के लिए जिलाधिकारी से जमीन के प्रस्ताव मांगे गये थे। मुझे खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि शासन वहां पर दो नए ब्लाक खोलना चाहता है लेकिन मेरे संज्ञान में यह भी नहीं लाया गया कि ऐसा प्रस्ताव मांगा गया है। मुझे यह भी नहीं मालूम कि यह प्रस्ताव कब मांगा गया। मान्यवर, खेद के साथ यह भी कहना पड़ता है कि जिला प्रशासन द्वारा मेरी जानकारी में लाये बिना ही यह रिपोर्ट लगा दी गई कि गड़वा खेड़ा में ब्लाक खोलने के लिए जमीन उपलब्ध नहीं है। मान्यवर, मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं कि वहां श्रेणी-4 की

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

जमीन मौजूद है, लेकिन तहसील के कर्मियों ने जिन लोगों के पास श्रेणी-4 की जमीन है, मान्यवर, पैसा-टका लेकर गलत रिपोर्ट भेज दी कि वहां पर जमीन उपलब्ध नहीं है। जबकि वहां के किसान, वहां के जनप्रतिनिधि इसके लिए तैयार हैं कि यदि जरूरत पड़े तो नये विकास खण्ड खोलने के लिए जमीन खरीद कर देने के लिए तैयार हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि शासन द्वारा गड़वाखेड़ा और माधवबाघा में नये ब्लाक खोलने के लिए रिपोर्ट मंगा ली जाए। वहां पर श्रेणी-4 की जमीन उपलब्ध है अगर जमीन उपलब्ध नहीं है तो हम लोग जमीन खरीद कर देंगे। मान्यवर, मैं चाहता हूं कि जिस अधिकारी, तहसीलदार ने यह गलत रिपोर्ट दी है, ऐसे अधिकारी के खिलाफ भी प्रभावी कार्यवाही की जाए। वहां का तहसीलदार नहीं चाहता कि वहां नया ब्लाक बने। यह मामला बहुत ही अविलम्बनीय है, लोक महत्व का है इसलिए मैं इस पर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए आप से मांग करता हूं कि सदन की कार्यवाही रोककर इस पर चर्चा कराई जाए।

श्री अध्यक्ष-

मैं इस पर सरकार का ध्यान आकृष्ट करता हूं।

डा0 विनोद तिवारी-

मान्यवर, मैं संसदीय कार्य मंत्री जी से चाहता हूं कि वह इस पर कोई स्पष्ट आश्वासन दे दें।

श्री अध्यक्ष-

यह विषय लिया नहीं गया था, लेकिन आपके अनुरोध पर मैंने आपकी बात सुन ली। आपने अपनी बात कह दी और यह सदन के संज्ञान में आ गया।

डा0 विनोद तिवारी-

मान्यवर, जब प्रस्ताव मांगा गया था तब तहसीलदार ने रिपोर्ट गलत क्यों बनाई ? मैं चाहता हूं कि इस पर संसदीय कार्य मंत्री जी कुछ स्पष्ट आश्वासन दे दें कि फिर से रिपोर्ट मांग ली जायेगी।

श्री मोहम्मद आजम खां-

दिखवा लेंगे।

डा0 विनोद तिवारी-

मान्यवर, जिस अधिकारी ने गलत रिपोर्ट दी है उसके खिलाफ भी कार्यवाई कराने का कष्ट करें।

श्री मोहम्मद आजम खां-

इसकी पुनः जांच करा लेंगे।

श्री अध्यक्ष-

गौर साहब, आपका कई बार मस्तिष्क ज्वर का मामला आया है और इस पर काफी चर्चा हो चुकी है। इसमें आपने कहा है लेकिन इसमें जो टीकाकरण का मामला है उस पर काफी चर्चा हो चुकी है। लेकिन आप 2 मिनट में अपनी बात कह लें जो कहना है।

डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर- -

मान्यवर, मुझे याद नहीं कि अभी इसमें नियम-56 में चर्चा हुयी है। मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि पिछले 10 महीने में लगभग 1500 मौतें मस्तिष्क ज्वर (जापानी इंसेफेलाइटिस) से हुयी

थीं और फिर सीजन आ रहा है और कुछ जिले जो उस समय इससे सबसे ज्यादा प्रभावित थे-गोरखपुर, महाराजगंज, कुशीनगर, बस्ती, सिद्धार्थ नगर, सन्त कबीर नगर और लखीमपुर खीरी। मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि सरकार ने कहा है कि हम मई में बच्चों का टीकाकरण करायेंगे। लेकिन जो मौतें हुयीं थीं उसमें बच्चों के साथ-साथ बड़े भी थे। लेकिन सरकार ने 1 से 15 आयु वर्ष के बच्चों के लिए टीकाकरण करने के लिए कहा है। मैं कहना चाहता हूं कि इसमें अन्य आयु वर्ग के लोगों का भी टीकाकरण किया जाये, और इसके लिए मेडिकल कालेजों और चिकित्सालयों में व्यवस्था की जाये। एक बात और कि जो टीके मंगवाये जा रहे हैं वह कैसे और कहां रखे जायेंगे इसके लिए सरकार ने क्या व्यवस्था की है ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

मान्यवर, इसमें परीक्षण करा लेंगे, कोई शिकायत होगी तो उसे दूर करेंगे। चूंकि यह गम्भीर मामला है इसलिए इसे दिखवा लेंगे।

डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर-

टीकों को कोल्ड में रखना जरूरी है इसलिए तहसील क्षेत्र में जनरेटर आदि की व्यवस्था तो कर लें।

श्री मोहम्मद आजम खां-

मान्यवर, जहां यह वैक्सीन रखी जाती है वहां जनरेटर की व्यवस्था रहती है। मैंने खुद भी कई जगह चेक किया है। अभियान के समय दौरों पर जाते समय चेक किया है और बाक्सेस में भी बर्फ रखी पायी है। अगर खास शिकायत हो तो उसे दिखवा लेंगे।

श्री अध्यक्ष-

मैंने श्री राम इकबाल सिंह, डा0 विनोद तिवारी, गौर जी को और संसदीय कार्य मंत्री जी के उत्तर को सुना। यह नियम 56 में नहीं आती, इसे अग्राहय करते हैं।

उत्तर प्रदेश कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2006

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से यह प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2006 पर विचार किया जाये।

*श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2006 को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय जो अपना प्रतिवेदन तीन माह के अन्दर सदन में प्रस्तुत करे। समिति के सदस्यों के नाम बाद में दिये जायेंगे।

मान्यवर, यह कृषि विश्वविद्यालय और कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय अधिनियम, 1958 का है जिसमें यह संशोधन लाया जा रहा है। आपको स्मरण होगा कि 1958 में विधेयक लाकर

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

अधिनियम बनाकर 2 विश्वविद्यालयों की स्थापना की गयी, एक कानपुर में और एक फैजाबाद में। एक पंतनगर में विश्वविद्यालय चल रहा था जो एशिया के सबसे अच्छे विश्वविद्यालय के रूप में घोषित हुआ था, उसकी स्थापना पूर्व में हो चुकी थी। अपने संशोधन के माध्यम से मैं सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि जो स्थापित कृषि विश्वविद्यालय हैं उनकी आज स्थिति क्या है ? केवल हम संशोधन लाते रहेंगे आपको जानकारी है कि उत्तरांचल बनने के बाद हमारे प्रदेश का जो प्रख्यात विश्वविद्यालय पंतनगर था वह उत्तरांचल में चला गया था। इसके बाद एक कानपुर में और एक फैजाबाद में विश्वविद्यालय रह गये जो उत्तर प्रदेश के लिए कम रहे। पूर्व की सरकार जिस समय श्री कल्याण सिंह जी मुख्य मंत्री थे के समय में इसकी आवश्यकता को देखते हुए मेरठ में सरकार बल्लभ भाई पटेल के नाम से कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना हुयी थी।

इसी 1958 के अधिनियम में संशोधन करते हुए स्थापना हुई। मान्यवर, मुझे बड़े कष्ट के साथ में कहना पड़ता है कि बहुत से सपने देखकर, बहुत विचार के साथ यह सोच करके कि विश्वविद्यालय विश्व स्तर का होगा, सारी बातों की व्यवस्था और प्राविधान उसमें किया गया। आज विश्वविद्यालयों की हालत क्या है माननीय मंत्री जी उसको देखें। अच्छा होता इन्हीं के पास यह विभाग भी रहा होता एजूकेशन का, कृषि शिक्षा का भी। हो क्या रहा है कि पिछले दो ढाई सालों में जितनी भी नियुक्तियां हुई हैं। उनकी आप जांच करा लें जितने प्रोफेसर, लेक्चरर बने हैं उनमें से अस्सी प्रतिशत ऐसे हैं जिनको वहां होने के बजाय जेल में होना चाहिए था। वे फर्जी प्रमाण-पत्र दाखिल करके प्रोफेसर या लेक्चरर बने हैं। जिस व्यक्ति ने बनाया था जब हमने उसके खिलाफ आवाज उठायी, जांच बैठाने की मांग की तो वह तो विदेश भाग गया। सबसे चिन्ता की बात यह है कि स्थान रिक्त होने के बाद जिस व्यक्ति की इसमें नियुक्ति की जा रही है वह आईसीआर में डायरेक्टर है, नाम मैं जानता नहीं, उसके खिलाफ विजिलेन्स में जांच चल रही है। विजिलेन्स में जांच लम्बित होने के कारण आईसीआर ने उसे रिलीव करने से, पदमुक्त करने से मना कर दिया। क्यों आखिर ऐसा खिलवाड़ कर रहे हो, हम भी उस क्षेत्र के रहने वाले हैं। क्या हमारे मन में यह नहीं है कि विश्वविद्यालय की स्थापना हुई उसका काम सुचारु रूप से चले। वहां से जो ग्रेज्यूएट होकर निकलेंगे, पढ़कर निकलेंगे उनको पढ़ाने वाले वह होंगे जिनको प्रोफेसर के बजाय जेल में होना चाहिए था।

सारे फर्जी प्रमाण-पत्र देकर वह बने हैं। जब जांच की बात आयी तो मैं पुनः बल देकर कहना चाहता हूं कि वह वाइस चांसलर तो भाग गया विदेश भाग गया और नये की नियुक्ति आपने उसकी की है जिसके खिलाफ विजिलेन्स की जांच चल रही है। उसको वीसी बना दिया गया है यहां पर हो सकता है किसी और ने बनाया हो, सरकार की भूमिका केवल इतनी होती है कि तीन नामों को भेजने की बात होती है और उन तीन नामों में एक नाम उसका भेजने का पाप इस सरकार ने किया। आखिर यह शिक्षण संस्थाएं हैं जहां पर देश के भविष्य का निर्माण हो रहा है और इतनी उदासीन सरकार हो जायेगी तो क्या होगा ? कैसे हम बीएससी एजी, एमएससी एजी और बायो टेक्नोलोजी और माइक्रो टेक्नोलोजी के छात्रों को निकालेंगे। उनकी डिग्री का महत्व क्या रह जायेगा। इसलिए संशोधन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट कराने का प्रयास किया। आज कानपुर विश्वविद्यालय, चन्द्रशेखर आजाद विश्वविद्यालय उनकी बिल्डिंग की हालत क्या है यह देख लीजिए। वहां पर जितने भी आगे के

काम हैं, शोध के काम हैं वह लम्बित होते जा रहे हैं। कोई काम नहीं चल रहा है। फैजाबाद में मैं खुद गया था कृषि मंत्री होते हुए मैंने वहां की हालत देखी थी, कुछ कोशिश भी की थी लेकिन वहां की भी हालत खराब है। फण्ड्स रिलीज नहीं हो रहा है। मैं आपसे यह प्रश्न करूं कि पिछले दो साल में पंतनगर, मोदीपुरम्, सरदार बल्लभ भाई पटेल को कितना फण्ड रिलीज किया गया ? कभी देख लें आप बजट उठा करके उसके साथ भेदभाव हो रहा है। चार सौ करोड़ आईसीआर ने उस विश्वविद्यालय के लिए रिलीज किया, प्रदेश में आ चुका है, लेकिन प्रदेश सरकार ने कोई रहम नहीं किया। आज आठ महीने हो गये हैं और एक पैसा भी प्रदेश सरकार ने रिलीज नहीं किया। वहां पर कैसे फैकल्टीज चलेगी, कैसे रिसर्च का काम होगा। किसी भी विश्वविद्यालय के लिए आवश्यक है कि वैटनरी फैकल्टी होनी चाहिए, यूजीसी के कुछ नार्म्स हैं तो मान्यवर, पैसा स्वीकृत हो गया लेकिन उसको रोक दिया गया। कहीं और ले जा रहे हैं पैसा। पता नहीं किस स्तर से सोचा जा रहा है। बार-बार हमारे कहने की उपेक्षा हो रही है। यह कृषि विश्वविद्यालय को खत्म करने का षडयंत्र चला रहे हैं। मैं आग्रह करना चाहता हूं कि जो संशोधन हमने रखा है आपके मूल प्रस्ताव के संदर्भ में हमें कुछ नहीं कहना है, आप एक औपचारिक प्रस्ताव लाये हैं किसी की सर्विस को रेगुलराइज करने का आज एक मौका था कहने का इसलिए कह रहा हूं कि जो बातें मैंने कहीं उसकी जांच करा लें। एक उच्च स्तरीय कमेटी बनाकर उसकी जांच करायें और जो उसमें दोषी पाये जायें उन्हें जेल भिजवायें, दूसरी बात, दो साल में विश्वविद्यालय के लिए बजट रिलीज क्यों नहीं हुआ ? तीसरी बात आई0सी0आर0 ने जो पैसा भेजा है मैं चाहूंगा कि तुरन्त उस पैसे को रिलीज किया जाय ताकि अधूरे काम विश्वविद्यालय के पूरे हो जायें, धन्यवाद।

डॉ0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर-

माननीय अध्यक्ष जी, शासन द्वारा उत्तर प्रदेश कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2006 प्रस्तुत किया गया है। माननीय हुकुम सिंह जी ने जो संशोधन प्रस्ताव रखा है, उसके बारे में मैं केवल दो बातें रखना चाहूंगा। मान्यवर, इस संशोधन विधेयक के माध्यम से सरकार ने कहा है, सभी प्रकार के विश्वविद्यालयों में एकरूपता की दृष्टि से यह विनिश्चय किया गया है कि 1958 के उक्त अधिनियम के अधीन ऐसे अल्पकालिक/अंशकालिक अध्यापकों को जिन्हें चयन समिति को निर्दिष्ट किये बिना दिनांक 31 दिसम्बर, 1997 को या उससे पूर्व नियुक्त किया गया है, मौलिक नियुक्ति की उपलब्धता के अधीन रहते हुए बोर्ड द्वारा मौलिक रूप से नियुक्त किये जा सकने की व्यवस्था करने के लिए वर्ष 1958 के उक्त अधिनियम को संशोधित किया जाय। यानी 1958 का जो अधिनियम है उसको संशोधित करके जो अल्पकालिक/अंशकालिक अध्यापक हैं, 1997 या उससे पहले नियुक्त हैं उनको रेग्युलराईज एक तरह से करना है। मान्यवर, मुझे याद है कि उत्तर प्रदेश के अन्दर यूनिवर्सिटी डिग्री कालेज में भी जो तदर्थ अध्यापक थे उनको भी विनियमित करने की नीयत हम लोगों की सरकार की थी, हमने निर्णय लिया, इसमें यह स्पष्ट नहीं, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा कि जो भी अल्पकालिक/अंशकालिक अध्यापक हैं उनके विनियमितीकरण का मैं पक्षधर हूं, लेकिन इसके लिए क्या एक कोई समिति बना दी जाय, उनकी अर्हतायें जो यू0जी0सी0 के मानक हैं वह क्वालीफिकेशंस पूरा करते हैं कि नहीं, उनका जो पढ़ाने का ढंग रहा है वह किस तरह का रहा है

तो इन सारे बिन्दुओं को देख करके तब रेग्युलराइज किया जाय क्योंकि जैसा माननीय हुकुम सिंह जी ने कहा, कहीं कोई गलत व्यक्ति न रेग्युलराइज हो जाय तो इसके लिए भी अगर कोई एक कमेटी बना दें जो इनके मानकों के प्रति हम तो कहते हैं कि एक महीने, दो महीने का समय तय कर दें जिसके तहत वह समिति देख लें, इनके सारे मानक पूरे हैं तो उसके तहत इनको लाभ दिया जाय।

कृषि एवं धर्मार्थ कार्य मंत्री (डॉ0 अशोक बाजपेयी)-

माननीय अध्यक्ष महोदय, यह बड़ा छोटा सा संशोधन विधेयक था, लेकिन माननीय हुकुम सिंह जी स्वयं मान्यवर कृषि मंत्री रहे हैं और माननीय गौर साहब विश्वविद्यालय के मंत्री रहे हैं, दोनों लोग बहुत जानकार हैं, विद्वान हैं, इस विधेयक में मान्यवर बहुत स्पष्ट लिखा है 31 दिसम्बर तक या उससे पूर्व जिनकी नियुक्ति हुई है, आपकी आपत्ति दो वर्ष पहले के अध्यापकों पर है, लेकिन इस संशोधन से दो वर्ष पहले नियुक्त अध्यापक इससे आच्छादित नहीं होते न उनके लिए यह संशोधन किया जा रहा है।

श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, यह मेरी बात ही नहीं समझ पाये, यह मेरा दुर्भाग्य रहा है। मान्यवर, मैंने केवल इतना कहा वह इससे सम्बन्धित नहीं है मामला, मैंने तो कहा है कि इसके माध्यम से आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि सरदार बल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय में,

(व्यवधान)

श्री मोहम्मद आजम खां-

असल में जिस बात पर आपने ध्यान आकर्षण किया उस पर बल ज्यादा हो गया, मूल प्रश्न पर कोई बात ही नहीं हुई।

श्री हुकुम सिंह-

मूल प्रश्न पर तो मुझे कोई आपत्ति ही नहीं है, हम तो दूसरी बात कह रहे थे।

डा0 अशोक बाजपेयी-

मान्यवर, यह परम्परा पूर्व में थी, प्रदेश के विश्वविद्यालयों में अल्पकालिक/अंशकालिक शिक्षकों को नियमित किया गया। मान्यवर, कृषि विश्वविद्यालय में अल्पकालिक/अंशकालिक अध्यापक बहुत वर्षों से काम कर रहे थे, उनके विनियमितीकरण का यह संशोधन प्रस्ताव है और मान्यवर, अंशकालिक या अल्पकालिक शिक्षकों के लिए विश्वविद्यालय की चयन समिति होती है और मानक के अनुरूप ही उनका चयन किया जाता है। जो रेग्युलर लेक्चरर हैं उनके लिए अलग समिति है, लेकिन अल्पकालिक शिक्षकों की भी विश्वविद्यालय की आंतरिक समिति होती है। उन अध्यापकों का जिनको अनुभव था, 1997 से पूर्व जिनकी सेवायें हैं, उनको नियमित करने के लिये यह प्रस्ताव किया गया है। मान्यवर, जहां तक आपने अनियमितताओं की बात कही है मान्यवर वह वाइस चांसलर जिसको हटाया गया भ्रष्टाचार के आरोप में, उसकी भी नियुक्ति आपकी ही सरकार में हुयी थी और मान्यवर, जितनी भी नियुक्तियां हुई हैं, यह कोई नियुक्तियां हमारी सरकार की नहीं हैं, यह सारे मान्यवर, अगर अनियमित भी है तो यह आपके ही कार्यकाल या आपकी ही सरकारों के समय की ही नियुक्तियां हैं,

हम तो केवल मानवीय आधार पर जो वर्षों से अध्यापक, जिनका उत्पीड़न, शोषण हो रहा है, बहुत अल्प वेतन पा रहे हैं, उनको नियमित करने का एक मानवीय प्रस्ताव ले करके आये हैं और जहां तक विश्वविद्यालय, कृषि विश्वविद्यालय के सुधार की बात है और विशेषकर आपने चन्द्र शेखर आजाद कृषि विश्वविद्यालय की ओर कहा है, मान्यवर, वह सरकार की प्राथमिकता में है और उस विश्वविद्यालय के विस्तार के लिए लगातार सरकार पूरी तरह से सहयोग कर रही है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ही नहीं प्रदेश के तीनों विश्वविद्यालयों को हम राष्ट्रीय मानक के अनुरूप बनाना चाहते हैं, इसमें कहीं पर भी मान्यवर, दो राय नहीं है।

वह वी0सी0 जिसके ऊपर आपने इशारा किया उसको भी हमारी सरकार में जांच करके हटाया गया। उसके विरुद्ध भ्रष्टाचार के आरोप थे।

*श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, उसका कार्यकाल पूरा हो गया था। हटाने वाली बात नहीं है। वह अपने रिटायरमेन्ट से एक दिन पहले छोड़कर भाग गया था। जांच उसकी हुई है। एक व्यक्ति को आज भी लोग मेरे सामने पकड़ कर लाये वह वहीं रहता है यूनीवर्सिटी के सामने, उसने 80 लाख रुपये इस बात के लिए लिये थे कि नियुक्ति करा देंगे। उसमें कुछ की हो पायी, कुछ की नहीं हो पायी। आपकी जानकारी में भी होगा आप वहीं रहते हैं। ऐसे-ऐसे स्कैंडल उसके हैं। बिन्दु यह है कि अगर आपको उस विश्वविद्यालय को बचाना है तो जो नियुक्तियां हुई हैं उनमें दाखिल प्रमाण-पत्रों का परीक्षण तो हो जाए कि वह फर्जी दाखिल कर रखे हैं क्या। अगर वाकई में अपराधी हैं वे लोग तो जेल में जाना चाहिए उनको वे चाहे हमारे कार्यकाल में हो या आपके कार्यकाल में हो।

डा0 अशोक बाजपेयी-

मान्यवर, जहां तक नये वी0सी0 की नियुक्ति का सवाल है वह अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के कृषि वैज्ञानिक हैं और अन्तर्राष्ट्रीय ख्याति के हैं वह कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है और मान्यवर, जहां तक वाइस चान्सलरों की नियुक्ति का सवाल है आप स्वयं अच्छी तरह से जानते हैं कि उसकी नियुक्ति का अधिकार चान्सलर को है और वह सरकार नियुक्त नहीं करती है। आपने उस ओर भी आक्षेप किया जिसको नियुक्त किया गया है।

मान्यवर, जहां तक इन विश्वविद्यालयों में सुचिता लाने का सवाल है हमारी सरकार ने किसी भी विश्वविद्यालय के साथ हमने किसी भी प्रकार के पक्षपात को न तो बढ़ावा दिया है और व ही सरकार की मंशा रही है। हम चाहते हैं कि विश्वविद्यालय शिक्षा के उच्च केन्द्र हैं उनकी गरिमा, उनकी अस्मिता, उनकी सुचिता बनायी रखी जाये। लेकिन मान्यवर, दुर्भाग्य से पिछली सरकारों के समय क्योंकि जो जांच हुई है। अभी इस सरकार के समय में 3 कृषि विश्वविद्यालयों के वी0सी0 के विरुद्ध गम्भीर अनियमितताओं के आरोप पाये गये और तीनों के विरुद्ध कार्यवाही करनी पड़ी और एक अगर इतनी बड़ी संस्थाओं पर पक्षपात रूप ढंग से इस तरीके से नियुक्तियां की जायेंगी तो उसका मान्यवर, नतीजा होगा।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मान्यवर, इसमें तो केवल अंशकालिक और अल्पकालिक जो शिक्षक हैं उनको नियमित कर रहे हैं यह एक संशोधन प्रस्ताव है। मान्यवर, मैं समझता था कि इसके लिए आपको इसका भरपूर समर्थन करना चाहिए। माननीय गौर साहब स्वयं अध्यापक रहे हैं मंत्री रहे हैं लेकिन इसमें जब विश्वविद्यालय से इनका चयन हुआ है और आज भी अगर किसी अध्यापक पर ऐसी कोई आपत्ति है उसके विरुद्ध कोई ऐसे चार्जेज हैं या फर्जी कुछ है तो हम उसकी तुरन्त जांच करा लेंगे तो मान्यवर विश्वविद्यालय इसके लिए जिम्मेदारी का निर्वहन करेगा। लेकिन मान्यवर, इनकी नियुक्ति करते समय इनके सारे अभिलेखों का परीक्षण किया जाता है। एक चयन समिति होती है उसके द्वारा चयनित करके उनको नियुक्त किया जाता है। आरबीट्रेरी नहीं रख लिया जाता है तो यह प्रस्ताव उन विश्वविद्यालयों के लिए है बहुत छोटा सा संशोधन लाये हैं। इसमें कहीं कोई आपत्ति नहीं है बल्कि इसमें तो आपको सरकार की सराहना करनी चाहिए थी कि जो इतने वर्षों तक आप नहीं कर पाये। आपके द्वारा आपकी सरकार के द्वारा नियुक्त किये गये लोग थे। यह सरकार संवेदनशील है और उनको नियमित कर रही है। आपने कभी उस ओर ध्यान नहीं दिया। इसलिए मैं चाहूंगा कि इसे पारित किया जाये।

डॉ0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर-

मान्यवर, माननीय बाजपेयी जी वरिष्ठ मंत्री हैं लेकिन यह जो विधेयक लाये हैं इसमें इन्होंने संशोधनों को पढ़ा नहीं है। आपने उत्तर में कहा कि आलरेडी यह चयन समिति के माध्यम से नियुक्त हैं मान्यवर, यह जो विधेयक लाये हैं बिना चयन समिति को निर्दिष्ट किये हुए जो अंशकालिक या अल्पकालिक अध्यापक हैं उनके नियमितीकरण की बात है। इसलिए मैंने कहा कि अगर इनकी नियुक्ति चयन समिति के माध्यम से किये होते तब तो कोई बात नहीं थी लेकिन जब बिना किसी चयन समिति के नियुक्त हुए हैं तो इसमें मेरा सुझाव है कि आप एक चयन समिति बना लें जो देख लें कि इनकी सारी अर्हताएं या मानक पूरे हैं या नहीं फिर इनका नियमितीकरण कर दें। नियमितीकरण का मैं स्वागत करता हूं।

डॉ0 अशोक बाजपेई-

मान्यवर, मैंने कहा कि विश्वविद्यालय के प्रवक्ता के लिए चयन समिति दूसरी होती है लेकिन आन्तरिक नियुक्तियों के लिए विश्वविद्यालय की अपनी एक चयन समिति बनती है उससे इनके जो भी आवेदन-पत्र होते हैं उसमें परीक्षण करके इनको चयनित किया जाता है। मान्यवर, यह अंशकालिक शिक्षकों के चयन की अलग प्रक्रिया है और रेगुलर अध्यापकों के चयन की अलग प्रक्रिया है। उसमें बाहरी एक्सपर्ट्स आते हैं और इसमें केवल आन्तरिक एक्सपर्टस होते हैं और उनके बीच में चयन होता है और उनका परीक्षण करके ही होता है।

श्री अध्यक्ष-

आप अपना प्रस्ताव वापस ले रहे हैं।

*श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, क्या वापस ले लूं, क्या न कह दूं। इससे पहले प्रोग्राम था कि शायद आजम साहब इस पर बोलेंगे लेकिन उन्होंने बाजपेयी जी को यह फाइल पकड़ा दी। मैं बात क्या कह रहा था वे बात

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

को ले कहां गये। मैंने इस संशोधन को केवल माध्यम बनाया। मैंने खुद कहा कि इस संशोधन के माध्यम से कुछ बिन्दुओं की ओर ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं और बिन्दु मेरे ये हैं कि जो अनियमितता हुई है आपने कहा कि आपके कार्यकाल में हुई हैं मैंने कहा पिछले दो सालों में अब पिछले दो सालों में किसका कार्यकाल रहा यह मुझको नहीं मालूम। इस कार्यकाल में जितनी नियुक्तियां हुई हैं आप उनका परीक्षण करा ले मेरा आरोप यह है कि फर्जी दस्तावेज दाखिल करके बहुत से लोग प्रोफेसर बन गये जिनको जेल में होना चाहिए था। आपने कहा कि वी0 सी0 आपके कार्यकाल का था किसी के भी कार्यकाल का हो अगर किसी ने पाप किया है अपराध किया तो दण्ड उसको मिलना चाहिए। कार्यकाल किसी का भी रहा हो। कार्यकाल से क्या मतलब सरकार की निरन्तरता बनी रहती है।

डा0 अशोक बाजपेयी-

माननीय हुकुम सिंह ने दो साल की बात कही मैंने कहा यह विधेयक उस दो साल की नियुक्तियों को कवर नहीं कर रहा है। यह विधेयक पर चर्चा हो रही है। विधेयक हो रहा है 31 जनवरी, 1997 तक जिनकी नियुक्तियां हुई हैं उनको हम कवर कर रहे हैं। 2 साल के अन्दर नियुक्तियों में अगर अनियमितता हुई हैं आप शिकायत कर दें, हम उसकी जांच करा लेंगे।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2006 को सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय जो अपनी प्रतिवेदन तीन माह के अन्दर सदन में प्रस्तुत करे ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2006 पर विचार किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

खण्ड-2, खण्ड-1, प्रस्तावना व शीर्षक

उत्तर प्रदेश कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2006

उत्तर प्रदेश कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय अधिनियम, 1958 का अग्रतर संशोधन करने के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के सत्तावनवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :-

संक्षिप्त नाम 1-यह अधिनियम उत्तर प्रदेश कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 2006 कहा जाएगा।

2-उत्तर प्रदेश कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय 1958 की धारा 26 के पश्चात् निम्नलिखित धारा बढ़ा दी जाएगी, अर्थात् :-

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-45 सन् 1958 की धारा 26-क का बढ़ाया जाना

"26-क इस अधिनियम या तद्धीन बनाए गये परिनियम के कतिपय अध्यापकों किसी अन्य उपबन्ध में किसी प्रतिकूल बात का विनियमितीकरण के होते हुए भी, विश्वविद्यालय का कोई अध्यापक, जो प्राध्यापक/अंशकालिक प्रध्यापक के रूप में 31 दिसम्बर, 1997 को या उससे पूर्व अल्पकालिक/अंशकालिक व्यवस्था के रूप में ऐसी नियुक्ति के लिए तत्समय प्रवृत्त उपबन्धों के अनुसार चयन समिति को निर्देश दिये बिना नियुक्त किया गया था, उसे बोर्ड द्वारा मौलिक रूप से नियुक्त किया जा सकता है, यदि उसी विभाग में, उसी संवर्ग और श्रेणी की कोई मौलिक रिक्ति उपलब्ध हो, और यदि ऐसा अध्यापक,-

(एक) 31 दिसम्बर, 1997 को इस रूप में ऐसी अल्पकालिक/अंशकालिक व्यवस्था में प्रारम्भिक नियुक्ति के दिनांक से निरन्तर कार्य कर रहा हो ;

(दो) मौलिक नियुक्ति के दिनांक को प्रवृत्त सुसंगत परिनियमों के उपबन्धों के अधीन पद पर नियमित नियुक्ति के लिए अपेक्षित अर्हताएं रखता हो ;

(तीन) बोर्ड द्वारा नियमित नियुक्ति के लिए उपयुक्त पाया गया हो।

ऐसा कोई अध्यापक, जिसे उपर्युक्त प्रकार से अल्पकालिक/अंशकालिक व्यवस्था में नियुक्त किया गया हो, जो इस खण्ड के अधीन कोई मौलिक नियुक्ति नहीं पाता है, वह ऐसे दिनांक को, जैसा बोर्ड विनिर्दिष्ट करे, ऐसा पद धारण नहीं करेगा।"

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि खण्ड-2, खण्ड-1, प्रस्तावना व शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

डा0 अशोक बाजपेयी-

मान्यवर, आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2006 पारित किया जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2006 पारित किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं

आज दिनांक 28 मार्च, 2006 को नियम-51 के अन्तर्गत कुल 23 सूचनायें प्राप्त हुई। पहली सूचना श्री ओम प्रकाश (ओ0 पी0 सिंह) की जनपद सुल्तानपुर के जयसिंहपुर विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत कूड़ेभार डिवाइन में सिल्ट की सफाई न होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुई। दूसरी सूचना श्री धर्मपाल सिंह की जनपद बरेली स्थित आंवला को पर्यटन स्थल बनाये जाने एवं उसके ऐतिहासिक महत्व को देखते हुए इस क्षेत्र को विकसित किये जाने के सम्बन्ध में है वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुई। तीसरी सूचना श्री जगन प्रसाद गर्ग की जनपद आगरा स्थित हनुमान नगर व सुशील नगर के बीच जमुना ब्रिज स्टेशन के पास रेलवे लाइन पर रेल फाटक युक्त मार्ग बनाये जाने के सम्बन्ध में है केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुई। चौथी सूचना श्रीमती कृष्णा पासवान की विधान सभा क्षेत्र जनपद फतेहपुर में सिंचाई के अभाव को देखते हुए राजकीय नलकूपों की स्थापना कराये जाने के सम्बन्ध में है केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुई। पांचवीं सूचना श्री वृजेन्द्र कुमार व्यास की लखनऊ स्थित बादशाहनगर राजकीय कालोनी में पानी के संकट को देखते हुए नया ट्यूबवेल लगाये जाने के सम्बन्ध में है केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुई। छठी सूचना श्री सुन्दर लाल की स्व0 भगवत चरण शर्मा की पत्नी श्रीमती मधु शर्मा को चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उत्तर प्रदेश द्वारा पुनरीक्षित वेतनमान व राशिकरण का भुगतान न किये जाने के सम्बन्ध में है केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुई। सातवीं सूचना श्री राम चन्द्र यादव की जनपद फैजाबाद के मिल्कीपुर विधान सभा क्षेत्र में ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अन्तर्गत ग्रामों का विद्युतीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में है केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुई। आठवीं सूचना डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी की जनपद मेरठ में नकली नोट, आई0एस0आई0, आतंकवाद, अपहरण उद्योग के बन रहे केन्द्र से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुई। नवीं सूचना श्री मदन चौहान की जनपद गौतमबुद्ध नगर से सटे ग्रामवासियों के मकानों को प्राधिकरण द्वारा तोड़े जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है, ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत हुई। दसवीं सूचना श्री प्रमोद कुमार की जबलपुर मध्य प्रदेश में प्रदेश के एक पोटा मुकदमें में पुलिस के गवाहों द्वारा अपना बयान बदले जाने के कारण उनके विरुद्ध कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में है ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत हुई। ग्यारहवीं सूचना श्री राकेश पाण्डेय की श्रीमती चन्द्रकान्ती देवी (सोनभद्र) विशिष्ट बी0टी0सी0 प्रशिक्षक के सम्बन्ध में मा0 उच्च न्यायालय के आदेश का क्रियान्वयन न किये जाने के सम्बन्ध में है ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत हुई। बारहवीं सूचना श्री रिजवान अहमद खां की जनपद मुरादाबाद स्थित विधान सभा क्षेत्र कांठ के ब्लाक छजलैट में निजी नलकूपों को विद्युत कनेक्शन दिये जाने के सम्बन्ध में है ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत है।

निम्नलिखित माननीय सदस्यों की सूचनायें अस्वीकृत हुई :- श्री श्याम सिंह, श्री रामहेत भारती, श्री रंगनाथ मिश्र, श्रीमती विद्या चौधरी, श्री विश्राम सिंह यादव, डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर, श्री द्वारिका प्रसाद, श्री कल्याण सिंह दोहरे, डा0 राधा मोहनदास अग्रवाल, श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह, श्री ओम प्रकाश पाण्डेय तथा श्री सत्य प्रकाश अग्रवाल।

अब हम उठते हैं। कल 11.00 बजे फिर मिलेंगे।

(इसके बाद सदन का उपवेशन सायंकाल 4 बजकर 15 मिनट पर अगले दिन के 11 बजे तक के लिए स्थगित हो गया)

लखनऊ :

दिनांक 28 मार्च, 2006 ई0

राजेन्द्र प्रसाद पाण्डेय,

प्रमुख सचिव, विधान सभा,

उत्तर प्रदेश।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

पी0एस0यू0पी0-एल0 81 विधान सभा (136)-7-6-2006-813-(कम्प्यूटर)।